

हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक मंगलवार, दिनांक 31 मार्च, 2026 को माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पटानिया की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरंभ हुई।

प्रश्नकाल

तारांकित प्रश्न

31-3-2026/1100/NS-HK/1

अध्यक्ष : प्रश्नकाल आरंभ।

प्रश्न संख्या : 4139

अध्यक्ष : बड़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है। I have gone through this information.

श्री राकेश जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, रोबोटिक सर्जरी मुख्य मंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि प्रश्न के जवाब में दरें दी गई हैं कि रोबोटिक सर्जरी में इतना खर्च आएगा। यह गरीब आदमी के लिए संभव नहीं है तो क्या आयुष्मान भारत योजना व हिमकेयर योजना में रोबोटिक सर्जरी कवर होगी? दूसरा, आपने कहा कि चार संस्थानों में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, चमियाणा, मेडिकल कॉलेज, टांडा, आई0जी0एम0सी0 और नेर चौक में यह सुविधा उपलब्ध है। मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यह सुविधा कैसे उपलब्ध है? मैंने प्रश्न में पूछा था कि क्या इसके लिए स्टॉफ को प्रशिक्षित किया गया है? इसका उत्तर आया है कि स्टॉफ नर्सिज मेडिकल कॉलेज, टांडा, आई0जी0एम0सी, शिमला और नेर चौक में ट्रेड नहीं हैं। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, चमियाणा में ट्रेड हैं तो वहां पर कोई ओ0टी0ए0 ट्रेड नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार कब तक स्टॉफ को ट्रेनिंग दे देगी? दूसरा, रोबोटिक सर्जरी के लिए जो असेसरी यूज होती है वह बहुत महंगी होती है। क्या उसका खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा या मरीज स्वयं वहन करेगा?

Speaker : I will request all the Hon'ble Members please not to listen to the phones in the House. If you have phones, please keep them in a silent mode.

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने स्टॉफ नर्सिज और ओ0टी0ए0 की ट्रेनिंग के बारे में पूछा है। हमने अभी पहले चरण में डॉक्टरों को ट्रेनिंग देने की बात की है। ट्रेनिंग वही कंपनी देती है जिससे आप रोबोटिक सर्जरी की मशीन खरीदते हैं। उसके बाद ट्रेनिंग करवाने के लिए वे एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं और उनकी यही प्रैक्टिस है। माननीय सदस्य ने

स्टॉफ नर्सिज और ओ०टी०ए० की ट्रेनिंग की बात की है तो मैं इस बारे में जानकारी प्राप्त करके माननीय सदस्य को अवगत करवा दूंगा।

31-3-2026/1100/NS-HK/2

अगर इनको ट्रेनिंग की जरूरत होगी तो सरकार अपने खर्च से इनको ट्रेनिंग देगी। मेडिकल कॉलेज, नेर चौक में हमने डॉक्टर, स्टॉफ नर्सिज व ओ०टी०ए० को ट्रेनिंग दी है। इसमें ट्रेनिंग के कुछ कोर्स एक महीने के बाद और भी चलते हैं। हमने सबको ट्रेनिंग देने का प्रावधान किया है। तीसरा, जो खर्च की बात है तो एक ऑपरेशन में लगभग एक लाख रुपये खर्च आता है और जो असैसरी ऑपरेशन के लिए यूज होती है उसको दोबारा यूज नहीं किया जा सकता है। इसलिए उसको फेंकना पड़ता है और दूसरी असैसरी यूज करनी पड़ती है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक आयुष्मान भारत योजना व हिमकेयर योजना में कवर होने की बात है तो हमारा हिमकेयर का इंटरनल ऑडिट चल रहा है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, चमियाणा में लोग स्वयं रोबोटिक सर्जरी करवाना चाहते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है क्योंकि इसको सस्टेन और मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में यही ऑपरेशन करवाना है तो आपका 5 लाख रुपये से कम खर्च नहीं आता है। अभी धीरे-धीरे जैसे-जैसे हम सस्टेन करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो गरीब आदमी के लिए

आर०के०एस० द्वारा ----जारी

31.03.2026/1105/RKS/hk-1

प्रश्न संख्या: 4139... जारी

मुख्य मंत्री जारी....

किसके तहत सोचा जा सकता है, उस पर हमारी सरकार भविष्य में विचार कर सकती है।

श्री केवल सिंह पठानिया: अध्यक्ष महोदय, सरकार ने इस प्रश्न का विस्तारपूर्वक जवाब दिया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से सिर्फ दो बातें पूछना चाहूंगा। प्रदेश के अलग-अलग

मेडिकल कॉलेजिज में जो रोबोटिक सर्जरी चलाई जा रही है, यह माननीय मुख्य मंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। हिमाचल के 75 लाख लोगों को यह सुविधा पहली बार मिली है। जब टांडा मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी चल रही थी तो उस समय मैं दो-तीन बार वहां गया था। हमारी सरकार निकट भविष्य में 75 लाख लोगों को रोबोटिक सर्जरी की सेवा देना चाहती है। मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या डॉक्टरज या पैरा-मेडिकल स्टाफ की एक टीम एम्स, दिल्ली में एक्सपोजर हेतु भेजी जाएगी? मेरा आग्रह है कि उस टीम को एक महीने के लिए एम्स, दिल्ली भेजा जाए ताकि वे रोबोटिक सर्जरी में ट्रेड हो जाएं। जब मैं टांडा गया था तो उस समय वहां के डॉक्टरज ने यह ऑब्जर्वेशन दी थी। दूसरा, जब वर्ष 2022 में आप मुख्य मंत्री बने थे तो उस समय पूरे हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में एम0आर0आई0 मशीनों को खरीदे हुए कितना समय हो गया था? चाहे ये मशीनें आई0जी0एम0सी0, शिमला, टांडा मेडिकल कॉलेज, चम्बा मेडिकल कॉलेज, नाहन मेडिकल कॉलेज या नेरचौक, मेडिकल कॉलेज में खरीदी गई हों, आप इनकी जानकारी उपलब्ध करवाएं। प्रश्न के जवाब में नई मशीनों के बारे में दर्शाया गया है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि वर्ष 2022 तक प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में कितनी मशीनें स्थापित थीं?

Speaker : Hon'ble Chief Minister, if you want to reply you can, because MRI doesn't arise from this question.

मुख्य मंत्री: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि जो डॉक्टरज रोबोटिक सर्जरी करते हैं उन्हें एक्सपोजर विजिट पर भेजना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां रोबोटिक सर्जरी के रिनाउंड इंस्टिट्यूशन्स हैं वहां डॉक्टरज को ट्रेनिंग करवाई जाती है

31.03.2026/1105/RKS/hk-2

क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इसी कंपनी की मशीनें स्थापित हैं। इसलिए यही कंपनी चुनती है कि किसकी कहां ट्रेनिंग करवानी है। जो आप एक्सपोजर विजिट की बात कर रहे हैं उसके बारे में हमारी सरकार विचार करेगी कि जहां मेडिकल टेक्नोलॉजी में नये सुधार आ रहे

हैं, उसमें भविष्य में विचार किया जा सकता है। आपका दूसरा सवाल प्रश्न से संबंधित नहीं है इसलिए मैं इस प्रश्न की आपको पर्सनली जानकारी दे दूंगा।

श्री विपिन सिंह परमार : अध्यक्ष महोदय, विभाग द्वारा प्रश्न का उत्तर काफी विस्तार से दिया गया है। आप 5 मेडिकल कॉलेजिज में रोबोटिक मशीनें स्थापित करने जा रहे हैं। आपने कल स्टेटमेंट भी दी थी कि भारत सरकार के उपक्रम 'हाइट' के माध्यम से इन रोबोटिक मशीनों की परचेजिंग की जा रही है। आपने कहा था कि ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से 'दा विंची' रोबोट खरीदा गया है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब ई-टेंडरिंग हुई तो उस समय और कितनी कंपनियों ने भाग लिया था? अगर कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया था तो उनके रेट ऑफ डिफरेंस क्या थे? हिमाचल प्रदेश मेडिकल सर्विसिज कॉर्पोरेशन में माननीय स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में एक लंबी टीम है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या उस टीम ने एक ही बिड को एक्सेप्ट कर लिया? आपने कल 'एस0एस0आई0 मंत्रा' का भी जिक्र किया था। मैं पूछना चाहता हूँ कि इन कंपनियों के तुलनात्मक रेट क्या हैं? आप इसकी जानकारी भी माननीय सदन को दें। हिमाचल प्रदेश एक ग्रोइंग स्टेट है। हमारे प्रदेश के ऊपर भारी कर्ज भी है। यह ठीक है कि आपका हाई-एंड टेक्नोलॉजी विजन है ताकि स्वास्थ्य क्षेत्र में अच्छी सेवाएं उपलब्ध हों। जब आपने इस मशीन को खरीदा तो क्या उसमें मशीन की कॉस्ट को ध्यान में रखा गया था? इसके अतिरिक्त क्या आपने इसकी मेंटिनेंस और रेकरिंग कॉस्ट को भी ध्यान में रखा है?

श्री बी0एस0द्वारा जारी

31.03.2025/1110/बी.एस./वाई.के.-1

प्रश्न संख्या: 4139 क्रमांगत...श्री विपिन सिंह परमार जारी...

एक्सेप्टेबिलिटी और ड्युरेबिलिटी क्या इन सारे पहलुओं को उसमें ध्यान में रखा गया? कृपया, मैं यह सारी बातें आपसे यहां पर जानना चाहता हूँ और दवेसी और मंत्रा, जब कॉरपोरेशन इस प्रकार की ई-टेंडरिंग प्रक्रिया में गए होंगे तो दोनों में क्या स्पेशलिटी है, क्या अंतर है? उसकी जानकारी आप इस माननीय सदन को देंगे तो अच्छा रहेगा।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैं कल ही इस बारे में एग्जास्टेड जानकारी दे दी थी और आज भी मैं दे देता हूँ, ठीक बात है। अध्यक्ष महोदय, दो कंपनियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और श्री टाइम ये टेंडर फ्लोटेड हुआ। एक कंपनी इसमें डिसक्वालिफाइड हुई जिसकी फाइनेंशियल बिड नहीं खोली गई। ये दो कंपनियां थी। इसकी निविदा पहले 18.07.2023 को रोबोटिक सर्जरी मशीन की पूर्ति हेतु एक टेंडर कॉल किया गया। इसके बाद फिर इसकी तिथि दो बार बढ़ाई गई और कोई नहीं आया। इसकी तिथि को तत्पश्चात 15.09.2023 को फिर बढ़ाया गया और फिर इसके अनुसार जब 17.08.2023 को तीसरी ई-टेंडर किया गया जिसमें दो फर्म आईं।

तकनीकी समिति द्वारा रोबोटिक प्रणाली का लाइव प्रदर्शन होता है उसका निरीक्षण किया गया और मूल्यांकन के आधार पर जो स्पेसिफिकेशन थी उसके आधार पर केवल एक फर्म को तकनीकी रूप में पाया गया। उसके बाद यह कंपनी मंत्रा हाई कोर्ट गई। वहां उसने रिट की और रिट करने के बाद हाई कोर्ट ने इस मामले में फैसला दिया। कोर्ट से स्टे हुआ उसके बाद पूरे डॉक्यूमेंट रखे गए और माननीय न्यायालय ने यह अभिमत व्यक्त किया कि यह अभिलेखित करना उचित है कि चिकित्सा संस्थानों में स्थापित किए जाने वाले उपकरणों की सुविधा एवं गुणवत्ता के संबंध में निर्णय लेना सरकार तथा उसके विशेषज्ञों का अधिकार क्षेत्र है तथा रोगियों को अच्छी चिकित्सा प्रदान की जा सके। उसके बाद अध्यक्ष महोदय, इस कंपनी के बारे में हमने आकलन किया और एम्स में पता किया। जहां यह मशीन लेटेस्ट लगी हुई थी उसका एम्स में पता करने के बाद इसकी कॉस्ट जो हमने

31.03.2025/1110/बी.एस./वाई.के.-2

आंकी। आपने एक तो मेंटेनेंस की बात की है, 5 साल की इसकी मेंटेनेंस है और जो एम्स में मेंटेनेंस का खर्चा है वही हिमाचल प्रदेश की सरकार टेंडर के माध्यम से उनसे ले रही है।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय 1.20 करोड़ रुपया यह सस्ती ली गई है। दो मशीनों का ऑर्डर था, टेंडर में वेरिफेशन थी हमने उसको बोला कि इसी रेट पर दो और मशीने चाहिए। हमने पिछले कल भी कहा। अब हम उनसे दो और मंगवाना चाहते थे परंतु वे मुकर गए। उन्होंने कहा कि अब कॉस्ट बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि अभी हमने एम्स में इसे 31-32

करोड़ में दिया है। इसलिए यह हमें सस्ती पड़ी है। एक तो यह कहना चाहता हूं और पूरी मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी 5 साल तक करेगी।

दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश मेडिकल कॉरपोरेशन की बात आपने की है कि उसमें किस प्रकार की दवाइयों की खरीद रही है। मेरे ख्याल से हमने पूरा रिप्लाइ इसमें दिया हुआ है कि मेडिकल कॉरपोरेशन ने जो भी मेडिसिन्स खरीदी हैं वह स्वास्थ्य मंत्री जी की अध्यक्षता में खरीदी गई हैं। अगर कहीं कोई ऐसी बात है तो आप मेरे ध्यान में ला सकते हैं।

अध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र शौरी : उपस्थित नहीं।

लास्ट सप्लीमेंट्री आदरणीय राकेश जम्वाल जी। This is a detailed information and the Hon'ble Chief Minister, not once, but many times has informed the House. That is a part of the record.

श्री राकेश जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया है, मैंने पूछा कि गरीब व्यक्ति के लिए इतनी महंगी सर्जरी करवाना संभव नहीं है, क्या हिमकेयर और आयुष्मान से इस इलाज को किया जा सकता है? मुख्य मंत्री ने कहा कि ऑडिट चल रहा है तो क्या ऑडिट खत्म होने के बाद हिमकेयर में कवर होगी? और आयुष्मान भारत का तो कोई ऑडिट ऐसा नहीं चल रहा है। क्या यह रोबोटिक सर्जरी आयुष्मान भारत के अंतर्गत कवर होगी?

31.03.2025/1110/बी.एस./वाई.के.-3

दूसरा, मुख्य मंत्री जी ने कहा कि इस सर्जरी का खर्चा एक लाख रुपये आएगा। मेरा प्रश्न था कि इसमें जो एसेसरी यूज होती है, आपने कहा कि वन टाइम यूज होती है, तो क्या वह एक लाख में इंकलूड है या इसके अलावा उसका खर्चा वह मरीज को वहन करना पड़ेगा?

तीसरा, मुख्य मंत्री जी, एम0आर0आई0 की मशीन को लेकर भी हमारा प्रश्न था। एम0आर0आई0 की मशीन नेरचौक के लिए आपका जवाब आया है कि आ गई है और

जल्दी स्थापित कर दी जाएगी। यह जल्दी कब तक? 2-3-4-5 और 6 महीने। यह मैं मुख्य मंत्री से जानना चाहता हूँ।

मुख्य मंत्री : श्री डी.टी. द्वारा जारी.....

31.03.2026/1110/DT/YK-1

प्रश्न संख्या 4139 जारी...

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आयुष्मान भारत योजना का पैकेज भारत सरकार के द्वारा तय किया गया है और उसी के मानदंडों के अनुसार इसके पैकेज दिए जाते हैं। आयुष्मान भारत योजना में रोबोटिक सर्जरी से इलाज का कोई भी पैकेज का प्रावधान नहीं किया गया है। इस संबंध में हिमकेयर योजना में भी कुछ नहीं दर्शाया गया है। हिमकेयर को आयुष्मान भारत योजना के पैकेज के आधार पर ही अडोप्ट कर लिया गया था। इसलिए जो आयुष्मान भारत योजना का पैकेज है वही हिमकेयर योजना का भी पैकेज है। रोबोटिक सर्जरी को इसमें शामिल करने के बारे में हमें विचार करना पड़ेगा और अभी एक लाख रुपये का खर्च करके प्राइवेट आदमी उसमें रोबोटिक सर्जरी करवा सकता है। इसमें पूरा खर्चा एक लाख रुपये आता है।

तीसरी बात जो माननीय सदस्य ने कही कि जल्दी मशीन आ जाएगी या नहीं? इसके संबंध में इनको बताना चाहूंगा कि यह मशीन काफी बड़ी होती है और यह बाहर से एक्सपोर्ट करवानी पड़ती है। अभी यह मशीन हमरीपुर मेडिकल कॉलेज और नेर चौक मेडिकल कॉलेज में स्थापित करने के लिए पहुंच गई है। जब मैंने माननीय नेता प्रतिपक्ष को इस संबंध में पहले बताया था तो उस समय ये मशीनें वहां नहीं पहुंची थी, लेकिन अब ये मशीनें पहुंच चुकी हैं। अब इन्हें लगाने की प्रक्रिया शुरू होगी। इन मशीनों का रेजोल्यूशन बहुत ही अच्छा है उनमें साफ नहर आता है क्योंकि आई0जी0एम0सी0 में जब रोबोटिक सर्जरी की पहली मशीन लगाई गई थी उसमें मैंने देखा था। अभी हमने पांच चिकित्सा संस्थानों के लिए यह रोबोटिक सर्जरी मशीन दी हैं और ये मशीनें केद्र सरकार के उपक्रम हाइट के माध्यम से दी गई है। मेरा मानना है कि इससे जो हमारा डायग्नोस्टिक सिस्टम है उसमें काफी अच्छा बदलाव आयेगा। जैसा माननीय सदस्य श्री केवल सिंह पठानिया जी

बोल रहे थे कि मुख्य मंत्री का सपना प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना है। मेरा सपना सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं को ही सुदृढ़ करना नहीं है बल्कि मेरा सपना है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा के स्तर को हाइ-एंड टेक्नोलॉजी देना। स्वास्थ्य सेवाओं को उच्चतर किस्म की टेक्नोलॉजी देना और शिक्षा के क्षेत्र में रिफार्म करना है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम दोनों ही क्षेत्रों में व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए हाइ-एंड की ओर बढ़ें।

31.03.2026/1110/DT/YK-2

रहे हैं। अभी यह शुरूवात है और जैसे-जैसे इन क्षेत्रों में नई टेक्नोलॉजी आयेगी, जैसे की कुछ समय बाद ए0आई0 इनेबल्ड टेक्नोलॉजी आने वाली है, हम जरूर उस दिशा में भी काम करेंगे। जैसे-जैसे हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होगी हम इसमें गरीब आदमी का ख्याल भी रखेंगे।

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष मैंने पहले ही लास्ट सप्लीमेंट्री बोल दिया था। मुझे पता है कि आपका लास्ट बोलने के बाद जरूर कुछ और प्रश्न होगा। फिर जो मेरा लास्ट का आर्डर है उसको आप डायल्यूट करेंगे। मैं आपसे यह जरूर कहूंगा कि आपने शायद लिखित उत्तर को नहीं देखा इसमें काफी डिटेल् में उत्तर दिया गया है।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, चलो एक बात मान ली सरकार हैल्थ सैक्टर में हाइ-एण्ड टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रही है, उस दिशा की ओर जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि प्राइवेट व्यक्ति इसमें एक लाख रुपये खर्च करके इलाज करवा सकता है। हो सकता है इसमें अलग-अलग पैकेज होंगे, एक व्यक्ति को अपना आप्रेशन करवाने के लिए एक लाख रुपये खर्च करने होंगे क्योंकि यह आयुष्मान भारत योजना और हिमकेयर योजना में कवर्ड नहीं हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि यह सुविधा उन्ही लोगों के लिए होगी जो इसको वहन कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि अभी तक यह सुविधा गरीब लोगों के लिए नहीं है। ऐसी सूरत में जब कि इन मशीनों के टेंडर दो स्थानों के लिए हुए थे पर सरकार इन मशीनों को पांच स्थानों के लिए खरीद रही है। सरकार एक फैसले के अंतर्गत सीधे पांच स्थानों में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा का प्रावधान करवाने जा

रही हैं। यह सुविधा मंहगी भी बहुत है और इसमें राज्य सरकार को पैसा भी खर्च करना पड़ रहा है और उसके बाद मरीज को भी इससे उपचार करवाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसके लिए अभी विभाग के पास ट्रेड स्टाफ भी नहीं है। इसलिए ही प्रश्न खड़े हो रहे हैं। मुख्य मंत्री जी तो यही कर रहे हैं कि jump to the conclusion यानी जब पांच मशीनें लेनी है तो लेनी है। सरकार दो मशीनों के साथ यह सर्जरी शुरू कर सकते थी। इसके बाद धिरे-धिरे स्टाफ को ट्रेनिंग देने के बाद इस दिशा में आगे बढ़ कर सकती थी। उसके बाद आप इसके लिए हिमकेयर में या आयुष्मान भारत योजना में प्रोविजन करके इसका पैकेज भी इसमें शामिल कर देते उसके बाद यह सुविधा लोगों को दे सकते थे। यह

31.03.2026/1110/DT/YK-3

वजह प्रदेश के लोगों की समझ में नहीं आ रही है, न ही हमारी समझ में आ रही है-यानी किसी के भी समझ में नहीं आ रही।

अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री से पूछना चाहूंगा कि जो इस प्रकार के प्रश्न खड़े हो रहे हैं इनका जवाब ये कैसे देंगे? इसके बारे में माननीय सदन को अवगत तो करवाइये। गरीब लोगों के लिए इस टेक्नोलॉजी का लाभ लेना कठिन है क्योंकि यह इतना महंगा है।

एन0जी0 द्वारा जारी...

31.03.2026/1120/ए.जी.-एन.जी./1

प्रश्न संख्या-4139.....जारी श्री जय राम ठाकुर..... जारी

दूसरी बात, आपने अभी तक बहुत सारे स्टाफ को ट्रेनिंग देनी है या डॉक्टरों को भी देनी है। वह अभी तक आपकी कम्प्लीट नहीं है। वह प्रोसेस अभी भी चल रहा है और it will take much more time. मैं कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों को आपने सुविधा देनी है उनके लिए जब दो मशीनों से आपका प्रदेश चल सकता था तो ये पांच मशीनें लेने की वजह क्या

बनी? जो गरीब लोग हैं, जिनको हिमकेयर योजना व आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत यह पैकेज अभी तक उपलब्ध नहीं है, उनके बारे में क्या फैसला लिया गया है? उनके इलाज को क्या आप भगवान भरोसे छोड़ देंगे? क्या आप उन्हें ऐसा कहेंगे कि आपको ये-ये स्तर की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि आप गरीब हैं? आपका तो पेट फाड़कर या टांग चीरकर ही आपका ऑपरेशन होगा। इन सब चीजों को लेकर मुख्य मंत्री जी, आपको स्पष्ट करना चाहिए। We should know at least कि जल्दबाजी में ऐसा फैसला क्यों लिया गया?

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी, आप नेता प्रतिपक्ष जी के 3-4 प्वाइंट्स को क्लियर कर दीजिए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष रोबोटिक सर्जरी का विरोध कर रहे हैं...(व्यवधान) शायद इनकी सोच तो पट्टियां व डिटोल तक ही रही होगी। हमारी सोच क्या है उसके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैंने कहा कि जो भी चीज एम्स में होगी और जो स्पेसिफिकेशन होगी, उसको हम लाएंगे और उसमें कॉस्ट नहीं देखी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, अभी क्या होता है, अभी होता यह है कि एक जोनल हॉस्पिटल से एक मरीज ट्रांसफर होता है। जब कोई बीमार हो जाता है और ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है तो उस आम आदमी का पूरा परिवार चेक करवाने आता है। उसके बाद टेस्ट होते हैं और उसे रेफर कर दिया जाता है। फिर वह मैडिकल कॉलेज में आ जाता है।

31.03.2026/1120/ए.जी.-एन.जी./2

शिमला जैसे मैडिकल कॉलेज में भी, जोकि राजधानी का मैडिकल कॉलेज है, यहां पर एम0आर0आई0 की 20-20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी की मशीनें लगी हुई हैं। एक्स-रे की मशीनें 10—10 साल पुरानी हैं।...(व्यवधान) मैं रोबोट के विषय पर ही आ रहा हूं। हमारे स्वास्थ्य संस्थानों में 10—10 साल पुरानी मशीनें लगी हुई हैं। जब मैंने आकलन किया और हम लोगों ने सोचा कि इस तरह तो एक गरीब आदमी, जिसके लिए आप सब्सिडी की बात

कर रहे हैं, वह रेफर होते-होते पी०एच०सी से जोनल हॉस्पिटल से मैडिकल कॉलेज और फिर पी०जी०आई० या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर दो-दो लाख रुपये खर्च कर देता है। रोबोटिक सर्जरी में सबसे बड़ा फायदा एक्युरेसी का होता है। इसका इलाज बहुत प्रिसाइज़ होता है और मरीज बिल्कुल ठीक होकर घर जाता है। मैं यह सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं स्वयं इसका भुगतभोगी हूँ और मैं इसके संदर्भ में जानता हूँ। इसमें 3 प्रकार की सर्जरी होती है। इसमें गायनी, जी०आई० और यूरो आदि की सर्जरी होती है। नेता प्रतिपक्ष जी कह रहे हैं कि डॉक्टर्स ट्रेंड नहीं हैं। इन्होंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैंने कहा था कि सभी डॉक्टर्स ट्रेंड हैं और ये डॉक्टर्स अन्यो को भी ट्रेंड करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे 20 डॉक्टर्स और 16 स्टाफ नर्स ट्रेंड हैं। जहां पर रोबोटिक सर्जरी शुरू हुई है वहां का स्टाफ भी ट्रेंड है। हमारे 10 ओ०टी० भी ट्रेंड हैं। जब दूसरी सर्जरी, जैसे गायनी की सर्जरी होगी, तो पहले उसके लिए एक महीने की ट्रेनिंग करवाएंगे और स्टाफ नर्स को भी ट्रेनिंग देंगे। मेरे पास पूर्व में ट्रेनिंग की जानकारी नहीं थी, यह अभी आई है और मैं इसे माननीय सदन में रखना चाह रहा था।

नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा कि इसमें एक लाख रुपये लगते हैं। लेकिन अभी हम इसमें आम आदमी के लिए 70,000/- रुपये की सब्सिडी दे रहे हैं यानी 30,000/- रुपये में रोबोटिक सर्जरी हो रही है। हम पैसा किससे ले रहे हैं? हम उससे पैसा ले रहे हैं, जो स्पेशल वार्ड ले रहा है, जो स्पेशल वार्ड लेकर 1500 रुपये अपने कमरे का खर्च कर रहा है, उसी से हमने 50,000 रुपये तक का शुल्क रखा है।

31.03.2026/1120/ए.जी.-एन.जी./3

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी, आपने यह बात उत्तर में भी लिखी है।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं आपको यह भी कहना चाहता हूँ कि हमने अभी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल चमियाना बना दिया है। हमने कहा है कि रोबोटिक सर्जरी

का खर्चा, क्योंकि हमने आई0जी0एम0सी0 में भी मशीन लगा दी है और अगर कोई अच्छी सुविधाएं लेना चाहता है तो हम अच्छी सुविधाओं और हाई-एंड टेक्नोलॉजी को इसलिए ला रहे हैं ताकि सुविधाएं मेंटेन रह सकें। नहीं तो मशीनें बंद हो जाएंगी और उसका क्या फायदा होगा? मैं यह कहना चाहता हूं। ...(व्यवधान) कर्मचारियों को इसमें पूरा रिएमबर्समेंट मिलेगा। धन्यवाद।

Speaker : Before I come for the questions of the day, I would like to inform the Hon'ble Members that today in the House, our former MLA, Shri Ajay Mahajan, is here, and DAV School, Solan, is also witnessing the proceedings of the Vidhan Sabha. This is for the information of the Hon'ble Members. Now, the questions for the day.

अगला प्रश्न -----श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

31.03.2026/1125/ए0जी0/ए0पी0-01

प्रश्न संख्या : 4220

श्री सतपाल सिंह सती : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा था तो उस समय दस गारंटियों में से यह भी एक गारंटी थी कि गाय और भैंस का दूध हम निश्चित रेट में खरीदेंगे। लेकिन अभी तक जिन लोगों से दूध लिया जा रहा है, वह दूध मिल्कफैड के माध्यम से लिया जा रहा है और उसके आगे सोसाइटीयां हैं। सोसाइटीयों के माध्यम से ही दूध मिल्कफैड को आता है। हमारे क्षेत्र में कई दूध उत्पादक किसान हैं जो मिल्कफैड को दूध दे रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि पिछले तीन महीनों से उन्हें भुगतान नहीं मिला है। हालांकि आपने उत्तर दिया है कि सभी को जनवरी माह तक के दूध का पैसा दे दिया है। लेकिन जब वे मुझसे मिले थे, लगभग डेढ़ महीने पहले तब उनका कहना था कि उन्हें दूध का पैसा नहीं मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि उनसे 20 लीटर से ज्यादा दूध नहीं खरीदा जा रहा है। जबकि वहां डेयरी सिस्टम है और लोगों ने ज्यादा पशु रखे हुए हैं। क्या इन सभी लोगों का

बकाया सरकार जल्द जारी करेगी? इसके अलावा जितना दूध वे उत्पादन करते हैं और सरकार को देना चाहते हैं क्योंकि सरकार की प्रोत्साहन राशि के कारण उन्होंने अपना डेयरी सिस्टम शुरू किया है और अपनी आर्थिकी को मजबूत करने का प्रयास किया है। जितना वह किसान दूध बेचना चाहता है तो क्या सरकार उनका पूरा दूध खरीदेगी? यह मैं कृषि मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ।

कृषि मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री सतपाल सिंह सत्ती जी ने दूध के भुगतान के बारे में कहा है। हमने जनवरी 2026 तक का दूध का सारा भुगतान कर दिया है। अब फरवरी का भुगतान ड्यू है। इसके साथ ही मार्च का भुगतान अप्रैल में ड्यू होगा। हम अप्रैल माह में फरवरी और मार्च माह का दूध का पूरा भुगतान कर देंगे। दूसरी बात यह है कि हम जो दूध लेते हैं वह हमारी रजिस्टर्ड सोसाइटीयों के माध्यम से लिया जाता है। जो सोसाइटीयां लोगों से दूध लेती हैं, उनका पंजीकरण होता है और उसी के माध्यम से हम दूध कलेक्ट करते हैं। लोग उन सोसाइटीयों के सदस्य होते हैं और उन्हें दूध देते हैं और हम उन्हीं से दूध लेते हैं। जो दूध उत्पादक होते हैं। उनके मापदंड के अनुसार, जैसे फैट्स कितना है, एस0एन0एफ0 कितना है, उसी को आधार मान करके हम दूध प्रोक्योर करते हैं। इस प्रकार से हम उनसे दूध लेते हैं।

31.03.2026/1125/ए0जी0/ए0पी0-02

श्री अनिल शर्मा: अध्यक्ष जी, माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा है कि जनवरी 2026 तक दूध का भुगतान कर दिया गया है। मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न यह है कि जैसा मैंने बजट में भी कहा था कि जनवरी 2025 में मंडी में 47,628 लीटर दूध की कलेक्शन थी जो अब बढ़कर 1,08,093 लीटर हो गई है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि कितनी सोसाइटीयां हैं जो चक्कर में दूध देने के लिए लाइन में खड़ी हैं? क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार, सोसाइटी के माध्यम से ही दूध लिया जाता है और फैट्स तथा एस0एन0एफ0 के आधार पर लिया जाता है। कितनी सोसाइटीयां हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया है? मेरी जानकारी के मुताबिक लगभग 150 सोसाइटीयां ऐसी हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया हुआ है। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि कलेक्शन बढ़ने के कारण चिलिंग प्लांट की क्षमता 50,000 लीटर ही है। पासचुराइजेशन के लिए दूध को समय लगता है। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जो दूध सोसाइटीयों से आता है

वह 4-5 घंटे तक केनों में पड़ा रहता है। जब दूध इतने समय तक पड़ा रहता है तो वह फट जाता है। उसका दोष सीधे सोसाइटीयों पर डाल दिया जाता है कि उनका दूध फट गया। मेरा माननीय मंत्री जी से यह भी कहना है कि आपने कलेक्शन में एक दिन का हॉलीडे भी शुरू कर दिया है। एक दिन कलेक्शन करते हैं और एक दिन ब्रेक दे देते हैं। अब एक दिन के इस ब्रेक के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब ऐसे-ऐसे लोग भी हैं जो एक ही दिन में 20-30 लीटर दूध का उत्पादन कर रहे हैं।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी

31.03.2026/1130/AT/AS/01

प्रश्न संख्या 4420 जारी.....

श्री अनिल शर्मा जारी...

ऐसे लोग भी हैं जिनके पास रोज़ 20-30 लीटर दूध हो रहा है। यदि आप एक दिन भी कलेक्शन नहीं करेंगे तो 30 लीटर दूध कहां जाएगा? यदि आपने कोई काम शुरू किया है तो वह फुल-प्रूफ होना चाहिए यानी रोज़ाना कलेक्शन होना चाहिए। मेरा केवल यही मुद्दा है कि कलेक्शन बढ़ गई है, यह अच्छी बात है जैसा कि मैंने जिक्र किया है। लेकिन जब तक इसकी चिलिंग नहीं होगी तब तक हमें चिलिंग सेंटर खोलने पड़ेंगे और पाश्चराइजेशन का काम करना पड़ेगा।

आपके पास दूध के दो ही तरीके हैं या तो इसे दिल्ली भेजें या फिर इसका मिल्क पाउडर और अन्य प्रोडक्ट बनाएं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अक्सर इसमें प्रश्न ज़्यादा आ जाते हैं। इसलिए यह कहना चाहता हूं कि जो दूध बचता है उसे आप कटुआ भेज देते हैं मिल्क पाउडर बनाने के लिए। जो दूध आप दिल्ली भेजते हैं उसमें 4 प्रतिशत फैट और 8.5 प्रतिशत एस0एन0एफ0 होना चाहिए ताकि अच्छी क्वालिटी का दूध लिया जा सके। माननीय मुख्य मंत्री जी यह बहुत बड़ा और चुनौतीपूर्ण काम है, आपने यह काम अपने हाथ में लिया है, यह बहुत चुनौतीपूर्ण है।

अंत में मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि आपका मिल्क पाउडर बिक नहीं रहा है। जो पैसा आप कठुआ में मिल्क पाउडर बनाने के लिए भेजते हैं वह सारा पैसा स्टोर हो रहा है। जब तक आप मिल्क पाउडर का उपयोग री-कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे तब तक वह पड़ा रहेगा। यदि आप उसे बेचेंगे नहीं तो आपका पैसा भी ब्लॉक होता रहेगा।

इन बिंदुओं पर मैं माननीय मंत्री से जवाब चाहूंगा कि यदि आपकी कलेक्शन बढ़ती है तो इसके उपर क्या कदम उठाने जा रहे हैं? यदि दूध फटता है तो उसके लिए क्या व्यवस्था होगी? यह मैं मंत्री जी से जवाब चाहता हूँ।

31.03.2026/1130/AT/AS/02

कृषि मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने विस्तार से सवाल पूछा है क्योंकि ये स्वयं भी मिल्क फेड के मंत्री रह चुके हैं। हमने पहले 583 डेयरी सोसाइटी रजिस्टर की थीं जो पिछले तीन वर्षों में बढ़कर 768 हो गई हैं। उनकी मेंबरशिप भी 27,498 से बढ़कर 39,790 हो गई है। इससे दूध देने वालों की संख्या बढ़ी है और हमारी क्षमता पर भी दबाव पड़ा है। हमारे प्लांट्स में इतनी क्षमता नहीं है कि हम सारा दूध प्रोसेस कर सकें। लेकिन कुछ प्रोसेसिंग सेंटर और बल्क मिल्क कूलर लगाए गए हैं, जहां लगभग 12 तरह के बाय-प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। जो अतिरिक्त दूध होता है उसे हम दिल्ली की मदर डेयरी को भेजते हैं। जहां तक मिल्क पाउडर का सवाल है, पहले हम पाउडर बनाते थे लेकिन मुख्य मंत्री जी के निर्देशानुसार अब पाउडर की जगह घी बनाया जाएगा। ताकि बाय-प्रोडक्ट्स के जरिए बेहतर मूल्य प्राप्त हो सके। हमारा ढगवार में नया प्लांट बन रहा है जिसका उद्घाटन सितंबर-अक्टूबर में होगा। इसकी क्षमता लगभग डेढ़ लाख लीटर दूध प्रोसेस करने की होगी। जिससे हम बाय-प्रोडक्ट्स बनाएंगे।

इसके अलावा, हमने कुछ नए प्रोसेसिंग और चिलिंग प्लांट भी लगाए हैं। जाइका (JICA) के सहयोग से जालाड़ी (हमीरपुर) और जलेड़ा (ऊना) में चिलिंग प्लांट लगाए जा रहे हैं। जिसके लिए हमें जाइका ने पैसे भी दिये हैं साथ ही, कुल्लू के मोहाल में भी मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाएगा। इन प्लांट्स की संख्या बढ़ाकर हम अधिक मात्रा में आने

वाले दूध को सही तरीके से चिलिंग और प्रोसेस कर पाएंगे, जिससे उसकी गुणवत्ता भी बनी रहेगी और बाय-प्रोडक्ट्स भी बनाए जा सकेंगे।

अध्यक्ष : एक बिंदु रह गया है कि कितनी ऐसी सोसाइटीज हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया है और जिनका रजिस्ट्रेशन अभी तक पेंडिंग है?

कृषि मंत्री श्रीमती के0एस0द्वारा जारी.....

31.03.2026/1135/केएस/एस/1

प्रश्न संख्या : 4220 जारी

कृषि मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमारे पास अभी ऐसी सूचना नहीं है कि कितनी और सोसाइटियों ने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है परंतु हमने काफी सोसाइटियां रजिस्टर्ड की हैं। कोई और भी सोसाइटी अगर दूध देने के लिए रजिस्टर्ड होना चाहती है तो हमारी तरफ से कोई मना नहीं है।

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष जी, माननीय अनिल शर्मा जी ने जो बात अपने प्रश्न के माध्यम से रखी है, मैं भी उसमें अपने आप को शामिल कर रहा हूं। मैं मुख्य मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं क्योंकि मुख्य मंत्री जी पिछले दो वर्षों से एक अति महत्वकांक्षी योजना धरातल पर उतारना चाहते थे जिससे दूध की गुणवत्ता और आम जनता की इकोनॉमी में सुधार आए। मुख्य मंत्री जी की इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने भी अपने क्षेत्र में काम करना शुरू किया। यह बात ठीक है कि मण्डी के अंदर 50 से 70 हजार की केपेसिटी का बहुत पुराना प्लांट है। अचानक से बूम आया और दूध के रेट में ऐतिहासिक वृद्धि हुई। अगर मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो इतने वर्षों से आज तक एक भी दूध की सासाइटी वहां नहीं थी। अब हमने पिछले दो साल के अंदर 30 सोसाइटियां रजिस्टर्ड की हैं। उनमें मात्र 5 सोसाइटियों का दूध अभी तक प्रोक्योर हो पा रहा है। यही हाल सिराज क्षेत्र के अंदर भी है। वहां तो पहले से ही बहुत काम होता रहा है लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार लगभग 50 सोसाइटियां सिराज क्षेत्र की इन वेटिंग हैं। अचानक से जनता के बीच में एक बहुत बड़ा संदेश गया है कि दूध में सरकार बहुत ही गम्भीरता से

काम कर रही है। मण्डी के प्लांट के ऊपर एक बड़ी लायबिलिटी खड़ी हो गई है। यह लायबिलिटी अब मण्डी का प्लांट नहीं उठा पाएगा क्योंकि जो सबसे बड़ा रामपुर में प्लांट है वह बहुत दूर है। मुख्य मंत्री जी ने ढगवार मिल्क प्लांट वाला एक बहुत ऐतिहासिक कदम उठाया। इस प्लांट में डेढ़ लाख लीटर दूध की केपेसिटी है। यहां पर मुख्य मंत्री जी और कृषि मंत्री जी भी बैठे हैं, मेरा क्षेत्र भी ढगवार के नज़दीक है जबकि इसमें आप अभी तक कांगड़ा, ऊना और हमीरपुर को टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि मण्डी का प्लांट अभी इस केपेसिटी के साथ आगे नहीं बढ़ पाएगा तो मैं चाहता हूँ कि धर्मपुर विधान सभा चुनाव क्षेत्र को भी इसी ढगवार प्लांट के साथ अटैच किया जाए।

31.03.2026/1135/केएस/एस/2

दूसरे, अनिल शर्मा जी ने जो बहुत से सुझाव दिए मैं उनसे सहमत हूँ कि इस वक्त इसमें निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिलना चाहिए क्योंकि आपने एम0एस0पी0 तो दी है और अगर इस वक्त इसमें निजी क्षेत्र आता है मुझे लगता है कि अमूल या दूसरे जो ग्रुप्स हैं, हमीरपुर के अंदर उनकी कदमताल भी हुई है। ये चीजें अब धीरे-धीरे जनता के बीच में आई हैं और एक नई चेतना दूध को ले कर आई है। जो आप आत्मनिर्भर हिमाचल की बात कहते हैं, यह उसी की शुरुआत है और इसमें नौजवान भी आगे आ कर काम करना चाहते हैं। अच्छी देसी नस्लों के ऊपर काम होना शुरू हुआ है। यह एक बहुआयामी कार्य है। मात्र दूध की प्रोक्योरमेंट का प्रश्न नहीं है। बहुआयामी है इसमें कई डाइमेंशन्स हैं और मुख्य मंत्री जी ने जिस तरह से बहुत ऐतिहासिक और क्रांतिकारी निर्णय लिया है इसके दूरगामी नतीजे होंगे, इसको इतिहास में दर्ज किया जाएगा। लेकिन इसमें अब जल्दी आवश्यक फैसले लेने का समय है और जो सोसाइटीज़ अभी अपना दूध नहीं दे पा रही हैं और प्रोक्योर नहीं हो पा रहा है वहां पर उनमें हताशा भी आ रही है। हताशा भी आ रही है और लोगों के सामने नए उदाहरण भी पेश हो रहे हैं तो देखा-देखी में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंदर एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आया है जो लोगों को कृषि क्षेत्र से भी जोड़ेगा और कृषि क्षेत्र को ऑर्गेनिक की तरफ भी ले जाएगा। ये सारी बातें प्रमुखता से देखी जानी चाहिए मैं मुख्य मंत्री जी से चाहता हूँ कि वे इसमें निर्णायक हस्तक्षेप करें।

Speaker : Before that I request the Hon'ble Chief Minister, my special request to all the Hon'ble Members, please no debate-no *Bhashan*, This is the second Question yet and more than half an hour has been lapsed. So, please ask the pointing supplementary. There is no need to give a *Bhashan* on this. You must ask a pointed supplementary.

मुख्य मंत्री श्रीमती अ०व० द्वारा जारी-----

31.03.2026/1140/av/dc/1

प्रश्न संख्या : 4220----- क्रमागत

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपने ठीक कहा कि अनुपूरक प्रश्न के रूप में भाषण ही हो रहा है।

हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए कार्य कर रही है। गांवों में रोज़गार के अवसर कैसे पैदा हो और पूरे विश्व में पहाड़ी क्षेत्रों में डेरी इण्डस्ट्री को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। ऐसा पहली बार हुआ है कि दूध उत्पादक के मन में एक भावना पैदा हुई कि हमें दूध बेचकर अपना रोज़गार पैदा करना है। हमारी सरकार की 10 गारंटीज में एक गारंटी यह भी लिखी है कि हम प्रत्येक परिवार से 10 लीटर्ज दूध लेंगे। मैं माननीय श्री सतपाल सिंह सत्ती के प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ और मैंने गारंटीज से संबंधित कागज अपनी जेब में ही रखा है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि पहले इस तरफ कोई सोचता ही नहीं था। माननीय सदस्य श्री अनिल शर्मा ने ठीक कहा कि मिल्क फ़ैडरेशन के अंतर्गत पहले हर बजट में एक या दो रुपये बढ़ा दिए जाते थे। लेकिन हमारी सरकार का कृषि विभाग सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। अगर किसी चीज में परिवर्तन लाना हो तो पहले उसके लिए सोच में परिवर्तन लाने की जरूरत होती है। पहले तो इस बारे में अधिकारी ही नहीं सोचते थे। मैं जब दूध के रेट बढ़ाने लगा तो अधिकारी का यह सवाल था कि इतना रेट बढ़ा रहे परंतु पैसा कहां से लाएंगे? हमने दूध के रेट बढ़ाकर उसके लिए साधन पैदा कर दिए और हम पैसा लोगों में बांट रहे हैं तो उससे अब हमारे लोग आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहे हैं। माननीय मंत्री ने ढगवार वाले प्लांट के बारे में सही उत्तर दिया क्योंकि वह हमारा हाई

एण्ड टैक्नोलॉजी वाला प्लांट है। अभी मैंने और मंत्री जी ने उसके लिए हस्ताक्षर किए हैं और हमने नेशनल डवलपमेंट डेरी बोर्ड को कहा है कि इसको आप ही चलाइए। उसके इंसेंटिव के स्वरूप को बदलकर हम उसे डायरेक्ट किसानों के हाथों में देने जा रहे हैं। अभी जो हम दूध पी रहे हैं वह किस प्रकार का आ रहा है, उसकी क्या क्वालिटी है, उसमें कितना फैट या एस0एन0एफ0 है। इन सारी चीजों को अभी हम देख नहीं पा रहे हैं परंतु ढगवार वाले प्लांट में डेढ़ लाख लीटर्ज दूध जाएगा जिसमें चार-पांच प्रकार की चीजें जैसे मुजरैला, पनीर, दही, लस्सी और दूध बनेगा। उस प्लांट में बहुत अच्छी क्वालिटी का दूध बनेगा। उस प्लांट को शुरू होने में अभी 6 महीने का समय और लगेगा तथा यहां पर जैसे अभी

31.03.2026/1140/av/dc/2

माननीय सदस्य कह रहे थे कि उससे मेरे विधान सभा क्षेत्र को भी जोड़ा जाए तो उसके लिए मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि **उसके बारे में अध्ययन किया जाए।** यह डेरी इण्डस्ट्री का पहला प्लांट नहीं है। आपने जैसे कहा कि चक्कर में केवल 50 हजार लीटर्ज की प्रोसेसिंग हो पा रही है। ऐसा ही रामपुर में भी है। हो क्या रहा है कि हम यहां से 90 हजार से 1 लाख लीटर्ज दूध अमूल को बेच रहे हैं। उसके बाद अमूल वाले उसमें से सारा फैट्स निकालकर उसी दूध को यहां पर बेच रहे हैं। हम इन सारी चीजों पर ध्यान दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर दूध के पाउडर की बात की जाए तो यह मार्किटिंग रेट पर निर्भर करता है जोकि कई बार कम मिलता है। इसलिए हमने कहा कि पाउडर की जगह इसको घी की तरफ कंवर्ट करते हैं। हम घी को हिमाचल में ही बेचेंगे और हमें चाहे अपना घी सस्ता ही बेचना पड़े, डेरी इण्डस्ट्री को डवलप करने के लिए हम सस्ता बेचने के लिए भी तैयार हैं क्योंकि जितना वर्तमान में दूध बढ़ा है उस हिसाब से हमारे पास प्रोसेसिंग प्लांट्स नहीं हैं। हमारा ढगवार वाला लगभग एक वर्ष में शुरू होगा और फिर मण्डी के चक्कर वाले प्लांट को भी अभी से शुरू करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त हम माननीय मंत्री से दत्त नगर वाले प्लांट के बारे में भी बात करेंगे कि इसमें हमें कैसे आगे बढ़ना है। इसके अलावा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन तो एक नियमित प्रक्रिया है।

श्री लोकेन्दर कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मुख्य मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि अभी प्रदेश के अंदर बाहर से कितना दूध आ रहा है और इसके अंतर्गत सभी जिले कब तक लाए जाएंगे? आप यहां पर जैसे ढगवार प्लांट की बात कर रहे हैं, मेरा इस बारे में प्रश्न भी लगा था। मैं यह कहना चाहूंगा कि कांगड़ा और इसके आस-पास के एरियाज से लगभग 18000 लीटर्ज दूध इकट्ठा हो रहा था जबकि हमारे दत्त नगर में 1 लाख लीटर्ज दूध इकट्ठा हो रहा है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या दत्त नगर से दूध वहां पहुंच जाएगा ताकि जो वहां पर बच रहा है उसकी कुछ प्रोडक्शन उस प्लांट में हो? इसके साथ ही मैं बी०एम०सी० के चिल्लिंग प्लांट में पेश आ रही एक दिक्कत के बारे में भी कहना चाहूंगा। वहां पर दूध तोलने के लिए कांटा नहीं रखा गया है और हर सोसाइटी का लगभग प्रत्येक महीने में हरिपुर चिल्लिंग प्लांट में 500 से 600 लीटर्ज दूध कम हो रहा है। कृपया इस समस्या के समाधान बारे भी कुछ कहने की कृपा करें।

टी सी द्वारा जारी

31.03.2026/1145/टी०सी०वी०/डी०सी०-1

प्रश्न संख्या : 4220 क्रमागत

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह प्रश्न इससे संबंधित नहीं है ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री महोदय, इनके कहने का अभिप्राय यह है कि आज भी हिमाचल प्रदेश में मिल्क फेडरेशन का दूध पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है और लोगों को वेरका, अमूल तथा अन्य ब्रांड का दूध खरीदना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में सिर्फ कामधेनू एजेंसी का ही दूध उपलब्ध है। If we have lot of production of milk then why can't we supply it to Himachal Pradesh?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाह रहा था लेकिन आपने मेरे बोलने से पहले ही कह दिया। मैं यह कहना चाहता हूं कि दत्त नगर से हम प्रतिदिन 60,000 से 70,000 लीटर दूध लगभग 20 से 25 पैसे प्रति लीटर के नुकसान पर अमूल एजेंसी, दिल्ली को दे

रहे हैं। इसी प्रकार चक्कर, शिमला से भी लगभग 60,000 से 70,000 लीटर दूध लगभग 25-26 पैसे प्रति लीटर के नुकसान पर दिया जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अचानक दूध का उत्पादन बढ़ गया है और हमारे पास पर्याप्त प्रोसेसिंग प्लांट नहीं थे। ढगवार का प्लांट लगभग 6 महीने लेट हो गया है। हमारा उद्देश्य दुग्ध उत्पादकों की आय बढ़ाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है। इस विभाग के बारे में कोई ध्यान नहीं देता लेकिन आने वाले एक वर्ष में इसमें व्यापक सुधार किया जाएगा ताकि जो दूध वर्तमान में बाहर भेजा जा रहा है, वह हिमाचल प्रदेश में ही बिकना शुरू हो सके जिसका जिक्र अध्यक्ष महोदय ने भी किया है। जहां तक सभी जिलों को इस योजना में शामिल करने का प्रश्न है, इसके लिए नोटिफिकेशन सभी जिलों के लिए जारी की गई है।

अध्यक्ष : लेकिन मुख्य मंत्री महोदय आपने जितने नाम लिए उनमें अभी तक चम्बा के प्लांट का नाम नहीं आया। District Chamba produces lot of milk.

31.03.2026/1145/टी0सी0वी0/डी0सी0-2

मुख्य मंत्री : चम्बा, अध्यक्ष महोदय का जिला है और चंबा के पांगी क्षेत्र में 20,000 लीटर क्षमता का प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है जिसमें घी और दुग्ध उत्पादन किया जाएगा। चम्बा के पांगी क्षेत्र को प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पहला सब-डिवीजन घोषित किया गया है। दूग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने का कार्य इसी सरकार के समय में हुआ है इसलिए इसमें थोड़ा समय लगेगा।

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी, सबसे पहला दुग्ध प्लांट श्री हर्ष महाजन जी ने वहीं लगाया था जब वे पशुपालन मंत्री थे लेकिन वह चल नहीं पाया था।

मुख्य मंत्री : उनका काम केवल प्लांट लगाना था हमारा उद्देश्य केवल प्लांट स्थापित करना नहीं बल्कि ग्रामीण लोगों की आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित करना और प्रदेश की 75 लाख जनता को गुणवत्तापूर्ण दूध उपलब्ध कराना है। इनको (विपक्ष) बेसिक जानकारी नहीं है जबकि हमें इसकी बेसिक जानकारी है।

Speaker: ...(Interruption). I am also much concerned about milk. ...(Interruption). Hon'ble Member Anil Sharma ji, I know that your favourite food is milk. ...(Interruption). We all are very fond of milk. Next Question-4221, Kumari Anuradha Rana. ...(Interruption). अच्छा आप स्टेटमेंट करेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है श्री अनिल शर्मा जी आप बोलिए।

श्री अनिल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक-दो प्वाइंट करेक्ट करना चाहता हूँ। मंत्री जी ने कहा कि अनिल शर्मा जी मिल्क फेडरेशन के चेयरमैन रहे हैं जबकि मैं मंत्री रहा हूँ।

दूसरा, हिमाचल प्रदेश में दूध की बिक्री कम होने का एक बहुत बड़ा कारण गुणवत्ता की कमी है। जब तक क्वालिटी में सुधार नहीं किया जाएगा तब तक होल मिल्क की बिक्री बढ़ना कठिन है। वर्तमान में उपलब्धता तो है परंतु उचित डिस्पोजल नहीं हो पा रहा है।

31.03.2026/1145/टी0सी0वी0/डी0सी0-3

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस योजना को व्यापक विचार-विमर्श के बाद शुरू किया गया है। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ढगवार में वर्ल्ड क्लास का प्लांट लगाया जा रहा है ताकि दूध की क्वालिटी एंशोर की जाए सके और प्रदेश का दूध प्रदेश में ही उपयोग हो सके। अभी स्थिति यह है कि हमारा दूध बाहर जाता है और प्रोसेस होकर वापिस प्रदेश में आता है। आने वाले समय में आधुनिक तकनीक के माध्यम से गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा और स्थिति यह होगी कि लोग मिल्क फेडरेशन का ही दूध और घी लेना पसंद करेंगे। भविष्य में गाय के दूध के साथ-साथ बकरी के दूध को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

प्रश्न संख्या 4221 एन0एस0 द्वारा ...शुरू

31-3-2026/1150/NS-HK/1

प्रश्न संख्या : 4221

कुमारी अनुराधा राणा : अध्यक्ष महोदय, मेरे जिला लाहौल और स्पिति में शीतकालीन खेलों की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। वहां पर आईस हॉकी, आईस स्केटिंग स्कींग या स्नो

बोर्डिंग की बात की जाए तो पिछले 5-6 वर्षों में आईस हॉकी में हमारे बच्चों ने लगातार बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है। हम खेलो इंडिया विंटर गेम्ज की बात करते हैं और यह लद्दाख में आयोजित किया गया था और वहां पर हिमाचल की टीम ने लगातार आईस हॉकी में दो ब्राँज मैडल जीते थे। हिमाचल की आईस हॉकी की टीम में अधिकतर बच्चे स्पिति से संबंध रखते हैं। इसके अतिरिक्त जो एशियन लैवल का चैंपियनशिप हुआ था उसमें भी हिमाचल की टीम ने ब्राँज मैडल जीता था जिसमें स्पिति के बच्चे शामिल हैं। आईस हॉकी के लिए नेशनल लैवल पर एफिलिएशन प्राप्त है लेकिन प्रदेश स्तर पर एफिलिएशन प्राप्त नहीं है। एफिलिएशन न मिलने की वजह से बच्चों को भी समस्याओं से जूझना पड़ता है और खेलो इंडिया के अलावा जो हमारे इवेंट होते हैं उसमें सरकार की तरफ से किसी को भी स्पॉन्सर नहीं किया जाता है और बच्चों के माता-पिता को स्वयं खर्च उठाना पड़ता है तथा गरीब बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते जिससे उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर यह गेम स्टेट लैवल से एफिलिएटिड होती है तो बच्चों को स्पोर्ट्स कोटे की संभावनाएं बढ़ जाएंगी और माता-पिता बच्चों को बेजिझक खिलवाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि क्या यह गेम स्टेट लैवल पर एफिलिएटिड होगी? दूसरा, काजा में अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर एक स्टेडियम 75 करोड़ रुपये से निर्मित हो रहा है और यह माइनोंरिटी अफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए मैं प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार का धन्यवाद करती हूँ। मेरा निवेदन रहेगा कि इस प्रकार के और स्टेडियम मेरे क्षेत्र में विकसित हों। इसके लिए लाहौल में भी प्रयास किए जाएं और इसके लिए मैं भी प्रयास कर ही रही हूँ। मेरा मुख्य मंत्री जी व मंत्री जी निवेदन रहेगा कि आप लाहौल के लिए भी स्टेडियम सेंक्शन करवाएं क्योंकि लाहौल और स्पिति भौगोलिक दृष्टि से काफी दूर पड़ते हैं। यदि आपको स्पिति से लाहौल जाना है तो पूरा एक दिन का सफर तय करना पड़ता है। मैं पूछना चाहूंगी कि आईस हॉकी को स्टेट लैवल पर कब तक एफिलिएशन प्राप्त होगी? दूसरा, वहां पर इन्फ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा मजबूत कब तक कर दिया जाएगा?

31-3-2026/1150/NS-HK/2

आयुष मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि इनके इलाके में The Directorate for the Empowerment of SCs, OBCs, Minorities, and the Specially Abled (ESOMSA) कॉर्पोरेशन के माध्यम से पैसा आता है। माननीय सदस्या ने बताया कि इनके इलाके में 7377 लाख रुपये का काजा में एक उच्च ऊंचाई वाले खेल प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण आईस हॉकी रिंग सहित काम किया जा रहा है और इसका काम अभी शुरू ही होने वाला है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पर्वतारोहण उपकेंद्र, जिस्पा में स्पोर्ट्स कलाइबिंग वॉल का निर्माण किया जा रहा है जोकि लगभग 198 लाख रुपये की लागत से बनकर तैयार होगा। जिला पर्वतारोहण, जिस्पा में लड़के/लड़कियों के छात्रावास ब्लॉक का निर्माण किया जा रहा है जिसकी लागत 333 लाख रुपये है जिनमें से 226 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं। उपकेंद्र जिस्पा में खेल और बचाव उपकरणों की खरीद हेतु 433 लाख रुपये में से लगभग 378 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं। माननीय सदस्या ने मेरे से पहले भी यह बात की है और हमने सेक्रेटरी, स्पोर्ट्स, भारत सरकार से बात की थी तो उन्होंने पहले ही ये गेम्ज निर्धारित कर दी हैं जिसमें विंटर गेम्ज गुलमर्ग में हो रही हैं, ट्राइबल गेम्ज छत्तीसगढ़ में हो रही हैं और बीच गेम्ज दमन व दीयू में हो रही हैं तथा ये पहले से ही भारत सरकार ने निर्धारित कर दी हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जैसा कि इन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ी इन गेम्ज में जाते हैं और अभी हाल ही में जो इवेंट गुलमर्ग में हुआ है तो वहां से हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ी लगभग 18 पदक लेकर आए हैं और इसमें 111 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। माननीय सदस्या का मेन फोकस आईस स्केटिंग रिंग में है और मैं जब वहां गया था तो इन्होंने बताया था। भविष्य में इसके बारे में सोच-विचार किया जा सकता है कि इसको स्टेट पॉलिसी में एनरोल किया जाए क्योंकि हमारी स्टेट पॉलिसी वर्ष 2021 में बनी थी और अमेंडिड वर्ष 2024 में हुई थी। अभी खेलो इंडिया-2.0 आने वाला है तो माननीय सदस्या ने जो प्रपोजल दी है उसके ऊपर विभाग विचार करेगा।

अगला प्रश्न 4222 ----आर0के0एस0 द्वारा ----जारी

31.03.2026/1155/RKS/HK-1

प्रश्न संख्या: 4222

श्री पूर्ण चन्द ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है वह अधूरी और सरासर गलत है। प्रश्न के उत्तर में दर्शाया गया है कि 'थलौट में कार्यालय के निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है'। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि जब थलौट डिवीजन को उठाया गया तो उसके बारे में किसी जनप्रतिनिधि से विचार-विमर्श नहीं किया गया। थलौट डिवीजन के अंतर्गत 51 पंचायतें कवर होती हैं जिनमें से दरंग विधान सभा की 26 और 25 पंचायतें सिराज विधान सभा क्षेत्र की आती हैं। इन सभी पंचायतों का केंद्र बिंदु थलौट है। प्रश्न के जवाब में लिखा गया है कि 'पंडोह केंद्र बिंदु है' लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पंडोह से कांठी लगभग 50 किलोमीटर दूर है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि थलौट डिवीजन को किस कारण से पंडोह बदला गया?

लोक निर्माण मंत्री :अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य लोक निर्माण विभाग के थलौट डिवीजन का जिक्र कर रहे हैं जिसे अब पंडोह शिफ्ट कर दिया गया है। हमने लॉजिस्टिकल, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव बातों को मद्देनजर रखते हुए यह निर्णय लिया है। जब यह डिवीजन थलौट में था तो इसका कार्यालय एक निजी भवन में चल रहा था। हमें इस भवन का किराया 2,58,716/- रुपये वार्षिक देना पड़ता था। पंडोह में पहले एन0एच0 का डिवीजन था। अब कई जगह फोरलेन के कार्य शुरू हो गये हैं जिसके कारण एन0एच0 के डिवीजनों का ज्यादा उपयोग न होने की वजह से उन्हें बंद किया जा रहा है। पंडोह में पी0डब्ल्यू0डी0 का अपना अपना भवन है इसलिए इस डिवीजन को थलौट से पंडोह शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया। पंडोह से थलौट की दूरी मात्र 14 किलोमीटर है। वहां फोरलेन रोड उपलब्ध है इसलिए यह फासला 15-20 मिनट या अधिकतम आधे घंटे में बस या गाड़ी द्वारा कवर किया जा सकता है। यह कोई बहुत लंबा रास्ता नहीं है जिसे हम कवर नहीं कर सकते। इस डिवीजन के अंतर्गत कुछ सब-डिवीजन दरंग विधान सभा क्षेत्र

के और कुछ सिराज विधान सभा क्षेत्र के आते हैं। हमने सेंटर प्वाइंट की दृष्टि से इस डिवीजन को पंडोह में स्थापित किया है। इसका कोई राजनीतिक कारण नहीं है।

31.03.2026/1155/RKS/HK-2

This is a purely administrative decision, which has been taken by the Department. Keeping in mind the exigencies, financial condition of the State and the overall cost burden that the Department was bearing. इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए ही इस डिवीजन को पंडोह में स्थापित किया गया है।

अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

31.03.2025/1200/बी.एस./वाई.के.-1

शून्य काल आरंभ

अध्यक्ष : अब जीरो ऑवर में माननीय सदस्य कुछ विषय उठाएंगे और मेरे पास 11 माननीय सदस्यों की सूचनाएं आ चुकी हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वे संक्षिप्त में अपने विषय रखें ताकि सारे के सारे विषय टेक-अप किए जा सकें।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, पॉइंट ऑफ ऑर्डर है।

अध्यक्ष : आदरणीय रणधीर शर्मा जी आपका विषय भी यहां पर आया है। बाकि क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। मैं तभी अलाऊ करूंगा जब within the ambit of the Rules होगा। माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, हमने कल भी मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाया था कि जो एंट्री टैक्स को लेकर बढ़ोतरी हुई है। उसके खिलाफ जिस तरह से बॉर्डर पर माहौल बन रहा है निश्चित रूप से कल से कानून-व्यवस्था गड़बड़ होने के आसार हैं। मुख्य मंत्री जी ने कल कुछ आश्वासन उस संबंध में दिए थे परंतु वह आश्वासन थे। उस मामले में ठोस

रूप में क्या हुआ? कल भी विषय नहीं आया था। जो बढ़ोतरी एंट्री टैक्स में हुई है जिन गाड़ियों पर 40 रुपये लगता था उनमें 170 रुपये लग रहा है, जिनमें 520 रुपये लगता था उनमें 800 रुपये लग रहा है, जिनमें 700 रुपये लगता था उनमें 900 रुपये लग रहा है। उसके कारण जो दूरगामी परिणाम महंगाई के होंगे, टूरिज्म पर प्रभावित होगा वह तो होगा ही परंतु रिसेंटली जो कानून-व्यवस्था गड़बड़ होने वाली है जिस तरह से पंजाब के लोगों ने आंदोलन शुरू किया है और 31 मार्च रात 12:00 के बाद एक तरह से जाम लगाने की घोषणा की है कि हिमाचल की गाड़ियों को पंजाब में जाने नहीं देंगे तो वहां पर बहुत ज्यादा अव्यवस्था होने के आसार हैं। उस दृष्टि से मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि वह दरों को कम भी कर रहे हैं, व्यवस्थित भी कर रहे हैं और पंजाब सरकार से बात करने की भी बात कही थी। उस संबंध में मुख्य मंत्री जानकारी दें ताकि जो माहौल खराब हो रहा है उसको रोका जा सके।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी ने जो बात ध्यान में लाई है।

31.03.2025/1200/बी.एस./वाई.के.-2

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी इन्होंने दो बातें कही हैं। एक तो अभी 31 मार्च के बाद पंजाब के कुछ संगठनों ने यह कहा है कि हम हिमाचल की गाड़ियों को वहां नहीं जाने देंगे। क्या ऐसी कोई सूचना सरकार के पास है, कानून-व्यवस्था के बिगड़ने के कोई आसार हैं?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभी तक तो ऐसी कोई सूचना नहीं है।

अध्यक्ष : मीडिया में तो आ रहा है। अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो सरकार ने उस स्थिति से निपटने के उपाय किये हैं?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं पंजाब के मुख्य मंत्री आदरणीय भगवंत मान जी से बात करूंगा और इसमें कुछ गाड़ियों का हमने पता किया है जो बड़ी गाड़ियां हैं जो 10 से 12 टायर वाली गाड़ियां हैं उनमें 130 रुपये से 170 रुपये तक हुआ है और बाकी

रेशनलाइजेशन थोड़ा-थोड़ा जो बनता है उसी का है। इस बारे में भी मैं अभी पंजाब के मुख्य मंत्री जी से बात करूंगा। उसके बाद सदन को बता सकता हूँ।

अध्यक्ष : आपकी एप्रिहेंशन है इन्होंने कह दिया कि कल के बाद, कल भी हाउस लगेगा। अगर कल कुछ होगा तो मैं कल अलाउ करूंगा। ...(Interruption) I am not allowing you. कल भी सदन लगेगा। अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो कल हम सरकार से स्पष्टीकरण लेंगे। कल भी सदन लगेगा।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसमें पंजाब के मुख्य मंत्री से बात करके ही स्थिति का पता लग पाएगा।

अध्यक्ष : कल ही इस बारे में पता लगेगा।

31.03.2025/1200/बी.एस./वाई.के.-1

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्रीमती रीना कश्यप जी शून्य काल में अपना विषय रखेंगी।

श्रीमती रीना कश्यप : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद आपने मुझे शून्य काल में अपना विषय रखने का मौका दिया। यह जो मेरा विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है और सड़कों से संबंधित है जिनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। अध्यक्ष महोदय, जो हमारा सरांह-चंडीगढ़ रोड है इसकी जो हालत है वह बहुत ही दयनीय है और यह मार्ग छह पंचायतों को जोड़ने के साथ-साथ हिमाचल को हरियाणा और चंडीगढ़ से भी जोड़ता है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन रहेगा कि इस सड़क में सुधार हो और साथ में मेरी बहुत ही महत्वपूर्ण सड़कें फागु-बाथारुधार, धमून- शिलाजी, नैना टिककर-डंघयार, नैना-टिककर- किलाकलान्च, नारग-वासनी और नेरी पुल-ज्ञान कोट ये सभी ऐसी महत्वपूर्ण सड़कें हैं, जिनमें भारी बारिश से बहुत नुकसान भी हुआ है और जिनमें सुधार की बहुत आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने विधायक प्राथमिकता में भी ये सड़कें डाली हैं तो मेरा निवेदन रहेगा कि इस विषय में आप जरूर सोचें, धन्यवाद।

श्री डी.टी. द्वारा जारी.....

31.03.2026/1205/DT/YK-1

शून्य काल जारी...

अध्यक्ष : निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण विषय आपके द्वारा इस माननीय सदन के ध्यान में लाया गया है जो सड़कों और उनके रख-रखाव से संबंधित है। विधान सचिवालय इन सभी विषयों को विभाग के साथ टेक-अप करेगा और की गई कार्रवाई से आपको व माननीय सदन को सूचित कर दिया जायेगा।

अब शून्य काल में अपना विषय उठायेंगे माननीय सदस्य श्री सुरेश कुमार जी।

श्री सुरेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरा विषय मेरे निर्वाचन क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, समीपुर के संबंध में है।

अध्यक्ष महोदय, इस स्कूल को दो वर्ष पूर्व 10+2 का दर्जा दिया गया था। इस स्कूल में बच्चों की संख्या भी पर्याप्त है और वर्तमान में 200 से अधिक बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। इस स्कूल में अभी तक कक्षा लगाने के लिए पर्याप्त कमरे नहीं हैं। ऐसी स्थिति इसलिए उत्पन्न हो रही है क्योंकि उस स्कूल के पास अतिरिक्त भवन बनाने के लिए सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है। अतः मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी कहना चाहूंगा कि इस स्कूल के लिए जो भवन बनना है उसके लिए इस स्कूल के साथ लगती निजी भूमि है क्या सरकार उसका अधिग्रहण करके उस पर भवन बनाने का प्रयास करेगे ताकि वहां पर स्कूल को अतिरिक्त भवन भी मिल सके और कक्षाएं लगाने की उचित व्यवस्था भी वहां पर हो?

अध्यक्ष महोदय, इस स्कूल के एक तरफ नैशनल हाइवे है और दूसरी तरफ निजी भूमि है, इसलिए अगर उस निजी भूमि का सरकार के द्वारा अधिग्रहण किया जाता है तो वहां पर भवन बनाया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक अन्य स्कूल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, बगवाड़ा है, इस स्कूल में बच्चों की संख्या कम है लेकिन वहां पर भवन भी बड़ा है और खेल का मैदान भी काफी बड़ा है। हमने सरकार से मांग की थी अगर उस स्कूल में एक स्पोर्ट्स होस्टल चला दिया जाए तो वहां पर बच्चों की संख्या भी बढ़ेगी और जो इन्फ्रास्ट्रक्चर वहां पर है उसे भी यूटिलाइज किया जा सकता

31.03.2026/1205/DT/YK-2

है। इसलिए मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध रहेगा कि समीरपुर स्कूल के साथ जो निजी भूमि है उसके अधिग्रहण किया जाये और बगवाड़ा स्कूल में स्पोर्ट्स होस्टल खोला जाए।

Speaker : The issues raised by the Hon'ble Member are regarding the construction and some problems which have been faced by the students in both education institutions, I hope the Education Department will take a cognizance of it. However, the Vidhan Sabha Secretariat will take-up these matters with the Education Department and necessary steps, taken in this behalf, will be informed to the Hon'ble Members as well as to the Hon'ble House.

31.03.2026/1205/DT/YK-3

Next issue will be raised by Hon'ble Member Shri Randhir Sharma Ji.

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी अपने निर्वाचन क्षेत्र श्री नैना देवी जी में आ रही बिजली की समस्या के संबंध में मुद्दा उठाया था। परंतु खेद की बात है कि बार-बार यह मुद्दा उठाने पर भी इसका समाधान नहीं निकल रहा है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बार-बार बिजली का कट लगाया जा रहा है और अब तो यह एक आम बात हो गई है। अगर मौसम थोड़ा सा भी खराब होता है तो बिजली चली जाती है और उसके बाद सारा-सारा दिन बिजली नहीं आती। कई बार तो कई-कई दिन बिजली नहीं आती और कोई वहां इस समस्या को देखने वाला नहीं है। बिजली की सप्लाई में बार-बार कट लगने से लोगों को परेशानी होती है और जब बिजली होती है तो भी वोल्टेज इतनी कम होती है कि घर के अंदर ए0सी0 चलना तो बहुत दूर की बात है लेकिन पंखे भी पूरी स्पीड पर नहीं चल पाते। आज हर घर में रेफ्रिजरेटर है, वाशिंग मशीन है, घास काटने वाली मशीन है यानी वे सारी अप्लायंसेज बिजली से ही चलती हैं लेकिन बिजली की जो स्थिति है उसके कारण इन अप्लायंसेज का इस्तेमाल करना बड़ा मुश्किल हो गया है। इसलिए बार-बार बिजली की स्थिति को सुधारने और समस्या का समाधान करने की बात में सदन में उठाता रहता हूं परंतु इस सरकार और विभाग की ओर से कोई प्रयास नहीं किये जा रहे। इसका मुख्य कारण एक यह भी है कि बिजली विभाग में फील्ड स्टाफ की कमी है।

अध्यक्ष महोदय में आपके माध्यम से इस मान्य सदन को बताना चाहता हूं कि हमारी बिलासपुर बिजली बोर्ड की डिवीजन में फोरमेन के आठ पद और लाइनमेन के बीस पद

एन0जी0 द्वारा जारी...

31.03.2026/1210/ए.जी.-एन.जी./1

श्री रणधीर शर्मा..... जारी

तथा असिस्टेंट लाइनमेन के 54 और टी-मेट के 62 पद खाली हैं। जब फील्ड स्टाफ ही नहीं होगा तो यह रिपेयर और मंटेनेंस कौन करेगा? इसलिए इनकी भर्ती करवाने की बात बार-बार आती है, लेकिन सरकार ने इन पदों को भरने के लिए अभी तक कोई प्रयास शुरू नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि

इन फील्ड स्टाफ के पदों को तुरंत भरा जाए। हमारे विधान सभा क्षेत्र से इन पदों पर कुछ लोग दूर के क्षेत्रों में, जैसे चौपाल, मनाली आदि में कर्मचारी कार्यरत हैं, उन्हें ट्रांसफर करके यहां भेज दिया जाए ताकि उस क्षेत्र की समस्या का समाधान हो सके, क्योंकि नई रिक्रूटमेंट में तो समय लगेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी जरूर कहना चाहूंगा कि आपने यह ज़ीरो आवर बहुत अच्छी मंशा के साथ शुरू किया है और माननीय सदस्यों के हित की बात की है। परंतु मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि जितनी गंभीरता से आपने व विधान सभा सचिवालय ने इस ज़ीरो आवर को लिया है, उतनी ही गंभीरता से सरकार इस ज़ीरो आवर को नहीं ले रही है तथा ज़ीरो आवर के दौरान उठाए गए मुद्दों को भी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। अभी तक मैंने 10 से ज्यादा मुद्दे ज़ीरो आवर में उठाए होंगे, लेकिन मुझे किसी एक विषय पर भी सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, न लिखित रूप से, न टेलीफोन के माध्यम से और न ही उस पर कोई कार्रवाई हुई। इसलिए ज़ीरो आवर के औचित्य पर सरकार की कार्यप्रणाली प्रश्न खड़ा करती है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब ज़ीरो आवर शुरू ही हुआ था तब मैंने यहां पर ज़ीरो आवर के माध्यम से एक मुद्दा उठाया था। हमारी एक नकराना पंचायत में डैम ऑस्ट्रीज़ श्री लाल सिंह जी ने सड़क पर मकान बनाया है और वह बिल्कुल पंजाब के बॉर्डर पर स्थित है।

31.03.2026/1210/ए.जी.-एन.जी./2

पंजाब की ओर से वहां पर कोई बिजली बोर्ड की लाइन नहीं है और मीटर लगाने की व्यवस्था भी नहीं है। जबकि आसपास के घरों को पहले से हिमाचल की ओर से मीटर दिए हुए हैं। इसलिए इन्होंने भी मीटर के लिए आवेदन किया हुआ है। आज तीन साल हो गए हैं और इस विषय को मैं दो बार इस विधान सभा में उठा चुका हूँ। माननीय मुख्य मंत्री इस पर आश्वासन भी दे चुके हैं और इसका प्रावधान भी है कि इसके लिए पंजाब सरकार से एन0ओ0सी0 लेना पड़ता है। तीन साल में तो अमेरिका से भी एन0ओ0सी0 आ सकता था,

क्या पंजाब से नहीं आ सकता? लेकिन अभी तक वह मीटर नहीं लगा है। इसलिए वह मीटर तो लगे और इसके अलावा भी ज़ीरो आवर में जो मुद्दे उठाए जाते हैं, उन्हें सरकार गंभीरता से ले। अध्यक्ष महोदय, यह मेरा आपसे आग्रह है, बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य द्वारा बिजली की वोल्टेज और बिजली के कट के बारे में इस माननीय सदन में ज़ीरो आवर के माध्यम से ध्यान आकर्षित किया गया है। विधान सभा सचिवालय ने इसका संज्ञान लिया है। हम स्पेशली चेयरमैन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को लिख रहे हैं कि जो विषय आपने उठाया है, उस पर जल्द-से-जल्द कार्रवाई करें और की गई कार्रवाई से माननीय सदन को भी सूचित करें तथा आपको भी सूचित करेंगे।

इसके अलावा दूसरी बात आपने कही है और उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि ज़ीरो आवर में जितने भी विषय अभी तक उठे हैं, उनको मॉनिटर करने की व्यवस्था भी शुरू की गई है। इस सत्र के दौरान अभी मेरी सचिव, विधान सभा से इस विषय पर बात हुई है। I will be personally monitoring all the issues, which have been raised in the Zero Hour in the Vidhan Sabha. If need be, we will be summoning the heads of the departments to resolve all those issues, or they have to reply to all those issues to the Hon'ble Members as well as to the Vidhan Sabha also. This has already been decided. I am likely to constitute a committee under the Chairmanship of the Speaker for this purpose. This is what I want to inform the House.

31.03.2026/1210/ए.जी.-एन.जी./3

(माननीय सदस्य, श्री लोकेन्दर कुमार द्वारा शून्य काल के दौरान युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के अंतर्गत दत्तनगर, रामपुर में स्पोर्ट्स हॉस्टल के संदर्भ में उठाया गया विषय।)

अध्यक्ष : अब अगला विषय माननीय सदस्य, श्री लोकेन्दर कुमार का है और वे अपना विषय इस माननीय सदन में रख सकते हैं।

श्री लोकेन्दर कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण, जनहित एवं खेल से जुड़े विषय की ओर लाना चाहता हूँ। हिमाचल प्रदेश खेल विभाग द्वारा वर्ष 2015 में दत्तनगर, रामपुर में पूर्व मुख्य मंत्री आदरणीय स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी के करकमलों से स्पोर्ट्स हॉस्टल का शिलान्यास किया गया था। पूर्व में श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार में इसका काम हुआ था और वर्तमान में अप्रैल-2024 में माननीय मुख्य मंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने इसका उद्घाटन भी किया परंतु खेद का

श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

31.03.2026/1215/ए0जी0/ए0पी0-01

शून्य काल जारी

श्री लोकेन्दर कुमार जारी

विषय है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के बजट में स्पोर्ट्स होस्टल के संचालन हेतु, कोई भी ठोस और स्पष्ट प्रावधान नहीं किए गए हैं। यह स्पोर्ट्स होस्टल रामपुर, आनी, किन्नौर और करसोग जैसे दूरदराज एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसके क्रियाशील न होने से क्षेत्र के युवाओं एवं उभरती खेल प्रतिभाओं को अपेक्षित अवसरों से वंचित रहना पड़ रहा है। अतः मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि दत्तनगर स्पोर्ट्स होस्टल का सत्र शीघ्र प्रारंभ किया जाए। इसके सुचारु संचालन हेतु आवश्यक बजट एवं स्टाफ की तत्काल व्यवस्था की जाए। इस होस्टल को क्षेत्रीय खेल केंद्र के रूप में विकसित कर ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण की समुचित सुविधा प्रदान की जाए। अध्यक्ष महोदय, इस स्पोर्ट्स होस्टल के संचालन से न केवल स्थानीय युवाओं को खेलों में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा

बल्कि प्रदेश के युवाओं को और आसपास के जितने भी विधान सभा क्षेत्र आते हैं, उन युवाओं के लिए भी यह बहुत बड़ा सहयोग साबित होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर ध्यान दिया जाए, धन्यवाद।

अध्यक्ष : निश्चित तौर पर आपने एक गंभीर विषय शून्य काल के माध्यम से इस माननीय सदन में उठाया है। विधान सभा सचिवालय ने इसका संज्ञान लिया है और हम चाहेंगे कि इस विषय पर संबंधित विभाग कार्रवाई करे और की गई कार्रवाई से आपको भी अवगत कराया जाएगा और माननीय सदन को भी। जैसा मैंने पहले कहा कि I am likely to monitor all these issues after the session. Next issue is from Dr. Janak Raj ji.

31.03.2026/1215/ए0जी0/ए0पी0-02

"हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को वैध करने और इसके लिए शीघ्र नीति बनाने की मांग"

डॉ० जनक राज : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्य काल के माध्यम से एक अति महत्वपूर्ण विषय उठाने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। कुछ वर्ष पूर्व इसी विधान सभा में भांग की खेती को वैध करने को लेकर चर्चा हुई थी। आपके निर्देशों के बाद एक कमेटी बनाई गई थी। मैं भी उस कमेटी का सदस्य था और हमें प्रदेश भर में तथा हिमाचल प्रदेश से बाहर भी इसके अध्ययन के लिए भेजा गया। अभी तक इस विषय पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। प्रतिदिन नई-नई जानकारी सरकार के माध्यम से आती रहती है कि हम अब पॉलिसी बनाएंगे, अब पॉलिसी बनाएंगे। मुझे लगता है कि वर्तमान समय में जब प्रदेश आर्थिक संकट से जूझ रहा है। यदि इस पॉलिसी को प्रदेश सरकार जल्द-से-जल्द बनाकर लागू किया जाए तो आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश को इससे आर्थिक स्तर पर काफी लाभ होगा। आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इस पॉलिसी को शीघ्र बनाकर लागू किया जाए। धन्यवाद।

अध्यक्ष : निश्चित तौर पर माननीय सदन में पहले भी इस विषय पर बहुत चर्चा हुई है और कमेटी भी बनी थी। लेकिन उसका अंतिम परिणाम क्या हुआ यह जानकारी आप भी चाहते

हैं और माननीय सदन भी चाहता है। हम इस विषय पर कार्रवाई करेंगे और की गई कार्रवाई से आपको और सदन को भी अवगत कराया जाएगा। यह कमेटी माननीय राजस्व मंत्री के अधीन बनी थी। इसलिए विभाग से भी कहेंगे और माननीय राजस्व मंत्री महोदय से भी अनुरोध करेंगे कि वे सदन को सूचित करें कि इस विषय पर क्या कार्रवाई हुई है?

31.03.2026/1215/ए0जी0/ए0पी0-03

"सड़क निर्माण हेतु भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया में आने वाली कठिनाइयाँ और इसके लिए सरल नीति बनाने की मांग"

श्री दीप राज : अध्यक्ष महोदय, मेरा विषय सड़को को लेकर है।

अध्यक्ष : एक ही सड़क है।

श्री दीप राज : सभी सड़कों का इसमें कंवाइन कर देता हूँ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री दीप राज जी आप सिर्फ इसी मुद्दे पर बोले।

श्री दीप राज : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या यह है कि 64 सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रस्तावित थीं जिनमें से केवल 10 ही किसी तरह बन पाई हैं। सर, कहानी थोड़ी सी सुने।

अध्यक्ष : कहानी नहीं पढ़नी। आप सब तो बजट भाषण और राज्यपाल अभिभाषण पर बोल चुके हैं।

श्री दीप राज : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि कई सड़कों में जमीन (gift deed) को विभाग के नाम करना पड़ता है। यह मुश्तरका के खाते होते हैं, इस प्रक्रिया में लोगों को बहुत कठिनाई आती है जिससे जमीन विभाग के नाम नहीं हो पाती। इस तरह से कई ऐसी सड़के हैं जो मेरे व अन्य विधान सभा क्षेत्रों में पेंडिंग हैं। लोगों का कहना है कि हम जमीन भी दें, पैसा भी दें, पटवारी व तहसीलदार के चक्कर भी काटें। जिस वजह से बहुत बड़ी दिक्कत आती है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इसके लिए कोई ऐसी नीति बनाई जाए कि जो लोग सरकार के नाम अपनी जमीन लगाते हैं, उनकी फीस कम हो।

दूसरी बड़ी समस्या बैंको से एन0ओ0सी0 लेने की है। कई लोगों ने बैंको से लोन लिया हुआ है, और बैंक एन0ओ0सी0 देने से मना कर देते हैं, जिससे जमीन विभाग के नाम नहीं हो पाती। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 64 सड़कें थीं, उसमें 10 की भी अप्रूवल नहीं आई है। अध्यक्ष महोदय, कम-से-कम इस चीज की तो हमें सहूलियत होती। दस सड़कों में से आठ सड़कों की रजिस्ट्री के पैसे मैंने खुद भरे हैं। मंत्री जी बार-बार अपील करते हैं

श्री ए0टी0 द्वारा जारी

31.03.2026/1220/AT/AS/01

श्री दीप राज जारी...

लेकिन सर, केवल अपील से कुछ नहीं होगा। इसके लिए कुछ नियम बनाने पड़ेंगे या फिर फीस में कंसेशन देना पड़ेगा ताकि जब लोग सरकार को ज़मीन दें तो गिफ्ट डीड के पैसे न लगे। इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सड़कों के अप्रूवल आएंगे। सर, इसमें मुश्तरका खातेदारी सबसे बड़ी दिक्कत है। बाकी मंत्री जी जानते ही है। आप कृपया इसमें कुछ करें। धन्यवाद।

अध्यक्ष: निश्चित तौर पर, मैं आपका विषय माननीय सदन के ध्यान में लाना चाहूंगा। इसी माननीय सदन ने एक कानून पास किया था लेकिन उस पर अभी तक राष्ट्रपति की असेंट नहीं मिली है। वह कानून यह था कि जो पुरानी बनी हुई सड़कें हैं जिनका विस्तार आप कर रहे हैं उसकी कभी वाइडनिंग होती है तो लोग कहते हैं कि यह ज़मीन अभी भी हमारे नाम पर है जबकि नियमों के अनुसार सड़क से 6 मीटर तक का क्षेत्र लोक निर्माण विभाग का माना जाता है as per Road Side Control Act और उसके नियमों के अनुसार। इसीलिए हमने वह एक्ट पास किया था कि ऐसी सभी संपत्तियां, जो सरकारी विभागों जैसे हेल्थ, लोक निर्माण विभाग, एग्रीकल्चर और एजुकेशन संस्थानों के पास हैं उनका इंतकाल संबंधित विभागों के नाम पर कर दिया जाए। लेकिन उस बिल पर अभी तक राष्ट्रपति की असेंट नहीं आई है। इसलिए इस विषय को we will take-up the matter with the Government and see if the Bill has not been assented to by the Hon'ble Governor or by the Hon'ble President of India, in that case the Bill should be

moved again in this House so that we can pass it again. Thereafter, there will be no need for assent for that.

The next issue is from Hon'ble Member Shri Inder Singh.

श्री इन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा विभाग से संबंधित अपना विषय रखना चाहता हूँ। वर्ष 2014 से 2017 तक हाई स्कूलों को पदोन्नत कर वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला का दर्जा दिया गया लेकिन इन स्कूलों में अधीक्षक ग्रेड-2 का पद जो कि बहुत जरूरी पद है बिना कर्मचारी और अधिकारियों के कोई भी संस्थान नहीं चल सकती है। जबकि वर्ष 2017 के उपरान्त पदोन्नत स्कूलों में अधीक्षक ग्रेड-2 का पद भी सृजित किया गया है। मेरा

31.03.2026/1220/AT/AS/02

माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस पर विचार करे और वर्ष-2017 के बाद जिन स्कूलों में पद दिए गए हैं उनकी पोस्टिंग हो चुकी है लेकिन वर्ष 2014-2017 के बीच अपग्रेड हुए स्कूलों में अभी तक पद नहीं दिए गए हैं। साथ ही, कल जो कर्मचारी धरने पर बैठे थे उनमें से भी कई लोगों ने सड़कों और पेयजल योजनाओं का निर्माण किया है।...(व्यवधान) मेरा निवेदन है कि उन कर्मचारियों को डीए और एरियर भी दिया जाए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष: वह यहां नहीं है, we are not entertaining that issue.

श्री इन्द्र सिंह: मेरा कहना है कि उनकी जगह सबको यह सुविधा दी जाए।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य ने शिक्षा से संबंधित विषय उठाया है। मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी इसका संज्ञान लेंगे और आवश्यक कार्रवाई करेंगे तथा की गई कार्रवाई से सदन और माननीय सदस्य को अवगत कराएंगे। अब माननीय सदस्य श्री बिक्रम सिंह जी।

श्री बिक्रम सिंह : माननीय अध्यक्ष जी पिछले बरसात में मेरे विधान सभा क्षेत्र में खासकर पीरस्लुई और कूना क्षेत्र में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वहां बहुत तेज़ आवाज़ के साथ ज़मीन फट गई और लगभग 6 किलोमीटर तक दरारें आ गईं। उस क्षेत्र में पहाड़ के ऊपर

बने मकानों को भारी नुकसान हुआ है। कूना पंचायत में जगदीश चंद (पुत्र श्री भानीराम), अशोक कुमार (पुत्र श्री भानीराम) और तिलक राज (पुत्र श्री भानीराम) के मकान प्रभावित हुए हैं। पीरस्तुई पंचायत में सलीम मोहम्मद (पुत्र श्री जफर मोहम्मद), मोहम्मद खलील, वकील मोहम्मद (पुत्र श्री जफर मोहम्मद), मुस्ताक मोहम्मद, रशीद मोहम्मद (पुत्र श्री तुफैल मोहम्मद) और इंदिरा कुमारी (पत्नी श्री कुशलचंद) के मकान भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी स्पेशल पैकेज की बात करते हैं। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इन लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इनके पक्के मकान पूरी तरह डैमेज हो गए हैं लेकिन इन्हें अभी तक कोई पैकेज नहीं मिला है। आज ये लोग सरायों और दूसरों के घरों में रह रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन्हें पूरा पैकेज दिया जाए, ताकि ये दोबारा अपने मकान बनाकर वहां रह सकें। धन्यवाद।

श्रीमती के०एस०द्वारा जारी.....

31.03.2026/1225/केएस/एस/1

अध्यक्ष : निश्चित तौर पर बहुत ही संवेदनशील और गम्भीर विषय आपने माननीय सदन के ध्यान में लाया है। विधान सभा सचिवालय इस विषय को सम्बन्धित विभाग और प्रशासन के साथ उठाएगा और की गई कार्रवाई से आपको भी सूचित करेंगे और इन तमाम व्यक्तियों को रिलीफ मिले, उसको भी हम सुनिश्चित करेंगे।

अब माननीय सदस्या कुमारी अनुराधा राणा अपना विषय उठाएंगी।

कुमारी अनुराधा राणा : अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका हार्दिक धन्यवाद। अध्यक्ष जी, मैं एस०एम०सी० अध्यापकों से सम्बन्धित इशू रखना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्य मंत्री, शिक्षा मंत्री और सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि एस०एम०सी० अध्यापकों का लगभग 14 वर्षों का वनवास खत्म हुआ है और एक तरह से उनको 14 वर्ष बाद इन्साफ मिला है। उनको एल०डी०आर० के जरिए नियमितकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी और पहले चरण में लगभग 1400 टी०जी०टी० अध्यापक परीक्षा में अपीयर हुए थे जिनमें से 1200 अध्यापक उत्तीर्ण हुए हैं। लगभग 200 के आसपास जो अध्यापक इसमें पास नहीं हो पाए, हम देख रहे हैं कि उनमें अधिकतर रेशो नॉन मैडिकल

और मैडिकल के अध्यापकों की है। मेरा निवेदन है कि उन्हें दूसरा मौका दिया जाए। माननीय शिक्षा मंत्री ने इसमें कमिटेमेंट भी की है, इस सम्बन्ध में डिफरेंट डेलीगेशनज़ भी शिक्षा मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी से मिले हैं। हम यह भी देख रहे हैं कि मैडिकल और नॉन मैडिकल के एग्जाम में आउट ऑफ सिलेबस भी कई चीजें आई हैं नहीं तो 80 प्रतिशत की रेशो ज़ाहिर करती है कि एग्जाम कठिन था। इसमें इन्हें दूसरा मौका दिया जाए और साथ ही साथ अगर उत्तीर्ण अंकों में 5 प्रतिशत की छूट मिल जाए तो और भी बेहतर होगा।

अध्यक्ष जी, इसी तरह से एस0एम0सी0 के जो शास्त्री के अध्यापक हैं, उनमें कइयों का जो एग्जाम क्वालिफाई हो गया है उनसे डॉक्यूमेंटेशन के समय B.Ed या D.El.Ed की डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया करवाई जा रही है जो कि एग्जाम में अपीयर होने से पहले नहीं थी तो मुझे यही निवेदन करना है कि इसमें भी अध्यापकों को छूट दी जाए और समय दिया जाए कि वे इसमें साथ में B.Ed कर सके क्योंकि जब शुरू में उनको नियुक्ति प्रदान की गई थी, उस समय उनको B.Ed या D.El.Ed की कंडिशन नहीं थी। साथ में जो यह दूसरा मौका ऐसे अभ्यर्थियों को मिलना है उनको PGT और

DP के साथ जो परीक्षा होनी है, उसके साथ मौका दिया जाए और जैसे हमारे जनजातीय इलाके का दूर दराज का क्षेत्र है, उनके एग्जाम सब-डिविजन लैवल पर हो जाए क्योंकि

31.03.2026/1225/केएस/एस/2

स्पिति वालों को लाहौल जाने में भी 2 या 3 दिन लग जाते हैं। कुंजुम टॉप भी अभी बंद है तो स्पिति वालों का स्पिति में एग्जाम हो जाए, मेरा यही निवेदन रहेगा।

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो SMC का मुद्दा काफी वर्षों से लम्बित था और जैसा बहन अनुराधा जी ने भी कहा कि लगभग 14 वर्षों के बाद हमारी सरकार, हमारी कैबिनेट द्वारा यह निर्णय लिया गया कि एल0डी0आर0 के माध्यम से उनको हम अपने शिक्षा विभाग में ऑब्ज़र्व करेंगे और उसकी प्रथम चरण की प्रक्रिया, विशेषकर जो एलिमेंट्री एजुकेशन से सम्बन्धित हमारी श्रेणियां थीं, उनका एल0डी0आर0 हो चुका है। इस पूरी प्रक्रिया में, इन सभी विषयों को उठाने में बहन अनुराधा जी का भी बड़ा योगदान है। ये बीच-बीच में एस0एम0सी0 का मुद्दा उठाती रही हैं। इनका प्रतिनिधि मंडल मुझे भी मिला था। जो बैस्ट पॉसिबल होगा, क्योंकि सरकार की मंशा क्लीयर है क्योंकि वर्षों से, जब से धूमल जी की

सरकार थी, वर्ष 2010 से एस0एम0सी0 टीचर्ज़ की रिक्रूटमेंट प्रारम्भ हुई थी और यह मुद्दा काफी समय से लम्बित था और लगभग 2200 के आसपास इनकी संख्या है। जो इसमें शेष जैसे उदाहरण के तौर पर हायर एजुकेशन की हमारी पी0जी0टी0 और डी0पी0 की जो एल0डी0आर0 की प्रक्रिया अभी रही है इसको भी प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र करवाया जाएगा। इसके अलावा लगभग 200 के आसपास जो हमारे अभ्यर्थी प्रथम चरण की एल0डी0आर0 की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए, उनके लिए जो भी बैस्ट पॉसिबल विकल्प होंगे, विभाग निश्चित रूप से प्रयास करेगा।

Speaker : Thank you very much. Now, next issue is from Hon'ble Member Shri Rakesh Jamwal. Please be very brief and specific.

श्री राकेश जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे भी ज़ीरो आवर में अपना विषय रखने का समय दिया, आपका धन्यवाद। यह मेरे विधान सभा क्षेत्र की नगर परिषद की सिवरेज व्यवस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है। जब आदरणीय शांता कुमार मुख्य मंत्री थे, उस समय सुन्दरनगर में वर्ष 1992 में इसकी अप्रूवल दी गई थी। वर्ष 1981 की जनगणना को आधार मानकर यह सिवरेज की व्यवस्था सुन्दरनगर शहर के लिए की गई थी लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सुन्दरनगर शहर का बहुत विस्तार हुआ है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा ...

31.03.2026/1230/av/dc/1

श्री राकेश जम्वाल-----जारी

वहां पर सारे शिक्षण संस्थान जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलीटेक्निक, संस्कृत कॉलेज, डिग्री कॉलेज व डेंटल कॉलेज के अतिरिक्त फ्लोटिंग पोपुलेशन भी बहुत ज्यादा आती है। वहां पर पहले सिवरेज की व्यवस्था सन् 1981 की जनगणना के आधार पर बनाई गई थी। लेकिन उस सिवरेज सिस्टम पर अब बहुत ज्यादा लोड आ गया है और बरसात में ओवर फ्लो या ब्लॉकेज की वजह वह सिवरेज सिस्टम नालों में बह रहा है तथा उसके कारण वहां पर महामारी फैलने का खतरा बना हुआ है। विभाग समय-समय पर उसके संदर्भ में प्रयास भी करता है परंतु सन् 1981 के बाद अब वर्ष 2026 शुरू हो चुका है। इसलिए अब उसकी

अपग्रेडेशन और ऑगमेंटेशन का समय आ चुका है। पहले हमारे शहर का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा सिवरेज से जुड़ा था परंतु 30 प्रतिशत हिस्सा अभी भी ऐसा था जिसको सिवरेज की सुविधा नहीं मिली थी। जिसके लिए पूर्व भाजपा सरकार के समय में हमें 19.36 करोड़ रुपये की अप्रूवल मिली थी और उसके बाद उस क्षेत्र को भी सिवरेज सिस्टम से जोड़ा गया। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि उस बचे हुए क्षेत्र को तो जोड़ा गया परंतु हमारा पुराना सिवरेज सिस्टम पूरी तरह से तहस-नहस हो चुका है जिसके कारण वहां अनेकों प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं।

अध्यक्ष महोदय, स्वच्छ भारत मिशन-ii के अंतर्गत सुन्दरनगर विधान सभा क्षेत्र में रोपा और भेचना दो ऐसे क्षेत्र थे जोकि शहर के अंदर थे परंतु वहां पर सिवरेज की सुविधा नहीं थी। लेकिन भारत सरकार ने इसके लिए 3.85 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। ... (घण्टी) अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण विषय है और आपने कल भी जीरो आवर के अंतर्गत थोड़ा-सा समय बढ़ाया था।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विषय दो मिनट्स में ही आना चाहिए।

श्री राकेश जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सिवरेज सिस्टम के लिए मुख्य मंत्री जी और उप-मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि अर्बन एरिया के लिए भारत सरकार स्वच्छ भारत मिशन-ii के अंतर्गत पैसा दे रही है। अगर इसकी डीपीआर बनकर भारत सरकार को जाएगी तो निश्चित तौर पर हमारी इस समस्या का समाधान होगा।

31.03.2026/1230/av/dc/2

मैं सिवरेज के एक और विषय को उठाना चाहता हूं। हमारे यहां बीबीएमबी का सिवरेज सिस्टम लगभग 50 वर्ष पुराना है। उसके कारण से भी हमारे शहर में दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि वह मल निकासी योजना बीबीएमबी ने 50 वर्ष पहले बनाई थी। आज अगर हम अपने चांगर या चौगान में पुराने बाजार की तरफ देखेंगे तो वहां पर भी ओपन सिवरेज चली हुई है जिससे वहां महामारी फैलने का खतरा बना हुआ है। मेरा सरकार से

निवेदन है कि बी०बी०एम०बी० को भी इस मल निकासी योजना में सुधार करने के आदेश दिए जाएं।

इसके अलावा मैंने जो सुन्दरनगर शहर के सिवरेज सिस्टम के बारे में कहा कि उसकी अपग्रेडेशन और ऑगमेंटेशन के लिए यदि डी०पी०आर० बनकर भारत सरकार के अर्बन डिपार्टमेंट को जाती है तो मैं उसके लिए मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आप उस बारे में आदेश करें ताकि मेरे शहर की सिवरेज व्यवस्था ठीक हो सके।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : मुझे उम्मीद है कि विभाग ने इसका संज्ञान ले लिया है और यह हमारे रिकॉर्ड पर भी आ गया है। We will take up this issue but what I want to say is कि यह मुद्दा ऐसा है जोकि आपकी विधायक प्राथमिकता में भी आएगा यानी पहले विधायक प्राथमिकता में आएगा। उसके बाद राज्य सरकार की ओर से भारत सरकार को जाएगा। इसलिए ऐसे-ऐसे विषय जीरो आवर में रेज़ करना उचित नहीं है। ...(व्यवधान) Anyways you have raised this issue, certainly we have to specify the parameters for the Zero Hour also. After the Session I will be doing all this exercise.

31.03.2026/1230/av/dc/3

अगला विषय माननीय सदस्य श्री मलेन्द्र राजन उठाएंगे। There is no Point of Order in Zero Hour. आप अपने विषय के बारे में जल्दी बोलिए और आप हर दिन जीरो आवर में एक नया विषय लेकर आते हैं। ...(व्यवधान) I will be forced to reject some of the issues.

श्री मलेन्द्र राजन : अध्यक्ष महोदय, मैं राम गोपाल मंदिर डमटाल से संदर्भित विषय उठाना चाहता हूँ।

Speaker: You have already raised this issue.

श्री मलेन्द्र राजन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राम गोपाल मंदिर डमटाल में प्रस्तावित सोलर प्लांट के बारे में जानना चाहता हूँ कि यह परियोजना धरातल पर कब तक उत्तरेगी?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने यह विषय इस माननीय सदन में कई बार जीरो आवर के माध्यम से उठाया है। आपने जो वहां के लिए प्रस्तावित सोलर प्लांट की बात कही है, we will take up this issue with the respective Department and whatever action will be taken by the Department, we will inform the Hon'ble Member and the House accordingly.

मुख्य मंत्री की स्टेटमेंट टी सी द्वारा जारी

31.03.2026/1235/टी0सी0वी0/डी0सी0-1

मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य/स्पष्टीकरण

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, विभिन्न समाचार पत्रों में यह खबर प्रकाशित हुई है कि वर्ष 2026-27 के लिए बजट का आकार 54,928 करोड़ रुपये से बढ़ गया है। यह खबर तथ्यों पर आधारित नहीं है क्योंकि बजट का एप्रोप्रिएशन बिल सदैव ग्रास अमाउंट पर आधारित होता है। मैंने अपने बजट भाषण में बजट का आकार 54,928 करोड़ रुपये बताया है और नेट बजट के रूप में यह राशि इतनी ही है। बजट का ग्रास साइज 58,830 करोड़ रुपये है जिसमें 3,902 करोड़ रुपये की रिकवरीज शामिल हैं। रिकवरीज, वेतन, सस्पेंस, रि-हैड, एस0डी0आर0एफ0 तथा अन्य सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के वेतन कम्पोनेंट के लिए होती हैं जो अकाउंटिंग प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट है। पिछले कुछ वर्षों के ग्रास तथा नेट बजट का विवरण इस प्रकार है - वर्ष 2022-23 में ग्रास बजट 54,592 करोड़ रुपये, रिकवरीज 3,227 करोड़ रुपये और नेट बजट 51,365 करोड़ रुपये रहा। वर्ष 2023-24 में ग्रास बजट 56,684 करोड़ रुपये, रिकवरीज 3,271 करोड़ रुपये और नेट बजट 53,413 करोड़ रुपये रहा। वर्ष 2024-25 में ग्रास बजट 62,422 करोड़ रुपये, रिकवरीज 3,978 करोड़ रुपये

और नेट बजट 58,444 करोड़ रुपये रहा। वर्ष 2025-26 में ग्रास बजट 62,388 करोड़ रुपये, रिकवरीज 3,873 करोड़ रुपये और नेट बजट 58,514 करोड़ रुपये रहा। वर्ष 2026-27 में ग्रास बजट 58,830 करोड़ रुपये, रिकवरीज 3,902 करोड़ रुपये और नेट बजट 54,928 करोड़ रुपये रहा।

इस प्रकार कुल बजट 54,928 करोड़ रुपये का है। समाचार पत्रों में बजट का आकार बढ़ा हुआ दर्शाया गया है जो सही नहीं है। मेरा पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि इस प्रकार के विषय लिखने से पूर्व तथ्यों की पुष्टि अवश्य कर लिया करें।

अध्यक्ष : इसके अतिरिक्त एक अन्य समाचार में 3,902 करोड़ रुपये की सेंट्रल असिस्टेंस का उल्लेख किया गया है, उसके बारे में आपने अलग से स्टेटमेंट दे देना। ... (व्यवधान) इसके बारे में भी स्टेटमेंट दे ही दो क्योंकि impression is that 'the Government of India has given amount to the certain hill states including Himachal Pradesh'.

31.03.2026/1235/टी0सी0वी0/डी0सी0-2

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यह कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो हमें सासकी (Special Assistance to States for Capital Investment) के तहत रिफॉर्मेटिक आधार पर प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष हमने 3,400 करोड़ रुपये प्राप्त किए थे जबकि इस वर्ष यह राशि 3,900 करोड़ रुपये है। यह राशि हमें तभी प्राप्त होगी जब हम निर्धारित सुधारों को लागू करेंगे। आर0डी0जी0 अर्थात् रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट तथा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बहुत अंतर है। सैलरी, पेंशन, ब्याज तथा मूलधन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आते हैं और आर0डी0जी0 इनके समायोजन के लिए दिया जाता था। यह राशि हमारा अधिकार है। यह जो राशि प्राप्त हो रही है वह ग्रांट नहीं बल्कि 50 वर्ष के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन है जिसे भविष्य में वापिस करना होगा। पिछले वर्ष भी 3,400 करोड़ रुपये का ऐसा ही लोन लिया गया था।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार से सहायता प्राप्त होने के बावजूद भी आभार तक व्यक्त नहीं किया गया। मैं इस माननीय सदन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने सासकी प्रावधानों के अंतर्गत

लगभग 3,920 करोड़ रुपये हिमाचल प्रदेश के विकास हेतु उपलब्ध करवाये हैं। मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं है जबकि हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए केन्द्र सरकार ने 4000 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाये हैं। उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि यह कुछ नहीं है। यह हिमाचल प्रदेश को 50 वर्ष के लिए बिना ब्याज का लोन है

एन0एस0 द्वारा ... जारी

31-3-2026/1240/NS-HK/1

श्री जय राम ठाकुर-----जारी

जब आप और हम भी नहीं रहेंगे तब इस लोन को बिना ब्याज के उस वक्त अदा कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि प्रदेश सरकार को इस बात के लिए आभारी होना चाहिए।

अध्यक्ष : श्री जय राम ठाकुर जी, एक बात क्लेरिफाई कर दें। This is not a grant. This is a loan.

Shri Jai Ram Thakur : Yes, Sir, this is a loan.

Speaker : The Media persons must take cognizance of this fact that this is a loan, not a grant.

श्री जय राम ठाकुर : लेकिन बिना ब्याज के है और 50 वर्षों के लिए है। प्रदेश के विकास के लिए योगदान तो है। आज की कड़की में या आज के आर्थिक संकट की स्थिति में आपको लगभग 4000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार से मिल रहा है और बिना ब्याज के मिल रहा है। आपको जिसका न ब्याज देना है और न ही किस्त देनी है। 50 वर्षों के बाद न आप होंगे और न हम होंगे, इसका भुगतान उसके बाद होना है। आप उसके बावजूद भी धन्यवाद नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष : कुछ माननीय सदस्य तो होंगे लेकिन कुछ नहीं होंगे।

श्री जय राम ठाकुर : हमारी और इनकी उम्र तो है और मैं हमारी और इनकी उम्र का जिक्र कर रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, हम अगर 3920 करोड़ रुपये का जिक्र कर रहे हैं और अगर इसमें पिछला 7300 करोड़ रुपये मिलाया जाए जोकि आपको स्पेशल असिस्टेंस के तहत पहले मिल चुका है और यह भी 50 वर्षों के लिए मिला है, बिना ब्याज के मिला है। अगर ये सारा मिलाया जाए तो 11,220 करोड़ रुपये मिल चुके हैं। उसके बावजूद भी आप केंद्र सरकार का धन्यवाद नहीं करते हैं। आप उल्टा केंद्र सरकार को कोसते रहते हैं कि केंद्र सरकार ने पैसा काट दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस पैसे के बारे में सुनना चाहूंगा। मैं मानता हूँ कि आपको अनटाइड ग्रांट की ज्यादा जरूरत है। बात इतनी है।

अध्यक्ष : आप यह बता दो कि इसको कहां खर्च करना है?

31-3-2026/1240/NS-HK/2

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, इस पैसे को प्रदेश के सभी विधान सभा क्षेत्रों में जितने भी डवलपमेंट प्रोजेक्ट्स स्टार्ट कर रहे हैं, जो काम वहां पर होने चाहिए तो आप उस पर खर्च कीजिए और उसमें आप विपक्ष के माननीय सदस्यों के विधान सभा क्षेत्रों का भी चयन कीजिए तथा अध्यक्ष महोदय के क्षेत्र का भी चयन किया जाए। अध्यक्ष महोदय आपको विशेष तौर पर कह रहे हैं कि मेरा भी ख्याल रखा जाए लेकिन इनका भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। दिल में जगह रखने से कुछ नहीं होने वाला है जब तक इनके क्षेत्र के विकास के लिए पैसा नहीं दिया जाएगा और इनके विधान सभा क्षेत्र में मदद नहीं की जाएगी। आपने विपक्ष वालों के विधान सभा क्षेत्रों का जो करना था उसको किया लेकिन आपने अध्यक्ष महोदय को भी नहीं बख्शा। मुझे लगता है कि यह बड़ी पीड़ा का विषय है।

अध्यक्ष : मुझे सभी माननीय सदस्यों से ऊपर चाहिए होता है क्योंकि मेरी कुर्सी ऊपर है।

श्री जय राम ठाकुर : बिल्कुल, आप ज्यादा दीजिए और उस क्षेत्र की आवश्यकता भी है। ये सारा पैसा विकास में लगे इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप धन्यवाद तो करें। आपको धन्यवाद शब्द बोलने में क्या कठिनाई आ रही है?

अध्यक्ष: अब मुख्य मंत्री जी इस चर्चा का उत्तर देंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष बड़े तरीके से अपनी बात रख रहे हैं क्योंकि ये वित्त के बारे में जानते हैं और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। आपको पता है कि हमारे पास केपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 20 प्रतिशत पैसा आता है और हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है जिसमें से 30,000 करोड़ रुपये सैलरी में चला जाता है, फिर मूलधन और ब्याज को जाता है। आर0डी0जी0 जो थी वह रेवेन्यू के लिए थी और हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को वीयर करती थी। जितना पैसा पेंशन, पे और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को जाता था और तभी मैं बार-बार कहता था कि आर्टिकल 275 (2) हिमाचल की जनता का अधिकार है। अब इन्होंने क्या किया कि सासकी (Special Assistance to States for Capital Investment) एक लोन है और इसको हम पिछले साल भी ले चुके हैं और इस साल भी यही लेंगे। पिछले वर्ष भी हमने बगैर Pride of Hills के 3400 करोड़ रुपये लिए और उससे भी काम चलाया। अब 3920 करोड़ रुपये

31-3-2026/1240/NS-HK/3

है। मेरे कहने का मतलब है कि आप नाम बदल कर हमारी आर0डी0जी0 को रोक रहे हैं। आर0डी0जी0 हमारा राइट है और हिमाचल के लोगों का राइट है जो हमें अनटाइड मिलता था। आपने बात तो ठीक कही है और अपने तरीके से बात को रख लिया। हमें जो अनटाइड ग्रांट मिलती थी उसको हम पेंशन, पे, सोशल सिक्योरिटी में खर्च करते थे और ये हमें मिलता था। उसको हम कहीं पर भी खर्च कर सकते थे। यह तो अब रिफॉर्म है और इसके लिए उन्होंने बोला कि 50 वर्षों के लिए लोन है तथा यहां ये रिफॉर्म करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आप अप्लाई करेंगे तब लोन मिलेगा और फिर आप उसको उस विकास कार्य में लगाएंगे। यह चलता रहता है और सरकार की नीतियों में रहता है। मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों से फिर प्रार्थना कर रहा हूं कि आप हमारे साथ ग्रांट के लिए चलें, स्पेशल ग्रांट दिलवाएं ताकि कर्मचारियों का एरियर, पेंशन, मूलधन और जो ब्याज तथा जो लोन प्रदेश के ऊपर चढ़ा हुआ है हम उसको वापिस करने की स्थिति में आएं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप आर0डी0जी0 बहाली के लिए साथ चलें। अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं।

श्री सतपाल सिंह सत्ती-----आर०के०एस० द्वारा -----जारी

31.03.2026/1245/RKS/hk-1

श्री सतपाल सिंह सत्ती : अध्यक्ष महोदय मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप अपना विषय रख सकते हैं।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री सतपाल सिंह सत्ती : अध्यक्ष महोदय, आज आप बहुत जोली मूड में हैं और आप सदन के भीतर काफी रौनक लगाए रखते हैं। इसलिए मुख्य मंत्री जी ने आपको इस आसन में बिठाया है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में एक महत्वपूर्ण विषय लाना चाहता हूँ। मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण और बजट भाषण पर हुई चर्चा के दौरान भी इस विषय को रखा था। मीडिया के माध्यम से भी यह विषय बार-बार उठ रहा है। सोलन के अंदर चेस्टर हिल-1 और चेस्टर हिल-IV में जो 274 बीघा जमीन आम आदमी के नाम खरीदी गई है उससे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हुई है। यह खबर समाचार पत्रों के माध्यम से भी चल रही है और सी०पी०आई०(एम) के पूर्व विधायक ने भी इस विषय पर पिछले कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हमने भी इस विषय को बार-बार उठाया है। मेरा आग्रह है कि इस मामले की जो डिप्टी कमिश्नर और एस०डी०एम० के माध्यम से इंक्वायरी हुई है, उस इंक्वायरी रिपोर्ट को माननीय मुख्य मंत्री जी मंगवाएं और देखें कि किस तरह से किसी व्यक्ति ने एक आम व्यक्ति के नाम पर 274 बीघा महंगी जमीन खरीदी है। इस जांच में यह भी पाया गया है कि इसमें धारा 118 का भी उल्लंघन हुआ है। एक आम व्यक्ति के नाम पर जमीन खरीदी गई जिसकी 274 बीघा जमीन खरीदने की हैसियत ही नहीं है। मेरी जानकारी के अनुसार उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस विषय को ई०डी० या इनकम टैक्स विभाग को जांच हेतु देना चाहिए लेकिन इसमें प्रदेश के एक बड़े अधिकारी ने इंटरफेरेंस किया है। वह अधिकारी पहले भी किसी रिश्तत कांड में दो दिन तक अंदर रह चुके हैं। वह एक प्रमुख पद पर बैठे हैं। मेरा माननीय मुख्य मंत्री और माननीय राजस्व मंत्री जी से आग्रह है कि आप इस मामले में विस्तृत जांच के आदेश दें।

दूसरा, मुख्य मंत्री जी आप पूर्व सरकार के समय यह बार-बार कहते थे कि श्री जय राम ठाकुर जी ने एक अधिकारी को मुख्य पद में बिठाया है जिसके ऊपर करप्शन के चार्जिज लगे हुए हैं। आपके इस वीडियो को लोग कई बार वायरल करते रहते हैं। आपने उस समय कहा था कि इस अधिकारी को मुख्य पद से हटाया जाए लेकिन आपने उसे 3 साल की एक्सटेंशन देकर मुख्य सलाहकार के रूप में अपने पास रखा

31.03.2026/1245/RKS/hk-2

है। आपने उस अधिकारी को तीन साल की एक साथ ही एक्सटेंशन दे दी है। आप जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं उसके ऊपर यह बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। जब इतनी बड़ी जमीन का घपला हो रहा है तो उसके ऊपर सरकार कुछ नहीं बोल रही है। इस मामले में विशेष अधिकारी संलिप्त हैं। जब आप इसकी रिपोर्ट मंगवाएंगे तो आपको सारा मालूम हो जाएगा कि यह सब कैसे हुआ। जो अधिकारी श्री जय राम ठाकुर जी के समय मुख्य सचिव थे उसके विरुद्ध आप बोल चुके हैं लेकिन आपने उन्हें तीन साल की एक्सटेंशन दी है। क्या आप इन लोगों को हटाने के लिए उस तरह का डिजीजन लेंगे जिस तरह श्री जय राम ठाकुर जी ने अपने कार्यकाल में लिया था? मेरा प्रश्न यह है कि क्या आप उन्हें इस पद से हटाएंगे?

मेरा विषय टोल टैक्स बैरियर से संबंधित भी है। मैं पहले भी इस विषय के बारे में बोल चुका हूँ। जो टोल टैक्स लेते हैं वे उतना पैसा जमा नहीं करवाते। अगर उन्हें 15 करोड़ रुपये टोल टैक्स प्राप्त हुआ हो तो वे 5-7 करोड़ रुपये जमा करवाते हैं और 7-8 करोड़ रुपये सरकार का नहीं देते। आप इसके लिए कोर्ट केस भुगतते रहेंगे। अगली बार उनके अपने ही परिवार की नई कंपनी बन जाती है और उसके नाम से फिर वे टोल टैक्स ले लेते हैं। मेरा कहना है कि जनता की जेब से तो पैसा जा रहा है लेकिन सरकार को इसका पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। अगर सरकार को यह पैसा आए तो हमें खुशी होगी लेकिन वह पूरा पैसा सरकार को नहीं मिलता। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या यह टोल टैक्स ठेकेदारों की जेब भरने के लिए लगाए गए हैं या फिर जनता को तंग करने या सरकार का सहयोग करने के लिए लगाए गए हैं? मेरा आग्रह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी को इस विषय पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। धन्यवाद।

श्री बी०एस०द्वारा जारी

31.03.2025/1250/बी.एस./वाई.के.-1

Speaker: Now I will call Hon'ble Member Shri Rakesh Kalia before that I will request the H.P. Vidhan Sabha Secretariat to write down 'Mananiya' before the name of the every Hon'ble MLA. The H.P. Vidhan Sabha Secretariat has written only Rakesh Kalia and he pointed it out very seriously.

अध्यक्ष : अब सदन की समितियों के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जाएंगे। अब माननीय सदस्य श्री राकेश कालिया, सभापति, प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे। Add this 'Mananiya' word everywhere before the name of the Hon'ble Members.

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

श्री राकेश कालिया : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद, आप इस मामले में बड़े काइंड हैं, मैं आपका आभारी हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूँ तथा सदन के पटल पर रखता हूँ:-

1. समिति का **14वां मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि खनन् सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती सुनिश्चित न करने से राजस्व हानि की संवीक्षा बारे तथा **ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग** से सम्बन्धित है;
2. समिति का **15वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि समिति के **25वें मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा)(वर्ष 2022-23) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर विभाग द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित तथा **योजना विभाग** से सम्बन्धित है; और

3. समिति का 16वां कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 23वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा)(वर्ष 2021-22) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर विभाग द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित तथा जल शक्ति विभाग से सम्बन्धित है।

31.03.2025/1250/बी.एस./वाई.के.-2

विधान सभा कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री सुख राम चौधरी जी कार्य सलाहकार समिति के 16वें प्रतिवेदन को सभा में प्रस्तुत करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि इसे अंगीकार किया जाए। विधान सभा सचिवालय ने माननीय शब्द को नहीं लगया गया है। 'माननीय' शब्द में अपनी मर्जी से लगा रहा हूं इन्होंने नहीं लिखा है, विधान सभा सचिवालय ने and I have taken a very serious note of it.

श्री सुख राम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के 16वें प्रतिवेदन को सभा में प्रस्तुत करता हूं और प्रस्ताव भी करता हूं कि इसे अंगीकार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि माननीय सदन कार्य सलाहकार समिति के 16वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों से सहमत है।
तो प्रश्न यह है कि माननीय सदन कार्य सलाहकार समिति के 16वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों से सहमत है?

प्रस्ताव स्वीकार

सांविधिक इकाइयों हेतु मनोनयन

अध्यक्ष : अब शिक्षा मंत्री महोदय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कोर्ट की शासकीय निकायों में हिमाचल प्रदेश विधान सभा के दो सदस्यों के मनोनयन बारे प्रस्ताव करेंगे।

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि "That in pursuance of Statute 8(1)(ix) of the First Statutes of the Himachal Pradesh University, the members of the Himachal Pradesh Legislative Assembly do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct two representatives from amongst themselves to serve as the members of the Himachal Pradesh University Court."

31.03.2025/1250/बी.एस./वाई.के.-3

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "That in pursuance of Statute 8(1)(ix) of the First Statutes of the Himachal Pradesh University, the members of the Himachal Pradesh Legislative Assembly do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct two representatives from amongst themselves to serve as the members of the Himachal Pradesh University Court."

तो प्रश्न यह है कि "That in pursuance of Statute 8(1)(ix) of the First Statutes of the Himachal Pradesh University, the members of the Himachal Pradesh Legislative Assembly do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct two representatives from amongst themselves to serve as the members of the Himachal Pradesh University Court."

प्रस्ताव स्वीकार

विधायी कार्य

सरकारी विधेयकों की पुरःस्थापना

अध्यक्ष : अब मुख्य मन्त्री प्रस्ताव करेंगे कि शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 6) को पुरःस्थापति करने की अनुमति दी जाए।

मुख्य मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 6) को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 6) को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

31.03.2025/1250/बी.एस./वाई.के.-4

तो प्रश्न यह है कि शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 6) को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)

अनुमति दी गई।

अब मुख्य मन्त्री शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 6) को पुरः स्थापित करेंगे।

मुख्य मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 6) को पुरः स्थापित करता हूँ।

अध्यक्ष : शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 6) पुरः स्थापित हुआ।

श्री डी.टी. द्वारा जारी.....

31.03.2026/1255/DT/YK-1

विधेयक पर विचार-विमर्श और पारण

अध्यक्ष : अब राजस्व मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 4) पर विचार किया जाए।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 4) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 4) पर विचार किया जाए।

इस संशोधन पर माननीय सदस्य बोल सकते हैं और फिर उसके बाद माननीय राजस्व मंत्री इसका उत्तर देंगे। क्या कोई माननीय सदस्य इस संशोधन पर भाग नहीं लेना चाहते?

तो प्रश्न यह है कि भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 4) पर विचार किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 2 व 3 विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

31.03.2026/1255/DT/YK-2

अध्यक्ष : अब राजस्व मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 4) को पारित किया जाए।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 4) को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 4) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 4) को पारित किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

" भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 4) पारित हुआ। "

31.03.2026/1255/DT/YK-3

गैर-सरकारी सदस्य कार्य दिवस

अध्यक्ष : आज गैर-सरकारी सदस्य कार्य दिवस है। इस सदन में पहला संकल्प माननीय सदस्य श्री कुलदीप सिंह राठौर द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। मेरा आग्रह है कि माननीय सदस्य श्री कुलदीप सिंह राठौर अपना संकल्प प्रस्तुत करें।

श्री कुलदीप सिंह राठौर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि 'यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि "केन्द्र सरकार द्वारा यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूज़ीलैंड और अन्य देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) से प्रदेश के सेब/फल उत्पादकों की अर्थव्यवस्था को संरक्षित रखने हेतु नीति बनाने पर विचार करें"।'

अध्यक्ष : संकल्प प्रस्तुत हुआ कि 'यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि "केन्द्र सरकार द्वारा यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूज़ीलैंड और अन्य देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) से प्रदेश के सेब/फल उत्पादकों की अर्थव्यवस्था को संरक्षित रखने हेतु नीति बनाने पर विचार करें"। इस संकल्प के ऊपर चर्चा करने के लिए 40 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। जो मूवर हैं वे 5-7 मिनट में अपना संकल्प रखें। अगर इस संकल्प में कम सदस्य भाग लेंगे तो उन्हें बोलने के लिए ज्यादा समय मिलेगा और यदि ज्यादा होंगे तो बोलने के लिए कम समय दिया जाएगा। But everybody has to finish his speech within five minutes, not more than five minutes. अगर आपकी इजाजत हो तो इस विषय पर लंच के बाद चर्चा शुरू की जाए।

अब इस माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजन के लिए दोपहर 2.00 बजे तक स्थगित की जाती है।

(माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजन के लिए 2.00 बजे तक स्थगित की गई।)

31.03.2026/1405/ए.जी.-एन.जी./1

(माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरांत 02:05 बजे अपराह्न माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

माननीय मुख्य मंत्री द्वारा स्टेटमेंट

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री कुछ स्टेटमेंट देना चाहते हैं।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, श्री रणधीर शर्मा जी अभी सदन में नहीं हैं। यदि वे सदन में आ जाते तो ठीक रहता।...(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप उनके सदन में आने के पश्चात वक्तव्य दे दीजिएगा। Let them come.

(माननीय सदस्य, श्री रणधीर शर्मा व विपक्ष के कुछ अन्य माननीय सदस्य सदन के अंदर आए।)

मुख्य मंत्री : श्री रणधीर शर्मा जी, मैं आपके लिए यहां पर यह स्टेटमेंट पढ़ने जा रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह अवगत करवाना चाहता हूँ कि बॉर्डर जिलों से लगते पंजाब व हरियाणा के इलाकों में भ्रम व असंतोष फैलाया जा रहा है कि प्रदेश सरकार ने एच०पी० टोल टैक्स (Entry Fee) को अत्याधिक तौर पर बढ़ाया है। यहां मैं यह बताना चाहूंगा कि हमने टोल टैक्स में कोई खास बढ़ौतरी नहीं की है। अपितु कुछ श्रेणियों को FastTag के अनुसार Rationalize किया है तथा टोल फीस भी नहीं बढ़ाई है। जैसे कि 6 टायर ट्रक की पहले फीस 320/- रुपये थी तथा अभी भी यह 320/- रुपये ही है।

31.03.2026/1405/ए.जी.-एन.जी./2

इसके अतिरिक्त 10, 12 और 14 टायर (डबल एक्सल ट्रक) के लिए फीस, जोकि पहले 570/- रुपये थी और अब भी यह 570/- रुपये ही है तथा 10, 12 व 14 टायर के ट्रक (Three axles) जिनकी फीस पहले 570/- रुपये थी, अभी इसे केवल 600/- रुपये किया गया है। इसमें केवल 30/- रुपये की बढ़ौतरी की गई है।

इसके अतिरिक्त Multi axles ट्राला व भारी मशीनरी आदि, जिसकी फीस पहले 720/- रुपये थी, अभी यह बढ़ाकर केवल 800/- रुपये की गई है। इस प्रकार के ट्राले बहुत कम होते हैं क्योंकि हमारी बहुत कम मशीनरी आती है। Passenger कार पहले दो श्रेणियों में थी, जिसके लिए 70/- रुपये (Five Seater), 110/- रुपये (6 to 12 Seater) तय

थे। अब इसको FastTag के अनुरूप करके एक ही श्रेणी बनाकर उसकी फीस को 130/- रुपये किया गया है। पिछली बार हम पांच सीटर का 70/- रुपये और 6 से 12 सीटर का 110/- रुपये लेते थे, उन सबको एक ही फीस

श्री ए०पी० द्वारा.....जारी

31.03.2026/1410/ए०जी०/ए०पी०-01

मुख्य मंत्री जारी

कर दी गई। उन दोनों का 130 रुपये एक ही रेट कर दिया गया। इसलिए यह कहना गलत होगा कि हमने कार की फीस 170 रुपये कर दी है। हमने 170 रुपये कार की फीस नहीं की है। इसके अलावा जो भी कमर्शियल टैक्सीज हैं, कमर्शियल व्हीकल या टैक्सी चलती हैं, उनसे किसी प्रकार की फीस नहीं ली जाएगी। मैं माननीय सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि हाल ही में मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया है कि टोल बैरियर के पांच किलोमीटर की परिधि में रहने वाले लोगों को, चाहे वे किसी भी राज्य से हों, टोल के रियायती पास की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रदेश में पंजीकृत पैसेंजर टैक्सी को किसी प्रकार की टोल फीस नहीं देनी पड़ेगी। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल का कोई भी टोल का बकाया देय नहीं है। अध्यक्ष महोदय, पहले पैसेंजर टैक्सी से कुछ लिया जाता था लेकिन अब वह भी हम नहीं ले रहे हैं। जिस प्रकार की बातें चल रही हैं और जो पंजाब के माध्यम से भी आ रही हैं। मैंने पंजाब के सी०एम० श्री भगवंत मान जी को अभी फोन किया। लेकिन उस समय उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। इसके अलावा हमारे पंजाब के जो पी०सी०सी० के अध्यक्ष थे श्री अमरिंदर सिंह राजा वडिंग जी और सी०एल०पी० के नेता श्री प्रताप सिंह बाजवा जी, उन्होंने भी इस टोल टैक्स के बारे में बात की। मैंने माननीय श्री राम कुमार और श्री हरदीप बाबा के साथ बैठकर फीस का आंकलन किया। अगर कहीं और ऐसा लगेगा तो हम उस स्थिति के लिए भी तैयार हैं, जब यह टोल टैक्स ज्यादा गया, यह फास्टैग के साथ जोड़ा गया है। आपने गरा-मोड़ा के पास जो फास्टैग की बात की है। उसमें जैसे एन०एच०ए०आई० का अपना एक फास्टैग है। वैसे

ही हमारा एक एन0एच0ए0आई0 का फास्टैग है, जिसकी मुझे जानकारी नहीं दी थी। मैं आपको जानकारी देना चाह रहा था। यह जानकारी मैं आपको सदन के माध्यम से दे रहा हूँ। इसको हम मीडिया में भी दे देंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन न रहे, धन्यवाद।

31.03.2026/1410/ए0जी0/ए0पी0-02

Speaker: Whether you want to ask some clarification? माननीय रणधीर शर्मा जी।
श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि ये जो पास बनेंगे, क्या इसकी फीस होगी? अगर होगी तो कितनी होगी? यह भी चर्चा का विषय है कि पास की फीस भी लगभग उतनी ही हो जाती है। दूसरा, जो फाइव सीटर गाड़ियां हैं, ये ठीक है कि हिमाचल वाली तो एक्सेम्प्टेड हैं। परंतु बहुत-सी गाड़ियां, दूसरे नंबर की हिमाचल वालों के पास भी हैं या बॉर्डर के लोगों के पास या बॉर्डर के लोगों के रिश्तेदार जो पंजाब में रहते हैं। फाइव सीटर गाड़ियों का टोल टैक्स आपने 70 रुपये से 130 रुपये किया है, यह बहुत ज्यादा है। इस पर पुनर्विचार करना चाहिए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि 70 रुपये से 130 रुपये नहीं किया। पैसेंजर कार पहले दो श्रेणियों में थी। पैसेंजर कार को दो श्रेणियों में बांटा गया था। एक भाग जो फाइव सीटर श्रेणी थी, उसमें टैक्स 70 रुपये था और जो 6-से-12 सीटर थी, उसमें टैक्स 110 रुपये था। इन दोनों को मर्ज कर दिया गया और एक रेट 130 रुपये का निकाला गया है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर इन दोनों को मिलाने के बाद टैक्स कुछ ज्यादा होगा तो उसको हम देखेंगे।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जो फाइव सीटर कार है वह आमतौर पर पर्सनल व्हीकल है। उन्हीं की सबसे ज्यादा समस्या है। वह पहले तो सीधा ही 70 रुपये से 170 रुपये था। लेकिन अभी जो अपने 70 रुपये से 130 रुपये किया है वह अभी भी ज्यादा है। इसी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी 60 रुपये हुई है। इसलिए इस पर पुनर्विचार करके इसको और कम करना चाहिए। जो पासिज की बात की है, उसमें कितनी फीस लगेगी? यह भी साथ ही क्लैरिफाई हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

मुख्य मंत्री : इसमें दो प्रकार हैं। अगर दोनों ही रखना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिछला ही रख देते हैं। फाइव सीटर पर 70 रुपये लगता था, वही रख देते हैं और 6-से-12 सीटर को 110 रुपये कर देते हैं। हमने दोनों को मर्ज किया था।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी

31.03.2026/1415/AT/AS/01

मुख्य मंत्री जारी...

ठीक है... (व्यवधान)

अध्यक्ष: सेपरेट कर लो, सेपरेट कर दो।

मुख्य मंत्री: अध्यक्ष महोदय, सेपरेट भी ठीक है। तो हम पिछले वाला रेट कर देंगे। इसमें दोनों में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम न आए तो हम इसको कर देंगे और अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आएगी तो हम आपको फोन करके जानकारी दे देंगे... (व्यवधान) पास वाला जो वहां पंजाब के या किसी अन्य एरिया में होगा, वहां का लोकल एस0डी0एम0 पास इशू करेगा और हिमाचल में हमारा तहसीलदार या कोई भी ऑफिसर पास इशू करेगा। ... (व्यवधान) फीस उसमें जो नॉर्मल होती है... (व्यवधान)

अध्यक्ष: मैं सजेस्ट करूंगा माननीय मुख्य मंत्री से कि थोड़ी देर के बाद you may have a short meeting with them and thereafter come to the House again with a statement. I think that will be better.

मुख्य मंत्री: मेरे ख्याल से यह छोटा सा काम है। इसमें सत्तर रुपये और एक सौ दस रुपये कर देंगे और जो पास की फीस है। उसकी जानकारी आपको दे देंगे... (व्यवधान)

अध्यक्ष: आप पांच-दस मिनट मीटिंग कर लो।

मुख्य मंत्री: उसमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है और उनको कम ही पड़ता है।

Speaker : Hon'ble Chief Minister, Sir, why I am saying is, let us clarify it today itself.

मुख्य मंत्री: मेरा कहने का मतलब है कि अब क्लैरिफाई हो गया है और नीचे प्रेजेंटेशन भी देनी है ताकि यह आगे रहे। Thank you.

Speaker : Okay, Sir, as you wish.

31.03.2026/1415/AT/AS/02

मुख्य मंत्री: ...(व्यवधान) उनको कह देंगे कि पास का जो नॉर्मल रेट होता है जैसे उनके राज्य में भी है और हमारी गाड़ियां भी वहां जाती हैं, बसें जाती हैं... (व्यवधान) छोटी कारों के बारे में पास कर रहे हैं। जो भी उसके अंदर नॉर्मल होगा हम उसको रेशनलाइज कर देंगे।

श्री हरदीप सिंह बावा: अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह जानकारी माननीय मुख्य मंत्री जी ने दी है। सर, जहां तक पास की बात है अगर आपने प्राइवेट गाड़ी का सत्तर रुपये कर दिया है then there is no point that the passes are required ...(व्यवधान) नहीं, पासेज की तो बात ही नहीं है सर। इशू जो था...(व्यवधान) सर, आप देखिए, अब यह नॉर्मल स्थिति हो गई है and 70 Rupees was admissible to the local people, तो अगर उसी स्थिति में आपने already हामी भर दी है, तो पासेज का कोई औचित्य नहीं बनता।

Speaker : Thank you, Hon'ble Member Shri Hardeep Singh Bawa Ji. Furthermore clarification if somebody wants to ask, he may ask, so that once for all the issue is settled. Nobody wants to ask, okay. अब मैं आग्रह करूंगा माननीय श्री कुलदीप सिंह राठौर जी से कि वह अपना संकल्प माननीय सदन में रखें। आग्रह के साथ मेरे पास छः नाम आए हैं तो अगर पांच-पांच मिनट बोलेंगे तो तीस मिनट हो जाएंगे। इसलिए आप दस मिनट में कम शब्दों में अपनी बात रखें।

श्री कुलदीप सिंह राठौर: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा तफ़सील में नहीं जाऊंगा और मैं हमेशा फैक्ट्स पर बात करता हूं और आज भी मेरी वही कोशिश रहेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं इस माननीय सदन का ध्यान एक ऐसे मामले की तरफ खींचना चाहता हूं जो केवल हमारी ट्रेड पॉलिसी से जुड़ा मामला नहीं है। हिमाचल के लगभग दो लाख परिवार सेब पर आश्रित हैं और हमारे पड़ोसी राज्यों के लाखों परिवारों की रोजी-रोटी से भी इसका नाता है। अभी जो अमेरिका के साथ हमारा प्रपोसड Bilateral Trade Agreement है, जिसे डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है, हालांकि अभी डिटेल आना बाकी है। लेकिन हिमाचल के बागवानों के लिए यह एक आत्मदाह की स्थिति बनने वाली है। क्योंकि जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं कि उस

31.03.2026/1415/AT/AS/03

एग्रीमेंट में टैरिफ (आयात शुल्क) को पचास से तीस प्रतिशत से जीरो प्रतिशत तक किया जा रहा है। जब यह एग्रीमेंट हुआ तब हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड जैसे राज्य जहां सेब होता है और वह राज्य जो इसके स्टेकहोल्डर्स हैं उन्हें अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए था। आज मैं कुछ फैक्ट्स के साथ इस सदन के माध्यम से अपनी बात रखना चाहता हूं ताकि यह बात हम केंद्र सरकार तक पहुंचा सकें।

श्रीमती के०एस०द्वारा जारी.....

31.03.2026/1420/केएस/एस/1

श्री कुलदीप सिंह राठौर जारी ---

हिमाचल प्रदेश की लगभग 5 हजार करोड़ से ज्यादा की आर्थिकी है और हिमाचल की सम्पन्नता में सेब बागवानों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कोरोना के समय जब तमाम सेक्टर घाटे में जा रहे थे, केवल एक यही सेक्टर था जहां से स्टेट को आमदनी हुई। हिमाचल जैसे राज्य की यू०एस०ए० से तुलना करना बिल्कुल गैर वाज़िब है। हमारे यहां पहाड़ों में सेब होता है।

(श्री संजय रत्न, माननीय सभापति पदासीन हुए)

हमारे मेहनतकश किसान-बागवानों ने पहाड़ियां काटकर सेब के बागीचे लगाए हैं। जो छोटे परिवार हैं उनके पास सिर्फ एक से दो एकड़ तक जमीन होती है। सेब की जो हमारी फसल है यह पूरी तरह मौसम पर निर्भर करती है। इसकी तुलना अगर हम अमेरिका के वाशिंगटन राज्य जहां अधिकतर सेब पैदा होता है और जहां से सेब एक्सपोर्ट होता है, वहां से करते हैं तो वहां सेब के बागीचे का औसत साइज़ लगभग 100 एकड़ है। अब मैं कहना चाहता हूँ कि कहां एक-दो एकड़ और कहां 100 एकड़? यानी सौ एकड़ बनाम एक एकड़। यह कंपटीशन नहीं बल्कि यह एक स्ट्रक्चरल असमानता है। जो युनाइटेड स्टेट्स हैं, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ वहां सेब हाई डेंसिटी क्लोनल रूटस्टॉक पर उगाए जाते हैं जिसकी पैदावार 50 से 80 टन प्रति हैक्टेयर होती है और हिमाचल प्रदेश में जो हमारे बागीचे हैं वे अभी भी ट्रेडिशनल सिडलिंग रूटस्टॉक पर निर्भर हैं। हमारी प्रति हैक्टेयर मुश्किल से 6 से 7 टन पैदावार होती है। देखिए यह कितनी बड़ी असमानता है? प्रोडक्टिविटी के मामले में हमारे किसान 10 गुना पीछे हैं। फर्क यहीं पर खत्म नहीं होता। यू0एस0ए0 में युनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक मज़बूत फाइनेंशियल सेफ्टी नेट के तहत अपना काम करते हैं। अब इसमें भी हम विचार करते हैं क्योंकि हमारे साथियों को यह जानना बहुत ज़रूरी है। मैं तो आंकड़ों पर बात कर रहा हूँ। अगर हम मदद के लेवल पर विचार करें तो मैं वर्ष 2025 का उदाहरण देता हूँ कि स्पेशलिटी क्रॉस प्रोग्राम के लिए मार्किटिंग असिस्टेंस के तहत 2.65 बिलियन डॉलर वहां के किसानों को दिया गया और प्रत्येक किसान को लगभग 9 लाख डॉलर तक की ग्रांट मिल सकती है।

31.03.2026/1420/केएस/एस/2

यू0एस0डी0ए0एस0 सेक्शन 32 प्रोग्राम के तहत कीमतों को स्थिर करने के लिए सरकार सीधे 35 मिलियन डॉलर के सेब खरीदती है। स्पेशलिटी क्रॉप ब्लॉक ग्रांट प्रोग्राम ने रिसर्च एक्सपोर्ट प्रमोशन और मार्किट बढ़ाने के लिए 72.9 मिलियन डॉलर दिए। क्रॉप इंश्योरेंस प्रीमियम पर 55 से 67 परसेंट के बीच में सब्सिडी दी जाती है।

"द असिस्टेंस" प्रोग्राम के तहत किसानों द्वारा बागीचे लगाने के लिए मुआवजा दिया जाता है। सप्लीमेंटल डिजास्टर प्रोग्राम मौसम से जुड़े नुकसान की भरपाई करते हैं। वर्ष 1999-

2000 के एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान जब एक्सपोर्ट में रुकावट आई तो अमेरिकी सेब उगाने वालों को मार्किट लॉस के मुआवजे के तौर पर 269 मिलियन डॉलर दिए गए। जब यू0एस0ए0 में किसानों और बागवानों को कोई भी नुकसान होता है,

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी ---

31.03.2026/1425/av/dc/1

श्री कुलदीप सिंह राठौर----- जारी

तो वहां की सरकार उनको अरबों रुपये के चैक देती है। जबकि हमारे किसानों-बागवानों को नुकसान होने पर खाली मीडिया में बयान आते हैं और ऐसे वायदे किए जाते हैं जोकि कभी पूरे नहीं होते।

मैं वाशिंगटन सेब की बात भी करना चाहूंगा। वहां से रेड डिलीशियस एक्सपोर्ट होता है। वैसे वे तो हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं, वहां गाला, फूजी और हनी क्रिस्प जैसी वैरायटी का प्रचलन है। लेकिन वे यहां पर अपना दायम दर्जे का सेब भेजते हैं। जिस सेब की वहां पर मार्किट नहीं है उसको वे यहां पर सस्ते दामों पर भेजना अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन उसका सीधा नुकसान हमें होता है।

अब मैं एम0आई0पी0 की बात करूंगा क्योंकि हमारे मित्रों के चेहरों पर भी इस बारे में जिज्ञासा है। अब सेब पर मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस 80 रुपये किए हैं। लेकिन इससे किसानों-बागवानों को कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि इसकी कोई लीगल सेंक्टिटी नहीं है। अगर एग्रीमेंट होता है तो वहां पर दूसरों पर दबाव रहेगा। यहां पर कई वर्षों से ईरान और तुर्की से एम0आई0एस0 के तहत सेब आता रहा है और बहुत थोक में आता है। लेकिन एम0आई0एस0 सिस्टम को कभी सख्ती से लागू नहीं किया गया और एम0आई0पी0 को केवल 50 रुपये से 80 रुपये करने से सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं मिलेगी क्योंकि वे यहां पर अपना सेब अण्डर वैल्यू करके भेजते हैं। इसलिए भारत सरकार को एक खास ड्यूटी स्ट्रक्चर यानी प्रति किलोग्राम पर एक फिक्स ड्यूटी के बारे में विचार करना चाहिए। जिससे हमारे यहां पर किसानों-बागवानों के आर्थिक हितों की सुरक्षा हो सके। अब हर

किलोग्राम पर फिक्स ड्यूटी से इंवाँइस वैल्यू में हेर-फेर करने का फायदा खत्म हो जाता है। वह बताई गई कीमत 60 रुपये हो या 80 रुपये हो परंतु ड्यूटी तो वही रहती है क्योंकि ड्यूटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कस्टम असेसमेंट आसान हो जाएगा और झगड़े कम होंगे तथा अण्डर इंवाँइसिंग भी कम होती है।

सभापति महोदय, मैं आपके ध्यान में यह बात भी लाना चाहता हूँ कि जब हमारा सेब पीक सीजन में मार्किट में जाता है तो उस समय अमेरिका और यूरोप के दूसरे

31.03.2026/1425/av/dc/2

देशों से भी आता है जोकि हमारे किसानों-बागवानों के लिए बहुत ही नाजुक समय होता है। जब मार्किट में सेब बल्क में जाता है तो उनके दाम एकदम से गिर जाते हैं क्योंकि उस समय बाहर के देशों से भी सेब आ रहा होता है। हमारे उत्पादों की डिमाण्ड सीमित होती है। जब सेब की आवक डिमाण्ड से ज्यादा हो जाती है जैसे मैंने पहले भी कहा कि उस समय कीमतें गिर जाती हैं और हर वर्ष जब सीजन पीक पर होता है तो व्यापारी फोन करके हमारे किसानों-बागवानों को कहते हैं कि आप सेब भेजना बंद कर दीजिए क्योंकि मार्किट बहुत ज्यादा डाउन है। उस समय जो किसान-बागवान भेजते हैं वे बहुत ज्यादा नुकसन उठाते हैं। अगर हम अपना सेब सी0ए0 स्टोर में रखते हैं तो हमें उसका भी कोई ज्यादा फायदा नहीं होता। पहले माह दिसम्बर, जनवरी और फरवरी के दौरान सी0ए0 स्टोर में सेब रहता था क्योंकि उस समय मार्किट में सेब नहीं मिलता था तथा उस वक्त सेब अच्छे दामों पर बिकता था। लेकिन अब उस दौरान भी विदेशों से सेब बहुत ज्यादा आने लग गया है इसलिए हमें सेब के उचित दाम नहीं मिलते। इसलिए हमारे किसानों-बागवानों को अपना सेब अपनी सरकारी एजेंसियों को बेचने पर मजबूर होना पड़ता है। हमारी जैसे एच0पी0एम0सी0 है परंतु उस पर तो बहुत ज्यादा लायबिलिटीज हैं। माननीय मंत्री जब इस बारे में जवाब देंगे तो ये इसके बारे में बताएंगे कि अब एच0पी0एम0सी0 के हाथ से भी बातें बाहर निकल गई हैं क्योंकि बहुत ज्यादा फाइनेंशियल दबाव है।

टी सी द्वारा जारी

31.03.2026/1430/टी0सी0वी0/डी0सी0-1

श्री कुलदीप सिंह राठौर जारी

सीजनल सेब की सप्लाई से निपटने के लिए नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन ने सी0ए0 स्टोर बनाने में किसानों की मदद की और ये हमारे यहां भी लगे हैं। अडानी और अंबानी के भी सी0ए0 स्टोर बने हैं। उनको भी सरकार ने सब्सिडी देकर मदद की है ताकि किसान को डिस्ट्रेस में सेब न बेचना पड़े लेकिन अब हमें इसका ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह फ्री ट्रेड नहीं है। 100 एकड़ के बड़े बगीचों और एक एकड़ के पहाड़ी किसानों की तुलना करना प्रैक्टिकल नहीं है। यह क्लाइमेट रिस्क से भी जुड़ा है जिसके कारण लगातार लागत बढ़ रही है और मुनाफा कम हो रहा है। लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है और दवाइयां भी महंगी हो गई हैं। रासायनिक खादें भी बहुत महंगी हो गई हैं और उसके साथ-साथ मौसम की भी मार है यानी मौसम अनुकूल नहीं है। आज किसानों को प्रकृति से भी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। मैं पिछले कल का एक उदाहरण देना चाहूंगा कि इतनी ज्यादा ओलावृष्टि हुई कि बहुत-सारे क्षेत्रों में सेब की फसल तहस-नहस हो गई। मैं बागवानी मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि आप आदेश दें और असेसमेंट करवाएं कि प्रदेश में कहां-कहां कितना-कितना नुकसान हुआ है तथा किसानों की मदद के लिए प्रयास किए जाएं।

इस माननीय सदन में अक्सर एक चर्चा होती है कि सेब केवल कुछ क्षेत्रों में उगाया जाता है लेकिन ऐसा नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में लो चिल्ली वैरायटीज आई हैं जो अब प्रदेश के दूसरे जिलों में भी उगाई जा रही हैं। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के डाटा के अनुसार कांगड़ा में 588 हैक्टेयर, सोलन में 238 हैक्टेयर, हमीरपुर में 108 हैक्टेयर, बिलासपुर में 30 हैक्टेयर और ऊना में 11 हैक्टेयर में सेब की खेती हो रही है। आगे आने वाले समय में यदि परिस्थितियां अनुकूल रहती हैं तो यह खेती और बढ़ेगी तथा निचले जिलों को भी इसका फायदा मिलेगा। बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मण्डी, सोलन, सिरमौर और ऊना

जैसे जिलों में शिवा प्रोजेक्ट को एक साइलेंट रिवोल्यूशन के रूप में देखा जा रहा है। वहां किसान आम, लीची, अमरूद, सिट्रस, अनार, एवोकाडो और ड्रैगन फ्रूट भी उगा रहे हैं।

सभापति महोदय, हमारा जो यूरोपियन यूनियन के साथ समझौता हुआ है उसमें आयात शुल्क 50 प्रतिशत से घटाकर सीधा 20 प्रतिशत कर दिया गया है। न्यूज़ीलैंड से भी 50 से 25 प्रतिशत ड्यूटी घटा दी गई है। यदि इस प्रकार की परिस्थितियां बनी रहीं तो

31.03.2026/1430/टी0सी0वी0/डी0सी0-2

हिमाचल के किसानों और बागवानों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। आज जो आर्थिक संपन्नता नजर आ रही है आने वाले समय में उस पर प्रश्नचिह्न लग जाएगा। मैं यहां कोई राजनीतिक व्याख्यान नहीं देना चाहता लेकिन यह हैरानी की बात है कि हम अमेरिका के दबाव में आकर अपनी आर्थिकी को बर्बाद करने में लगे हैं। मैं कहना नहीं चाहता कि वहां के राष्ट्रपति

एन0एस0 द्वारा ... जारी

31-3-2026/1435/NS-HK/1

श्री कुलदीप सिंह राठौर-----जारी

ने पहले टैरिफ वॉर शुरू की। आप देख रहे होंगे कि उनको केवल पैसा नजर आ रहा है। वे अमरीका की आर्थिकी देख रहे हैं। हालांकि, अब तो उनकी आर्थिकी भी खराब हो रही है और उनका विरोध वहां की संसद और उच्चतम न्यायालय भी उनकी नीतियों का विरोध कर रहा है। सभापति महोदय, उनके दबाव में यह फैसला लिया जा रहा है। अब उनका जो भी रवैया रहा तो आज देखिए कि पूरे विश्व में किस तरह के हालात बने हुए हैं? आने वाले वक्त में हम कहां जाएंगे, मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। हमारे ऊपर कहीं-न-कहीं अमरीका का दबाव है और राष्ट्रपति ट्रंप का दबाव है तो उस दबाव का हमें सामना करना पड़ेगा। अभी हम सबने देखा कि उनके नाटो के जो पार्टनर थे उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया और उन्होंने ईरान के साथ युद्ध में सम्मिलित होने से इनकार

कर दिया। मैं अपने पड़ोसी मुल्क की दाग देना चाहूंगा, यह छोटा-सा मुल्क और छोटा-सा टापू श्रीलंका है जिन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम आपके वॉर प्लेन्ज को यहां उतरने नहीं देंगे। कल स्पेन ने भी इंकार कर दिया। हमें दबाव में नहीं आना है। मैं उस पर आज यहां चर्चा नहीं करना चाहता कि क्या दबाव है लेकिन हम एक ऐसा व्यक्ति जो अहंकारी और संवेदनहीन है उसके दबाव में आकर अपनी आर्थिकी को बर्बाद न करें। मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता हूं। नेता प्रतिपक्ष के क्षेत्र में भी सेब का उत्पादन ज्यादा होता है। आनी, करसोग, जिला मण्डी के बहुत ज्यादा क्षेत्रों में सेब का उत्पादन होता है। अगर आज हमारी आर्थिकी बर्बाद हो जाती है तो we don't have any alternate. हम क्या पैदा करें? हमारी तैयारी भी नहीं है। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि हमने वक्त के साथ थोड़ा अपने आपको तैयार भी नहीं किया। प्रदेश में एक बागवानी विश्वविद्यालय है। मैं कई बार उनके ऊपर भी प्रश्नचिन्ह लगा चुका हूं। उन्होंने कोई अनुसंधान ही नहीं किया। इतने वर्ष हो गए जबकि बाहर के देशों ने इसमें इतने ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी विकसित की है। हम बाहर से जो इम्पोर्ट करते हैं तो वे उसको यहां आकर बेचते हैं। होना तो ऐसा चाहिए था कि अनुसंधान होता और यहां पर इंडीजिनस वैरायटी तैयार होती लेकिन वे अभी तक उसको नहीं कर पाए। हमें इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। आने वाले समय में हमें किस तरह से चुनौतियों का सामना करना है और किस तरह से हमें दुनिया के दूसरे देशों के साथ खड़े रहना है

31-3-2026/1435/NS-HK/2

और किस तरह से उनके साथ कदमताल करनी है जो एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं। हमें इसके लिए भी तैयार रहने की जरूरत है। मैं आज सभी माननीय सदस्यों से यह बात कहना चाहूंगा कि इस विषय पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। लोग देख रहे हैं कि कौन राजनीति कर रहा है और कौन राजनीति नहीं कर रहा है? हम बिल्कुल राजनीति नहीं कर रहे हैं क्योंकि यह हमारे बागवानों व किसानों की आर्थिकी से जुड़ा मुद्दा है। इसलिए मेरा विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि हम एकमत होकर इस संकल्प को पारित करें और केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजें तथा गुजारिश करें कि हिमाचल को भी उस समझौते में शामिल किया जाए ताकि हम अपनी बात को वहां रख सकें। भविष्य में कोई

ऐसा कदम न उठाएं जिससे हमें वापिस आना बहुत ज्यादा मुश्किल हो। आपने मुझे सुना, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।

सभापति : इस संकल्प में 6 माननीय सदस्य अपने विचार रखेंगे। मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि समयसीमा का ध्यान रखें ताकि अगले संकल्प भी इस माननीय सदन में प्रस्तुत हो जाएं। अब श्री अनिल शर्मा भी इस संकल्प में भाग लेंगे।

श्री अनिल शर्मा ----आर०के०एस० द्वारा -----जारी

31.03.2026/1440/RKS/hk-1

श्री अनिल शर्मा : माननीय सभापति महोदय, जो संकल्प श्री कुलदीप सिंह राठौर जी ने रखा है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। जो संकल्प आपने किसानों और बागबानों के लिए लाया है इसे आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है। आपने राजनीति के बारे में बात की और मैं भी चाहता हूँ कि इस विषय को राजनीति से न जोड़ा जाए क्योंकि यह हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। मैं भी सेब उत्पादक हूँ और बचपन से ही मैंने सेब उत्पादन के लिए अपना जीवन लगाया है। मेरे पिता जी ने मेरे लिए कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई, कोई क्रशर नहीं लगाया और न ही कोई फैक्ट्री लगाई। सभी नेताओं के बच्चे इन चीजों में संलिप्त होते हैं लेकिन मेरे पिता जी का शुरू से बागीचे और पशुपालन की ओर ध्यान रहा। उन्होंने मुझे भी प्रेरित किया कि मैं इस लाइन में काम करूँ। मैं जानता हूँ कि इस प्रदेश के अंदर सेब उत्पादन बहुत बड़ी चुनौती है। इस बारे में राठौर जी ने भी जिक्र किया है। पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से हम उस तरह सेब का उत्पादन नहीं कर पाते हैं जिस तरह अमेरिका, न्यूजीलैंड और दूसरे देशों में सेब उत्पादन होता है। मैं यह उदाहरण इसलिए देना चाहता हूँ कि मैं हाल ही में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गया था। जो सेब हिमाचल और भारत के अन्य क्षेत्रों में मिलता है उससे दोगुनी कीमत में वहां सेब मिलता है। जो सेब वहां महंगे रेट पर मिलता है वही सेब भारत में आकर सस्ता मिलता है। क्या हमने इसके ऊपर कभी गौर किया? इसका कारण यह है कि वहां की सरकारों ने अपने सेब को एक्सपोर्ट करने के लिए प्रयास किये हैं। वहां इतना ज्यादा सेब होता है कि यदि वे उसे एक्सपोर्ट करने के लिए प्रयास नहीं करेंगे तो उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने सेब पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट

की व्यवस्था नहीं की है। एग्रीकल्चर और होर्टिकल्चर के क्षेत्र में यह व्यवस्था है। चाहे हमारे आम की फसल हो या दूसरे फल, यह व्यवस्था सब फसलों पर लागू है। यदि हम FTA की बात करें तो इसके अंदर IT, pharma, tourism और horticulture sector इन्वोल्व्ड हैं। मेरा प्रश्न यह है कि हम होर्टिकल्चर सैक्टर की बात तो कर रहे हैं परंतु FTA की वजह से जो दूसरे क्षेत्रों में फायदा होगा उसको भी नकारा नहीं जा सकता। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि प्रदेश में सेब के ऊपर कब चुनौती नहीं आई। कभी ओले के कारण हमारे सेब की फसल बर्बाद हो जाती है। यह सही है कि हमारी प्रोडक्टिविटी न्यूजीलैंड और अमेरिका के बराबर नहीं हो सकती। मैं माननीय होर्टिकल्चर मिनिस्टर जी से बात कर रहा था कि पीछे एक वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट यहां लाया गया था जिसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में हजारों-करोड़ रुपये के प्लांट क्रय किए गए। हम यह तो चर्चा करते

31.03.2026/1440/RKS/hk-2

हैं कि इंपोर्ट ड्यूटी कम होने से हमें क्या फर्क पड़ेगा लेकिन मैं इस विषय पर बाद में चर्चा करूंगा। जब ये हजार-करोड़ रुपये के प्लांट क्रय किए गए तो उस वक्त श्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी होर्टिकल्चर मिनिस्टर हुआ करते थे। मैंने भी उनसे प्लांट लेने के बारे में बात की। उन्होंने मुझे 800 प्लांट दे दिए और मैं बहुत खुश हुआ। क्योंकि आज कंपिटिशन का जमाना है। हमें सेबों की क्वालिटी इम्प्रूव करनी पड़ेगी। मैं चुनौतियों की बात करना चाहता हूँ। मैं इस संबंध में माननीय राजस्व मंत्री जी से भी बात कर रहा था। मुझे उन पौधों को लगाए हुए सात साल हो गए लेकिन उनकी ग्रोथ अभी डेढ़ फुट भी नहीं हुई है। मैं सात साल तक इंतजार करता रहा कि इन पौधों की ग्रोथ होगी। यहां गाला, स्पर वेरायटी इत्यादि की बात की जाती है लेकिन वे वेरायटीज कहां चली गई हैं। आपने जो प्लांट इंपोर्ट करके लाए हैं, आप उनकी हालत देखिए। आज हम आर्थिक रूप से खुद को कमजोर कर रहे हैं। हम उन देशों मुकाबला कैसे कर पाएंगे जब हम अपने आप होर्टिकल्चर सैक्टर को बढ़ावा नहीं दे पाएंगे। मेरे पिताजी कभी होर्टिकल्चर मिनिस्टर थे। उन्होंने बहुत से विभागों में काम किया है। मैं उस वक्त की बात भी करना चाहूंगा। होर्टिकल्चर विभाग ने हमें नासपाती की कलम दे दी और कहा कि ये बहुत अच्छी वेरायटी है। जब दो-तीन साल बाद उन पौधों में नासपाती लगी तो वह नासपाती पचास पैसे किलो भी नहीं बिकी। जब विभाग के अधिकारी मंत्री को बेवकूफ बना सकते हैं तो फिर हमारे आम होर्टिकल्चर से जुड़ हुए किसान क्या

कर सकते हैं? मैं यह प्रैक्टिकल बातें इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि मैंने ये काम खुद किये हैं। आप जो अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, क्या इसके लिए हम स्वयं दोषी नहीं हैं?

श्री बी०एस०द्वारा जारी

31.03.2025/1445/बी.एस./ वाई.के.-1

श्री अनिल शर्मा जारी...

हम कह रहे हैं कि एफ०टी०ए० की वजह से इंपोर्ट ड्यूटी 50 से 25 प्रतिशत कर दी, 50 से 20 प्रतिशत कर दी और मैं पूछना चाहता हूँ कि एक रॉयल सेब था वह मेरे 50 रुपये किलो नहीं बिकता था, मात्र 40 रुपये किलो बिकते थे। उसी प्लांट के ऊपर मैंने भी देखा जब मैं थोड़ा राजनीति में आया तो मैंने उन पेड़ों के ऊपर ग्राफ्टिंग कर दी। वही आज 200 रुपये किलो बिक रहे हैं जो 40 रुपये किलो नहीं बिकते थे वही सेब 200 रुपये किलो बिक रहे हैं। तो क्या आर्थिक रूप से हमें खुद काम नहीं करना पड़ेगा?

यदि हम एयर स्ट्रॉम नेट लगा सकते हैं या हम इसके लिए और काम कर सकते हैं तो हमने इस चुनौती का सामना करने के लिए क्या किया? पहले यह बताइए कि सरकार क्या कर रही है? कोल्ड स्टोरेज आपके लग रहे हैं क्या मण्डी जैसे क्षेत्र में कोल्ड स्टोर लगे हैं? वहां क्यों कोल्ड स्टोरेज लगे? मैंने कल भी यह बात की कि एक सड़क टूटने से पूरी बेल्ट का सेब करोड़ों रुपये का था वह सड़कों के बीच में पड़ा रह गया और हम उसको देखते रहे क्योंकि हम कुछ नहीं कर सके। एक वक्त था हमें याद है कि गोरखे होते थे और सड़क कम हुआ करती थी और गोरखे सेब के डब्बे नीचे सड़कों तक लाया करते थे। आज वह चीज नहीं रही। अब न गोरखे रहे और न वैसा काम रहा। एक सड़क टूटने से हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल जीरो हो गई। क्या हमारे प्रदेश की जरूरत नहीं है? आप किसी पर उंगली उठाते हैं परंतु एक उंगली आपकी तरफ भी उठती है। हम उन चुनौतियों के लिए क्या कर रहे हैं?

यदि हम प्रोग्रेसिव हॉर्टिकल्चर में जाना चाहते हैं तो हमें अपना सिस्टम बदलना पड़ेगा। यह बात भी इसलिए कहना चाहता हूँ कि हमें उन चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार

होना होगा। ठीक है, हम भी समर्थन करते हैं। हम इस बात को नहीं करना चाहते हैं परंतु इसकी नीति बननी चाहिए। यह नीति ऐसी होनी चाहिए जो केंद्र को लगे कि आर्थिक रूप से प्रदेश समृद्ध हो रहा है। हमारे पास क्या है, हॉर्टिकल्चर है, पानी है, जैसे हाइडल प्रोजेक्ट बना सकते हैं। जंगल है जिसको हम काट नहीं सकते। हमारे पास क्या साधन हैं?

31.03.2025/1445/बी.एस./ वाई.के.-2

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सबसे बड़ी बात यह भी कहना चाहता हूँ कि हम रोजगार की बात करते हैं परंतु हमारे जो बगीचे लगे हैं वहां तो 4-4 और 5-5 लोग काम कर सकते हैं। जो पढ़े-लिखे लोग हैं वे उसे चलाएं। आगे वक्त बुरा आने वाला है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यदि मैं अपने बेटे को बोलूँ कि बेटा बगीचे में जा बगीचे में काम करके देखो तो वह कहेंगे पापा आप लोग कहां फंस गए? आप कहां जा रहे हो, अब क्या मैं जाकर बगीचा देखूंगा? आज बच्चों की हालत यह हो चुकी है। वे वहां पर नहीं जाना चाहते और इसलिए ऐसे नौजवान लड़के तैयार करने पड़ेंगे जो इस लाइन में सक्षम हों। जो आपके बड़े-बड़े बगीचे संभाल सकें। लाखों रुपये की आप उनका तनख्वाह दे सकते हैं। इन बिंदुओं पर हमें चर्चा करनी चाहिए।

सभापति महोदय, समय कम है इस पर ज्यादा बात नहीं रखूंगा। सबसे पहले कनेक्टिविटी जो मैं कल कह रहा था। जब तक हमारी कनेक्टिविटी नहीं होगी हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी बागवानों को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। लाहौल के विधायक से पूछिए कि लाहौल की जो सब्जी थी वह सारी खराब हो गई। क्योंकि आगे सड़कें टूटी हुई थीं, टूरिज्म आपका फेल हो गया। सबसे पहले आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए इन बिंदुओं पर चर्चा करें और मैं यह भी बताता चाहता हूँ कि शेष उत्पादन के लिए हमें इसको सेंसिटिव लिस्ट में डालना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि केंद्र सरकार के साथ मिलकर नीतिगत फैसला करें। उसके लिए प्रस्ताव लेकर जाएं तो कम से कम इस बात को लेकर चलें और इंपोर्ट प्राइस को भी इस बात पर रखें। आदरणीय राठौर जी ने इस बात को रखा कि मिनिमम इंपोर्ट प्राइस रखी गई है। पहले इस बात को नहीं देखा जाता था। कम रेट लगाकर वह चीजें इंडिया में ले जाते थे। यदि अब 80 रुपये किलो कर दिया तो पहले 40 रुपये किलो 30 रुपये करके ही देश में ले जाते थे। हमें इस बात को

भी देखना है। जो हमारा आयात है उसे भी सख्ती से लागू करने का प्रश्न है। हम चाहते हैं कि इस प्रदेश को आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए जो सेब उत्पादन हो रहा है उसमें सिस्टम ही बदलना पड़ेगा। कोल्ड स्टोरेज भी बनाने पड़ेंगे। हमें पैकिंग के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे पास मैन पावर नहीं है। बाहर से लोग आते और मैन पावर महंगी पड़ती है। आज सेब उत्पादन हमारे लिए बहुत महंगा है। जो संकल्प को आदरणीय कुलदीप सिंह राठौर जी लाए हैं। इसमें जैसा मैंने कहा कि राजनीति नहीं करनी चाहिए।

31.03.2025/1445/बी.एस./ वाई.के.-2

हम राजनीतिक तौर पर यह न कहें कि इसका नुकसान केन्द्र सरकार के माध्यम से एफ0टी0ए0 लागू होने के कारण हुआ है। उसमें कई कारण जैसे मैंने कहा कि प्रदेश को देखने हैं और एफ0टी0ए0 के अंदर जो हो सकता है उस पर हमें प्रयास करना चाहिए कि उसे केंद्र सरकार तक पहुंचाया जाए और प्रदेश के लिए उचित नीति बन सके।

श्री डी.टी. द्वारा जारी.....

31.03.2026/1450/DT/YK-1

श्री अनिल शर्मा जारी.....

हमारे बागवानी मंत्री श्री जगत सिंह नेगी जी इस पर क्या करना है यह फैसला लेने में सक्षम है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जिन बिंदुओं पर मैंने चर्चा की है कि जब तक हमारा प्रोड्युज मार्केट में नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जब तक हमारा प्रोड्युज मार्केट तक नहीं पहुंचेगा तब हमें डर लगता रहता है कि कहीं ओला तो नहीं पड़ गया, अगर ओला पड़ गया तो कहीं फल में दाग तो नहीं पड़ गये, इसलिए जब तक हमारा उत्पाद मार्केट में नहीं बिकता तब तक हमें डर ही लगा रहता है। जैसा माननीय सदस्य श्री कुलदीप सिंह राठौर जी ने बात कही कि जब बागवान का प्रोड्युज मार्केट तक पहुंचता है उस समय तक मार्केट फ्लडिड हो जाता है और जो रेट मिलता है उस समय मार्केट में मिलता है उस रेट में अपने प्रोड्युज

को बेचना पड़ता है। ऐसा न हो, इस प्रकार की व्यवस्था बनाने की जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की है और सरकार इससे अपना हाथ नहीं झाड़ सकती।

सभापति महोदय, अंत में मैं यही कहूंगा कि माननीय सदस्य श्री कुलदीप सिंह राठौर जी जो संकल्प इस माननीय सदन में लेकर आए हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

31.03.2026/1450/DT/YK-2

सभापति : अब चर्चा में भाग लेंगे माननीय शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर जी।

शिक्षा मंत्री : सभापति महोदय, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता और ठियोग विधान सभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री कुलदीप सिंह ठाकुर जी बहुत महत्वपूर्ण संकल्प इस सदन में लाए हैं और उसके साथ उन्होंने अपने बहुत अच्छे और सार्थक सुझाव भी इसमें दिए हैं। श्री अनिल शर्मा जी जो इस मान्य सदन के वरिष्ठ विधायक हैं उन्होंने भी बागवानों और किसानों को भविष्य में आने वाली समस्याओं के बारे में सभी बातों से हमें प्रबुद्ध किया है।

सभापति महोदय, यह संकल्प कहीं-न-कहीं हमारे किसानों, विशेषकर जो हमारे बागवान हैं उनके भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। विशेषतौर से जब से प्रदेश की आर0डी0जी0 को बंद किया गया है, हम अपने प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कई बार चर्चा इस मान्य सदन में लाए हैं। डॉ० यशवंत सिंह परमार जी, जिन्हें हिमाचल प्रदेश का निर्माता भी कहा जाता है, उन्होंने जिस सोच के साथ हिमाचल प्रदेश को बनाने का कार्य शुरू किया था और उसके बाद जब हमारा प्रदेश अस्तित्व में आया था उस समय प्रदेश के पास सीमित साधन थे। प्रदेश में उद्योग नाम मात्र थे। प्रदेश की जनसंख्या बहुत कम थी। हमारा पुराना हिमाचल मात्र पांच जिलों का एक छोटा सा राज्य था। उस समय एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे नेतृत्व के सामने थी कि किस तरह से वे आने वाले समय में प्रदेश को आत्म निर्भर बनया जा सकता है। उस वक्त प्रदेश के प्रथम मुख्य मंत्री डॉ० परमार की सोच बनी की हमारे बागवानी, पर्यटन और पाँवर सैक्टर को मजबूत किया जाना बहुत जरूरी है जिसके माध्यम से भविष्य में हिमाचल प्रदेश अपने पाँव में खड़ा हो सकता है। इसके पश्चात

इन क्षेत्रों को निरंतर प्राथमिकता दी गई, उसका ही परिणाम है की प्रदेश इन क्षेत्रों में मजबूत हुआ है। जैसा आज माननीय सदस्य श्री कुलदीप सिंह राठौर जी व श्री अनिल शर्मा जी द्वारा कहा गया कि आज सेब की आर्थिकी 5000 करोड़ रुपये की बनी है। जहां कभी प्रदेश में पर-कैपिटा इंकम 200 रुपये प्रतिवर्ष हुआ करती थी, जैसा की माननीय मुख्य मंत्री ने प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों में इसका उल्लेख किया है, वह आज बढ़कर 2 लाख 83 हजार हो चुकी है। इस क्षेत्र में बहुत बड़ा उछाल प्रदेश में देखने को मिला है। यह भी हमारे प्रदेश की विशेषता है कि 90 प्रतिशत हिमाचल ग्रामीण क्षेत्रों में बसता है उसमें भी 60 से 70 प्रतिशत के आस-पास की जो आबादी है वह कृषि और बागवानी से जुड़ी है। निश्चित रूप से यह क्षेत्र प्रदेश के लिए आय का अच्छा साधन बना है।

31.03.2026/1450/DT/YK-3

इसी का प्रमाण है कि बहुत से जिलों की आर्थिकी डायरेक्टली बड़ी है लेकिन अगर पूरे प्रदेश की इन-जनरल हम बात करें तो हमारे ये दोनों सैक्टर चाहे उसमें हम बागवानी या कृषि विभाग की बात करें या उसमें पर्यटन विभाग की बात करें, लगभग 30 प्रतिशत के आसपास जो हमारा सकल घरेलु उत्पाद है उसमें इन क्षेत्रों का कंट्रीब्यूशन होता है। 90 के दशक के उपरांत जहां हमारे बागवान एवं किसानों की आर्थिकी में समृद्धि आई वहीं साथ-ही-साथ हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जैसा की हमारे दोनों वरिष्ठ नेताओं के द्वारा भी कहा गया है उसका सबसे बड़ा कारण बदलता हुआ मौसम है क्योंकि पहले जिस प्रकार मौसम के स्वभाव हुआ करते थे उसमें भी

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

31.03.2026/1455/ए.जी.-एन.जी./1

शिक्षा मंत्री..... जारी

बहुत अंतर देखने को मिल रहा है क्योंकि सेब का सीधा संबंध बर्फ के साथ है। डे-बाय-डे, हर वर्ष अगर आप आंकलन करेंगे तो बर्फ घटती जा रही है और यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। मैं समझता हूँ कि हम सभी किसान-बागवान हैं, क्योंकि यहां अधिकतर माननीय सदस्य मूल रूप से किसान या बागवान परिवारों से आते हैं। इन चुनौतियों में जहां एक तरफ पर्यावरण परिवर्तन (Environment Change) एक प्रमुख चुनौती है, वहीं दूसरी तरफ उत्पादन में गिरावट भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके बारे में माननीय सदस्य श्री कुलदीप सिंह राठौर ने भी कहा कि हमारे विश्वविद्यालयों को समय के अनुसार ऐसे रिसर्च एंड डवलपमेंट के कार्यक्रम करने चाहिए थे ताकि वर्तमान परिवेश में भी हमारी हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री तर्कसंगत और मजबूत बनी रहे। आज जिस तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, चाहे हम अमेरिका की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें या यूरोपियन यूनियन की बात करें, तो यह एक बहुत बड़ा नुकसान साबित होगा। आज हम सभी, चाहे किसी भी दल से हों, पार्टी की विचारधारा से ऊपर उठकर एक किसान-बागवान के नाते इन मुद्दों को यहां पर रख रहे हैं। निश्चित रूप से यदि यह भविष्य में लागू होता है तो इसका बहुत बड़ा नुकसान किसानों व बागवानों को होगा। जैसा कि माननीय सदस्य श्री अनिल शर्मा जी ने कहा कि न्यूजीलैंड में सेब आपको महंगा मिलता है और यहां पर सस्ता मिलता है। वर्तमान परिस्थितियों में एक लेवल प्लेइंग फील्ड पाना इतना आसान नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर जैसे लैंड होल्डिंग की बात माननीय सदस्य श्री कुलदीप सिंह राठौर ने कही। हमारे प्रदेश में लगभग 90 प्रतिशत किसान-बागवान स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की श्रेणी में आते हैं। केवल लगभग 10 प्रतिशत किसान-बागवान ऐसे होंगे जिनके पास 25 बीघा से ज्यादा जमीन है। अगर हम विकसित देशों से तुलना करें, जैसे न्यूजीलैंड से, तो वहां पर स्मॉल फार्मर्स की भी मिनिमम लैंड होल्डिंग लगभग 50 हेक्टेयर है, जो हमारे यहां के बड़े किसानों-बागवानों की जमीन से भी ज्यादा है।

31.03.2026/1455/ए.जी.-एन.जी./2

उनकी प्रोडक्शन भी हमसे लगभग 15 गुना ज्यादा है। अमेरिका की प्रोडक्शन भी लगभग 10 गुना ज्यादा है। हमारी भौगोलिक परिस्थितियां बहुत विकराल हैं और इन परिस्थितियों में भी जो उत्पादन हो रहा है, उसका बहुत बड़ा योगदान व श्रेय यहां के प्रगतिशील किसान-बागवानों को जाता है। उन्होंने इन कठिन परिस्थितियों में भी एक बहुत बड़ा उद्योग स्थापित किया है। लेकिन इस तरह के एग्रीमेंट निश्चित रूप से हमारे इस उद्योग को नुकसान पहुंचाएंगे। मैं पिछले 10-15 वर्षों का डेटा देख रहा था और पिछले 10-15 वर्षों में लगभग 150 गुना सेब का आयात भारत में बढ़ा है। आज ग्लोबल इकॉनोमी में सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, लेकिन निश्चित रूप से जो विकासशील देश (Developing Countries) हैं, वहां की सरकारों का यह परम कर्तव्य बनता है। मैं सेब उत्पादकों के अलावा अन्य किसानों-बागवानों की बात भी करूंगा कि हमें उनकी रक्षा करनी होगी। उदाहरण के तौर पर न्यूजीलैंड में सरकार अपने किसानों-बागवानों को कई प्रकार से अनुदान देती है। हमारे यहां तो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम में पहले केंद्र और राज्य सरकार 50-50 प्रतिशत योगदान देते थे, लेकिन पिछले वर्ष से केंद्र सरकार के हिस्से में भी विराम लग चुका है। इसलिए निश्चित रूप से इस समय हमें किसानों-बागवानों के हित में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनका साथ देना होगा। वर्तमान समय में लगभग 36 देशों से सेब का आयात भारत में हो रहा है। प्रमुख रूप से इनमें न्यूजीलैंड, अमेरिका और तुर्की जैसे देश शामिल हैं। इनका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव हमारे किसानों और बागवानों पर पड़ेगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, वर्तमान परिस्थितियों में लेवल प्लेइंग फील्ड बनने में अभी काफी समय लगेगा। निश्चित रूप से प्रतिस्पर्धा का समय है,

श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

31.03.2026/1500/ए0जी0/ए0पी0-01

शिक्षा मंत्री जारी

लेकिन अब प्रतिस्पर्धा भी किस बात की करेंगे। जहां पर उनके पास 50 हेक्टेयर हैं और यहां हमारे स्मॉल फार्मर के पास बहुत कम जमीन है। वहां पर, बड़े फार्मर के पास जमीन एक प्रतिशत के आसपास भी नहीं होंगे। अगर हम सब्सिडी कि बात करें तो कितने गुण ज्यादा सब्सिडी विकसित राष्ट्र है जो अपने किसानों और बागवानों को देते हैं, उसकी हम तुलना भी नहीं कर सकते। इसलिए चाहे प्रदेश सरकार की बात हो या केंद्र सरकार की बात हो, निश्चित रूप से हमें अपने किसानों और अन्नदाता के साथ खड़ा होना चाहिए। यह समय की आवश्यकता भी है। यह एक बहुत तर्कसंगत संकल्प माननीय सदन में लाया गया है। हमारे माननीय सदस्य श्री अनिल जी ने भी कहा है कि इस संकल्प को हमें एडॉप्ट करना चाहिए और केंद्र सरकार के समक्ष इस मामले को उठाना चाहिए ताकि जो यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया है। वह कहीं हमारे उद्योगों के लिए आखिरी कील साबित न हो जाए। इस तरह की स्थिति उत्पन्न न हो, यही मेरा आग्रह है। सभापति महोदय, आपने समय दिया, आपका धन्यवाद।

31.03.2026/1500/ए0जी0/ए0पी0-02

सभापति : अब चर्चा में भाग लेंगे, माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह वर्मा जी।

श्री बलबीर सिंह वर्मा : सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री कुलदीप सिंह राठौर जी ने यह बहुत महत्वपूर्ण संकल्प इस माननीय सदन में लाया है। यह संकल्प महत्वपूर्ण है लेकिन इस संकल्प के माध्यम से इन्होंने जो तथ्य माननीय सदन में रखे हैं, वे वास्तविकता से थोड़ा अलग हैं। मैं इस सदन में वास्तविकता रखना चाहता हूं। आज से पहले जो भी सेब भारत में आता था चाहे वे अमेरिका, यूरोप, न्यूजीलैंड से आता था। उसमें कितनी क्वांटिटी आएगी, इस पर कोई पाबंदी नहीं थी। वह सेब किस प्राइस पर आएगा, इस पर भी कोई पाबंदी नहीं थी। दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनके कारण माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि जो इंपोर्टेड सेब होता था। वह भारत में होने वाले सेब से डेढ़ सौ गुना तक बाहर से आता था। हिमाचल के सेब को प्राइस नहीं मिलने का सबसे बड़ा कारण यही था कि जो सेब बाहर से आता था, उसमें वॉल्यूम पर कोई पाबंदी नहीं थी। अमेरिका कितना सेब देगा, न्यूजीलैंड कितना सेब देगा, यूरोप कितना सेब देगा, चीन, तुर्की, ईरान और चिली जैसे

देश कितना सेब देंगे, इस पर कोई पाबंदी नहीं थी। सेब कितना आएगा, इसकी कोई सीमा नहीं थी और किस रेट पर आएगा, इसकी भी कोई पाबंदी नहीं थी। सभापति महोदय, अगर अमेरिका 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सेब लाता था तो 50 प्रतिशत टैक्स लगने के बाद भी वह 60 रुपये में भारत में उपलब्ध हो जाता था। पिछले 60 सालों से यह रेट फिक्स ही नहीं हुए थे कि मिनिमम प्राइस कितना होना चाहिए। अगर मिनिमम प्राइस फिक्स नहीं था तो हिमाचल प्रदेश के सेब के साथ यह सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा था। लेकिन आज स्थिति बदली है। अब यह तय कर दिया गया है कि अमेरिका, न्यूजीलैंड और यूरोप से जो सेब आएगा उसका मिनिमम प्राइस 80 रुपये प्रति किलो से कम नहीं होगा और उस पर 25 प्रतिशत टैक्स भी लगेगा। पहले वही सेब 40 रुपये के हिसाब से आता था और 50 प्रतिशत टैक्स के बाद 60 रुपये में मिल जाता था और वह भी थोक में बड़ी मात्रा में आता था। अब अमेरिका की क्वांटिटी भी सीमित कर दी गई है। सभापति महोदय, भारत में सबसे ज्यादा सेब जम्मू-कश्मीर में होता है। जोकि लगभग 60 प्रतिशत है। 22-से-30 प्रतिशत के करीब सेब हिमाचल प्रदेश में होता है। इसके अलावा उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में भी सेब होता है। भारत में सेब का उत्पादन मौसम के

31.03.2026/1500/ए0जी0/ए0पी0-03

आधार पर होता है। कभी 20 लाख टन का सेब उत्पादन होता है और जब मौसम ठीक हो और अच्छी फसल हो तो उस समय सेब की उत्पादकता 25 लाख टन तक पहुंच जाती है। लेकिन भारत को हर साल लगभग 30 लाख टन सेब की जरूरत होती है। इसलिए लगभग 5 लाख टन सेब हर साल बाहर से आता था। उस 5 लाख टन के बदले हमारा सेब जब कम होता था, उसमें कोई फिक्स नहीं था कि

श्री ए0टी0 द्वारा जारी

31.03.2026/1505/AT/AS/01

श्री बलबीर सिंह वर्मा जारी...

अमेरिका से कितना सेब आएगा, यूरोप से कितना आएगा, और अन्य देशों, जैसे न्यूजीलैंड से कितना सेब आएगा। पर नरेंद्र मोदी जी ने यह फिक्स किया कि भारत में अमेरिका से एक लाख टन से ऊपर एक किलो भी सेब एक्स्ट्रा नहीं आएगा और उसका रेट 80 रुपये से कम एक रुपये भी नहीं होगा। सभापति महोदय, पहले ये सारी बातें नहीं थीं।

सभापति महोदय, मैं आपको दावे से कहता हूँ कि जो यह क्वांटिटी और रेट फिक्स किया गया है ... (व्यवधान) कृपया मुझे बोलने दें ... (व्यवधान) मैं सदन को गुमराह नहीं कर रहा, बल्कि वास्तविकता बता रहा हूँ ... (व्यवधान)

सभापति: माननीय सदस्य, please address to the Chair.

श्री बलबीर सिंह वर्मा : आप भी बताइए कि इसका नोटिफिकेशन कहां है? अभी यह सब प्रपोजल है। सभापति महोदय, अभी किसी चीज़ का कोई नोटिफिकेशन नहीं है, यह केवल प्रपोजल है। यह बात आप मानें। जो प्रपोजल है, मैं वही आपके सामने रख रहा हूँ। इस प्रपोजल में बिल्कुल क्लियर है कि अमेरिका से जो सेब आएगा, उसकी आयात मात्रा एक लाख टन फिक्स है और इससे ऊपर नहीं आएगा। दूसरा, तीन साल के बाद न्यूजीलैंड से कितना सेब आएगा, यूरोप से कितना आएगा यह सब भी फिक्स है और 80 रुपये के हिसाब से आएगा, यानी 80 रुपये मिनिमम प्राइस रखा गया है। इस में पहले कोई भी प्राइस फिक्स नहीं था ... (व्यवधान)

सभापति : माननीय सदस्य, please address to the Chair.

श्री बलबीर सिंह वर्मा : सभापति महोदय, अमेरिका से जो सेब आता था वह 40 रुपये के हिसाब से होता था उस पर 20 रुपये टैक्स लगाकर 60 रुपये हो जाता था। लेकिन अब 80 रुपये मिनिमम करना पड़ेगा। वे भारत में 110 रुपये से कम सेब नहीं बेच सकते। कोई

31.03.2026/1505/AT/AS/02

भी सेब चाहे न्यूजीलैंड का हो या यूरोप का भारत में इससे कम में नहीं बिक सकता। अब मैं इसके बारे में थोड़ा और कहना चाहता हूँ ... (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, मैंने

वास्तविकता इस माननीय सदन में लाई है। सभापति महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूँ...(व्यवधान)

Chairman : Please, Shri Kuldeep Singh Rathore Ji, let him complete. ... (Interruption) Hon'ble Member, address to the Chair.

श्री बलबीर सिंह वर्मा : मैं आपको बताता हूँ, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने चीन से आने वाला सारा सेब बंद किया है। आपकी सरकार के समय चीन से सेब आता था और हिमाचल प्रदेश का सेब बहुत सस्ता बिकता था। इससे हिमाचल प्रदेश को सबसे ज्यादा फायदा तब हुआ जब चीन और ईरान से सेब का आयात कम हुआ। उसी का परिणाम है कि आज हिमाचल प्रदेश का सेब कई बार 200-300 रुपये किलो तक बिकता है और आज की तारीख में अमेरिका का सेब 300 रुपये से कम कहीं नहीं मिल रहा। हालांकि उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी अलग है।

सभापति महोदय, मैं एक बात माननीय मंत्री से कहना चाहता हूँ कि अगर हिमाचल प्रदेश में क्वालिटी और क्वांटिटी में सुधार करना है तो हमारी यूनिवर्सिटियों के जो साइंटिस्ट हैं उन्हें एप्पल बेल्ट में जाकर बागवानों को ट्रेनिंग देकर उन्हें समझाना चाहिए। अगर बागवान क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी करेंगे तो उत्पादन भी बढ़ेगा। मैं दावे से कहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश सरकार का बागवानों को बहुत कम सहयोग मिल रहा है। बागवानों को समय पर न जाली के पैसे मिलते हैं और न जालियां समय पर मिलती हैं। ओलावृष्टि से हमारा सेब बहुत खराब हो जाता है। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान एक और बात में लाना चाहता हूँ कि गरीब बागवानों को स्प्रे की दवाई समय पर नहीं मिल रही है उन को समय पर दवाई मिले, क्योंकि अगर वह गरीब बागवान समय पर स्प्रे करेगा और हर चीज करेगा तो क्वांटिटी भी बढ़ेगा और क्वालिटी भी सही होगी।

दूसरा, मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूँ कि जो छोटे बागवान हैं जिन्होंने अपना सेब HPMC में दिया है। और जिनके पास सर्दियों का राशन तक नहीं

31.03.2026/1505/AT/AS/03

है उनके लिए सबसे पहले पैसे का प्रावधान किया जाए।

श्रीमती के0एस0द्वारा जारी.....

31.03.2026/1510/केएस/एस/1

श्री बलबीर सिंह वर्मा जारी ---

मंत्री जी, उसमें क्राइटेरिया फिक्स करें। आई0आर0डी0पी0 और कमजोर वर्ग के लिए सबसे पहले करें। बड़े बागवानों को अगर आप पांच साल भी नहीं देंगे तो कोई फर्क नहीं है। जैसे हमारे मंत्री श्री रोहित ठाकुर या हमारे साथी श्री हरीश जनारथा जी को दस साल के बाद भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा परंतु छोटे बागवानों को जिनके 5,10 या 15 हजार रुपये के छोटे अमाउंट हैं, उनको समय पर दें। बागवानी क्षेत्र में मैं दावे के साथ कहता हूं कि बहुत सी बीमारियां लगी हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र में पिछले कल ही भारी ओलावृष्टि हुई है। उससे पत्ती निकल जाती है और फूल खत्म हो जाते हैं, ऐसे हालात में अगले साल कैसे फसल लगे, अगर साइंटिस्ट उसको देखने के लिए स्पॉट पर जाएं, सारी चीजें देखें तो इसमें काफी सुधार होगा।

दूसरे, बागवानी और कृषि को अगर आप प्राकृतिक खेती की तरफ ले जाएं तो बहुत अच्छा होगा। वह इसलिए ज़रूरी है कि जो स्प्रे के रूप में हम ज़हर डाल रहे हैं वही ज़हर पानी में मिल रहा है। उस पानी को हम पीते हैं और उससे कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जो दवाइयां बाहर से या हिंदुस्तान से आ रही हैं, उनमें बहुत ज़हर होता है, पहले हमारी जान बचनी चाहिए। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप जरूर अध्ययन करें कि जो हम जहरीली दवाइयां डाल रहे हैं उनसे पानी दुषित हो रहा है, जमीन दूषित हो रही है। जमीन के 500 से 1000 फुट नीचे तक वह ज़हर पहुंच गया है। उससे हमने कैसे बचना है और आने वाली पीढ़ी को कैसे बचाना है, इस पर भी अध्ययन करें। सभापति महोदय, मैंने न्यूजीलैंड, युरोप, अमेरिका, चाइना, टर्की और ईरान सभी देशों के सेब के बारे में वास्तविकता बताई है। हम आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि जब से चाइना और इरान का सेब रुका है तब से हमारा सेब अच्छे रेट में बिक रहा है

और हिमाचल प्रदेश को इसका काफी फायदा हो रहा है। इसके लिए हम केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हैं। सभापति महोदय, आपने समय दिया, आपका धन्यवाद।

31.03.2026/1510/केएस/एस/2

राजस्व मंत्री : सभापति महोदय, अभी माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह वर्मा जी, बोल रहे थे। ऐसा लग रहा है जैसे हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग। वर्मा जी ने कई बार सेब के मुद्दे पर मेरे साथ मीटिंग भी की। ये वे माननीय सदस्य हैं जो युनिवर्सल कार्टन के विरोधी हैं। ...(व्यवधान) मैं रिकॉर्ड दिखा दूंगा। ...(व्यवधान)

सभापति : वर्मा जी, कृपया बैठ जाइए।

राजस्व मंत्री : सभापति महोदय, जब ये बोल रहे थे, मैंने एक शब्द नहीं बोला लेकिन अब मुझे भी पूरा मौका मिलना चाहिए। इन्होंने जो बोलना था बोल दिया, अब सुनने की शक्ति भी तो रखें। ये बागवानी का सवाल है। ये बहुत बड़ी-बड़ी बातें कह गए। ये यहां पर अमेरिका की वकालत करने आए हैं। ठीक है कि इन्होंने माननीय प्रधान मंत्री का भी गुण गाया, उसके बारे में मैं बाद में जिक्र करूंगा परंतु मैं अभी यह कहना चाहूंगा कि जब हमने युनिवर्सल कार्टन शुरू किया था, हमने जब फल वेट द्वारा बेचना शुरू किया तो बागवानों की यह बहुत लम्बे समय से मांग थी जिसके लिए वर्तमान सरकार ने, माननीय मुख्य मंत्री के आशीर्वाद से हमने यह कानून बनाया और इसे सख्ती से लागू भी किया। उस समय बड़े-बड़े लोग जो सेब के कारोबार में पेटियां बनाते हैं, अरबपति लोगों का दवाब था कि यदि युनिवर्सल कार्टन लाएंगे तो हमारा टेलीस्कोपिक कार्टन बंद हो जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा। बड़े-बड़े आढ़ती जब आपके टेलीस्कोपिक कार्टन खोलते थे तो उसमें 38 किलो तक लेते थे और रेट 20-25 किलो सेब का देते थे।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी ---

31.03.2026/1515/av/dc/1

राजस्व मंत्री----- जारी

लेकिन यूनिवर्सल कार्टन के आने से 38 किलोग्राम की लूट खत्म हुई। उसमें ज्यादा-से-ज्यादा 22 किलोग्राम वेट आता था और आपको वही पैसा मिलता था। ये वे लोग हैं जो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। पिछले कुछ महीने पहले पराला में माननीय सदस्य तथा इनके एक और भाजपा के नेता की मीटिंग थी। उसमें इन्होंने यह कहा कि जब इनकी सरकार आएगी तो हम दोबारा से टेलीस्कोपिक कार्टन वापिस लाएंगे। वहां पर बैठे दस-बीस सभी आढ़ती तालियां बजा रहे थे। ... (व्यवधान) वहां पर कोई बागवान नहीं था, वहां केवल आढ़ती थे। यह तो आढ़तियों की पार्टी है, इन्होंने तो इस प्रकार की बातें करनी ही हैं। मैं स्पष्टीकरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये यहां पर दवाइयों की बात कर रहे थे। अमेरिका वाले क्या प्राकृतिक खेती कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका से जो समझौता किया है क्या वह प्राकृतिक खेती वाले सेब का किया है? स्प्रे की दवाइयां सबसे पहले अमेरिका या यूरोप के दूसरे देशों में इस्तेमाल होती हैं, उसके बाद हमारे पास आती हैं। जिस प्रकार से माननीय सदस्य गारंटी दे रहे हैं तो क्या वहां से हमें सारा सेब प्राकृतिक खेती का आ रहा है? क्या उस सेब में कीटनाशक इस्तेमाल नहीं हुआ है या उसमें फंजीसाइड नहीं है? अभी यहां पर नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि प्रस्ताव तो कुछ और है तो फिर यहां पर इस प्रकार की बातें क्यों की गईं? हम तो बोल रहे हैं कि ठीक है, आप बोलिए। यहां पर बातें आनी चाहिए ताकि हम उस बारे में स्पष्टीकरण दे सकें।

माननीय सदस्य ने ओला वृष्टि की बात भी की है जिसके लिए यहां पर फसल बीमा योजना लागू है। उसमें 700 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति पेड़ मुआवजा किया है। उसको अगर आप फसल बीमा के तहत करते हैं तो उसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर मैं पूरे हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो फसल बीमा योजना के तहत हमारे बागवानों को कम-से-कम डेढ़ सौ करोड़ रुपये की राशि मिली है। मैं फसल बीमा योजना की लिस्ट देख रहा था। इसमें मेरे छोटे से जिला किन्नौर में लोगों ने फसल बीमा योजना ली है और उनको वहां पर 43 करोड़ रुपये की राशि मिली है। जबकि सेब की फसल में शायद ही थोड़ी-सी कमी रही होगी। इसलिए फसल बीमा कीजिए ओर ओला वृष्टि से बचिए। माननीय सदस्य ने मार्किट इंटरवेंशन स्कीम की बात भी की है। लेकिन यह केंद्र सरकार की स्कीम थी जिसको हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ मिलकर चलाना था। पिछले कुछ वर्षों से केंद्र सरकार ने एम0आई0एस0 का पैसा देना बंद कर दिया है और अब आप उसकी सारी

31.03.2026/1515/av/dc/2

जिम्मेवारियां हमारे ऊपर डाल रहे हैं तथा हमें बता रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में यह होना चाहिए या वह होना चाहिए। हमने होर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से दो-तीन वर्षों से ब्रांडिड दवाइयां देनी शुरू की हैं और आपको कोई घटिया दवाइयां नहीं दी जा रही हैं। हम उसको मार्किट से कम रेट पर प्रोक्योर करके दे रहे हैं। इनके समय में क्या था? इनके समय में तो दवाइयां भी नहीं मिलती थीं। उस समय सारे दो नम्बर के नकली दवाइयां बेचने वाले थे। हमारे पास जितनी भी दवाइयां हैं वे सारी यूनिवर्सिटी द्वारा रिकमेंडिड ब्रांड्ज की दी जा रही हैं, उसमें कहीं पर भी कमी नहीं है। यह ठीक है कि सब्सिडी वाले पोर्शन में पेंडेंसी बहुत हैं। मगर उसके भी कई कारण हैं जिसके पीछे एक कारण आर0डी0जी0 भी है। उसके लिए पिछली सरकार भी जिम्मेवार है क्योंकि हमारे ऊपर इनके समय की देनदारियां भी हैं। एम0आई0एस0 में हमने पिछली सरकार का लगभग 90 करोड़ रुपये क्लियर किया है। ये सारी बातें इनके ध्यान में लाना जरूरी था।

सभापति : अब माननीय सदस्य श्री मोहन लाल ब्राक्टा चर्चा में भाग लेंगे। ...(व्यवधान) आपका प्वाइंट ऑफ व्यू आ गया है। ...(व्यवधान) आपकी बात आ गई है, ...(व्यवधान) फिर से बहस चल पड़ेगी तो क्या फायदा? ...(व्यवधान)

ठीक है, माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह वर्मा, आप बोलिए।

श्री बलबीर सिंह वर्मा : सभापति महोदय, माननीय मंत्री ने जो यहां पर यूनिवर्सल कार्टन और टेलीस्कोपिक कार्टन का तर्क रखा है, उसके बारे में आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मैं उस बारे में अपनी पूरी बात रख रहा हूं।

टेलीस्कोपिक कार्टन और काँग्रेस पार्टी वर्ष 2027 में दूरबीन से देखनी पड़ेगी। हमारी सरकार के कार्यकाल में न तो टेलीस्कोपिक कार्टन होगी और न ही उस समय काँग्रेस पार्टी दिखेगी। ...(व्यवधान) मैंने यह कहा था। आपने जो दूसरी बात दवाइयों के बारे में कही है कि हम अच्छी क्वालिटी की दवाइयां उपलब्ध करवा रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि वे दवाइयां केवल चंद लोगों को मिल रही है। वह या तो अधिकारियों को मिल रही हैं या फिर काँग्रेस पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं को मिल रही हैं। मेरी यही विनती है कि गरीब और आम बागवानों को भी वे दवाइयां मिलें। धन्यवाद।

सभापति : अब माननीय सदस्य श्री मोहन लाल ब्राक्टा चर्चा में भाग लेंगे।

श्री मोहन लाल ब्राक्टा टी सी द्वारा जारी

31.03.2026/1520/टी0सी0वी0/डी0सी0-1

श्री मोहन लाल ब्राक्टा : सभापति महोदय, जो यहां पर माननीय सदस्य श्री कुलदीप सिंह राठौर ने संकल्प रखा है, वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया है कि केन्द्र सरकार द्वारा यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूज़ीलैंड और अन्य देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) से प्रदेश के सेब/फल उत्पादकों की अर्थव्यवस्था को संरक्षित रखने हेतु नीति बनाने पर विचार करें"।

इस विषय पर विपक्ष की ओर से दो माननीय सदस्यों ने भाग लिया जिनमें वरिष्ठ माननीय सदस्य श्री अनिल शर्मा ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने कई अच्छी बातें कहीं, हालांकि अंत में उन्होंने केंद्र की बात भी उठाई और कहा कि इसमें केंद्र का कोई दोष नहीं है। मैं और माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह वर्मा जी एक ही बैच के हैं। ये हर विषय में राजनीति करते हैं। आज बागवानों और किसानों का विषय था, फिर भी राजनीति की गई और बार-बार प्रधानमंत्री जी का नाम लिया। श्री नरेन्द्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और हम उनका मान-सम्मान करते हैं लेकिन बागवानों और किसानों का विषय अलग है। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इन्होंने एक बात ठीक कही कि एम0आई0एस0 का पैसा पहले गरीबों को दिया जाना चाहिए जिसका मैं भी समर्थन करता हूँ। मैं मुख्य मंत्री से भी सिफारिश करना चाहूंगा कि एम0आई0एस0 के अंतर्गत धनराशि पहले गरीब परिवारों को दी जाए। इस विषय पर मैं उनसे सहमत हूँ। दवाइयों के मुद्दे पर भी मैं सहमति व्यक्त करता हूँ कि दवाइयों की व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए।

अब बागवानी के क्षेत्र की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में इसका बहुत बड़ा योगदान है। लगभग 5000 करोड़ रुपये से 6000 करोड़ रुपये तक का यह सैक्टर है और लगभग 3 लाख परिवार इससे जुड़े हुए हैं। प्रदेश के जी0डी0पी0 में इसका लगभग 13 प्रतिशत योगदान है।

सभापति महोदय, यहां बहुत-सारी बातें कही गई हैं लेकिन मैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगा। आज बागवानी के क्षेत्र में प्रदेश ने काफी प्रगति की है। पहले समय में जब हम छोटे थे तो केवल 4 या 5 वैरायटी ही देखने को मिलती थीं, जैसे रॉयल रेड रिचर्ड गोल्डन, और रेड गोल्डन लेकिन आज सेब की कई नई वैरायटीज उपलब्ध हैं। कुछ

31.03.2026/1520/टी0सी0वी0/डी0सी0-2

इम्पोर्टेड हैं और कुछ हमारी यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित की गई हैं। फिर भी हमारी यूनिवर्सिटी को इस क्षेत्र में और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। विशेष रूप से छोटे किसानों और छोटे लैंड होल्डर पर ध्यान देना आवश्यक है। बड़े लैंड होल्डर तो हर वर्ष नई वैरायटीज लगा लेते हैं लेकिन छोटे किसान यानी स्मॉल लैंड होल्डर ऐसा नहीं कर पाते। जहां तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों का प्रश्न है, वहां पर पुरानी वैरायटी अभी भी अधिक प्रचलित है। नई वैरायटी वहां कितनी सफल है, इस पर अध्ययन और शोध करने की आवश्यकता है। यदि मैं अपने विधान सभा क्षेत्र डोडरा-क्वार की बात करूं तो वहां पिछले 8 से 10 वर्षों से बागवानी का क्षेत्र काफी बढ़ा है लेकिन अभी भी वहां पुरानी वैरायटी ही प्रमुख है। इस विषय पर मंत्री जी अपने विभाग और यूनिवर्सिटी को निर्देश दें ताकि यह तय किया जा सके कि कौन-सी वैरायटी किन क्षेत्रों हेतु उपयुक्त रहेगी?

सभापति महोदय, जब चुनाव आते हैं तो सभी को बागवानों और किसानों की याद आती है। हमारे प्रधानमंत्री जी को भी चुनाव के दौरान ही हिमाचल प्रदेश की याद आती है चाहे लोकसभा चुनाव हों या प्रदेश के चुनाव हो। वे जब सोलन और शिमला में रैलियां करते हैं तो उनको बागवानों और किसानों की याद आती है अन्यथा उनकी समस्याओं को उतनी प्राथमिकता नहीं दी जाती है।

एन0एस0 द्वारा ... जारी

31-3-2026/1525/NS-HK/1

श्री मोहन लाल ब्राक्टा-----जारी

मैं माननीय बलबीर सिंह वर्मा जी को बताना चाहता हूँ कि जो नए टैरिफ लग रहे हैं उसमें आप क्या-क्या करने जा रहे हैं? चुनावों के समय उनको बागवानों की जरूर याद आती है। मण्डी में सेपू बड़ी की याद आती है, कांगड़ा में जाते हैं तो कांगड़ी धाम और बिलासपुर में बिलासपुरी धाम की याद आती है। शिमला में आते हैं तो उनको कॉफी हाउस की याद आती है लेकिन उनको बागवानों और किसानों की याद नहीं आती है। जब यूनाइटेड स्टेट्स की बात आती है तो आज आप इम्पोर्ट ड्यूटी 25 प्रतिशत करने जा रहे हैं। पहले यह ड्यूटी 50 से 70 प्रतिशत थी। यूरोपियन यूनियन के लिए आज आप इम्पोर्ट ड्यूटी लगभग 20 प्रतिशत करने जा रहे हैं और पहले लगभग 50 प्रतिशत के आसपास थी। न्यूजीलैंड के लिए 25 प्रतिशत और अन्य देशों के लिए 50 प्रतिशत करने जा रहे हैं तथा अन्य देशों के लिए यह भी मंशन नहीं किया गया है कि कितनी क्वांटिटी आनी है या कितना सेब आना है? मैं मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि हमारे जो बड़े बागवान या किसान हैं और जब हमारा सेब सीजन लगता है तब बाजार में सेब की पेट्टियां बहुत ज्यादा पहुंचती हैं। लो हाइट वालों को वैरायटी के हिसाब से सेब का अच्छा मूल्य मिलता है। मिडल हाइट और अप्पर हाइट वालों को सेब का मूल्य काफी डाउन हो जाता है। उस समय हमारे बागवान अपना माल सी0एस स्टोर में स्टोर करते हैं। जो बागवान सी0ए0 स्टोर में माल रखते थे पहले उनका माल अच्छा बिकता था क्योंकि उस समय ऑफ सीजन होता था। अब जबसे न्यूजीलैंड का सेब अप्रैल से अगस्त में भारत में आएगा। उस वक्त हमारा सी0ए0 स्टोर का माल भी आता है और हमें फिर अच्छे दाम नहीं मिलेंगे। श्री बलबीर वर्मा जी कह रह थे और फिर अपनी बात से टविस्ट कर गए। पहले इन्होंने कहा कि जो सेब यूनाइटेड स्टेट्स, न्यूजीलैंड और यूरोपियन यूनियन से आता है उसका प्राइस 80 रुपये प्रतिकिलो फिक्स है और यह मार्केट में लगभग 100 रुपये के आसपास बिकता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि हमें 300 रुपये प्राइस कहां मिलेगा? जब यू0एस0ए0 का सेब मार्केट में 80 रुपये प्रतिकिलो बिकेगा तो हमारे सेब कौन खरीदेगा? इस बारे में सोच-विचार करने की आवश्यकता है और ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

मैं वर्तमान मुख्य मंत्री जी व बागवानी मंत्री को बधाई देना चाहता हूँ कि जैसे ही वर्ष 2022 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और माननीय सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी

31-3-2026/1525/NS-HK/2

मुख्य मंत्री बने तो एम0आई0एस0 का पैसा इन्होंने बढ़ाया। पूर्व सरकार में एम0आई0एस0 का पैसा 25 पैसे, 50 पैसे और कभी 75 पैसे बढ़ाया जाता था लेकिन वर्तमान मुख्य मंत्री जी ने पहली बार 1.50 रुपये रेट बढ़ाया। इन्होंने सेब का समर्थन मूल्य 10.50 रुपये से बढ़ा कर 12.00 रुपये किया और यह भी उन परिस्थितियों में बढ़ाया जब हिमाचल प्रदेश त्रासदी से जूझ रहा था। वर्ष 2023 में त्रासदी का दौर आया। उसके बाद आर्थिक संकट आया। मुझे याद है कि दिनांक 15 अगस्त, 2023 में मुख्य मंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस को मनाली में मनाना था लेकिन समरहिल में 14 अगस्त को त्रासदी हुई, उस समय श्री हरीश जनारथा जी और मैं भी उनके साथ थे तो मुख्य मंत्री जी ने मनाली का दौरा रद्द किया तथा रिज मैदान में फॉर्मल स्वतंत्रता दिवस मनाया। उन्होंने उस समय सेब का समर्थन मूल्य 10.50 रुपये से बढ़ा कर 12.00 रुपये अनाउंस किया। बाद में पत्रकारों ने उनसे पूछा कि एक तरफ आप बोलते हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस है, त्रासदी है और आप सेब का समर्थन मूल्य बढ़ा रहे हैं। उस समय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि मैं सेब का जो समर्थन मूल्य बढ़ा रहा हूं यह भी त्रासदी का ही पार्ट है। पत्रकार ने फिर दूसरा प्रश्न किया कि यह कैसे? तब मुख्य मंत्री जी ने कहा कि वह ऐसे जैसे मेरे से पूर्व शिक्षा मंत्री और श्री कुलदीप सिंह राठौर जी ने कहा कि हम आसमान पर भी निर्भर हैं। जब बागवानों को धूप की आवश्यकता होती है तब बरसात होती है

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

31.03.2026/1530/RKS/hk-1

श्री मोहन लाल ब्राक्टा जारी.....

और जब बारिश की जरूरत होती है तो धूप पड़ती है। आप देख ही रहे हैं कि बर्फ तो बहुत कम पड़ रही है। ओलावृष्टि के कारण भी किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। सेब सीजन बागवानों की साल की रोजी-रोटी का सवाल है। मैं तो यह कहूंगा कि सेब की अर्थव्यवस्था से पूरे हिन्दुस्तान के लोग जुड़े हैं। इस क्षेत्र से लेबर क्लास, आढ़ती, लदानी और कई वर्गों के लोग जुड़े हैं। हमारे बागवानों को कई बार और भी मार पड़ती है। कई बार

लदानी बागवानों के पैसे खाकर भाग जाते हैं जिससे आढ़तियों का पैसा भी मर जाता है और उससे किसानों को भी चपत लगती है। ऐसी बहुत सी परिस्थितियां हैं जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। मेरा आग्रह है कि सेब की नीति पर यहां से केंद्र सरकार को सर्वसम्मति से पास होकर यह संकल्प भेजा जाए ताकि हमारे बागवानों को इसका लाभ मिले। हमारे किसानों को सेब का सही न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले। पहले शिमला, मंडी, किन्नौर और सोलन जिला में ही सेब हुआ करता था लेकिन नई तकनीक के आधार पर आज पूरे प्रदेश में सेब की पैदावार हो रही है। आज ऊना में भी सेब हो रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण विषय है। हमें इस क्षेत्र में राजनीति को नहीं लाना चाहिए क्योंकि राजनीति के और भी कई अखाड़े हैं। यह लाखों लोगों की रोजी-रोटी का सवाल है। इसमें छोटे से बड़े तबके के लोग इन्वॉल्व हैं। श्री कुलदीप सिंह राठौर जी ने यह महत्वपूर्ण संकल्प प्रस्तुत किया है। हमारे बागवानों की यूनिवर्सल कार्टन बहुत लंबे समय से डिमांड थी। मैं माननीय मुख्य मंत्री और माननीय बागवानी मंत्री को बधाई देना चाहूंगा कि इन्होंने यूनिवर्सल कार्टन की व्यवस्था लागू की। आज हमारा सेब वेट के हिसाब से बिक रहा है और इसमें बागवानों को कोई दिक्कत नहीं है। कई जगह राजनीति के कारण इसका विरोध हुआ पर यह सही व्यवस्था है। मैं माननीय कृषि मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि मेरे चुनाव क्षेत्र में जो मेंहदली में सब्जी मंडी बन रही है उसका कार्य काफी समय से लंबित है। इसके निर्माण कार्य के ठेकेदार कलकत्ता से थे लेकिन यह काम काफी समय से अधूरा पड़ा है। मेरा माननीय मंत्री से आग्रह है कि इस काम को शीघ्र पूर्ण करवाया जाए। दूसरा, सुदासू, चिड़गांव में जो एक सी.ए. स्टोर खोलना प्रस्तावित था उसके लिए मेरा बागवानी मंत्री जी से आग्रह है कि उस स्टोर को प्राथमिकता के आधार पर खोला जाए ताकि हमारे किसानों को इसका फायदा मिले। मेरे छुहारा क्षेत्र के अंतर्गत 35 पंचायतें आती हैं। मेरा आग्रह है कि वहां पर भी एक सब्जी मंडी खोली जाए। मेरे पास जो कागज है उसमें दर्शाया गया है

31.03.2026/1530/RKS/hk-2

कि जो बाहर से सेब आता है उस पर बहुत कम इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। हो सकता है यह इंपोर्ट ड्यूटी शून्य भी हो इसलिए इस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। क्योंकि यहां पर जम्मू-कश्मीर से भी बहुत सेब आता है। सेब से हमारे प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। इससे सब वर्ग के लोगों को फायदा होता है।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद।

31.03.2026/1530/RKS/hk-3

सभापति : अब माननीय सदस्य डॉ. जनक राज जी चर्चा में भाग लेंगे।

डॉ. जनक राज : सभापति महोदय, श्री कुलदीप सिंह राठौर जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, आपने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। मैं सबसे पहले यह बात कहना चाहूंगा कि आखिर क्यों सरकार एफ.टी.ए. के नाम पर डर का माहौल बनाने का प्रयास कर रही है?

श्री बी०एस०द्वारा जारी

31.03.2025/1535/बी.एस./वाई.के.-1

डॉ० जनक राज जारी...

क्योंकि एफ०टी०ए० में सबसे महत्वपूर्ण चीज जैसे मेरे से पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि इसमें इंपोर्ट-एक्सपोर्ट को रेगुलेट करने के लिए भी नीतियां बनाई जा रही हैं और यह केवल सेब के लिए नहीं है अन्य एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए भी है। किस समय पर किस अमाउंट में और किस सीजन में हमें किस चीज को इंपोर्ट करना है और किस रेट पर इंपोर्ट करना है। आज से पहले भी ऐसी नीतियां नहीं थीं।

सभापति महोदय, एफ०टी०ए० हमारे पास एक अवसर है, यह खतरा नहीं है। और इसको खतरा बताना अधूरा सच है। मैं दो-तीन तथ्य रखूंगा जो हालांकि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने इसमें काफी बातें क्लियर की हैं। एक तो इसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस 80 रुपये रखा गया है जो पहले 70-60 रुपये तक भी रखा गया था और यह केवल प्रीमियम सेब के लिए है। तीसरा, आज से पहले भी ईरान और अफगानिस्तान से अनलिमिटेड अमाउंट में सेब आता रहा। तब इस बात का कभी किसी ने विरोध नहीं किया कि वहां से आयात बंद किया जाए।

सभापति महोदय, क्या हमारे उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने का अधिकार नहीं है? एफ0टी0ए0 के माध्यम से हमारे किसानों को भी अपने उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहुंचने का मौका मिलेगा और हमें अपने सेब उत्पादकों के साथ-साथ अपने उपभोक्ताओं का भी ख्याल रखना है। क्योंकि हमारे देश में सेब की इतनी पैदावार नहीं है जितनी कंजशन है। अब बात सेब की ही नहीं है, हम अन्य चीजों के लिए भी अपने उपभोक्ताओं की जरूरत के लिए, चाहे वर्तमान में क्राइसिस की स्थिति देख लें, तेल के लिए भी हम दूसरे देशों पर निर्भर रहे हैं। तो उसी तरह हमें अपने सेब उत्पादकों के साथ-साथ अपने उपभोक्ताओं का भी ख्याल रखना है ताकि उनको कम कीमत पर अच्छे उत्पाद मिल सकें।

सभापति महोदय, मानवता और सभ्यता के विकास से अगर हम देखें तो प्रतिस्पर्धा ही विकास का आधार है। मुझे लगता है कि प्रतिस्पर्धा से हमारे स्थानीय उत्पादकों के उत्पादों की गुणवत्ता सुधरेगी और सरकार को इस विषय पर भी काम

31.03.2025/1535/बी.एस./वाई.के.-2

करने की आवश्यकता है कि कैसे हम अपने उत्पादों की गुणवत्ता सुधारें। मेरे से पहले जो वक्ता कह रहे थे कि एजेंट आते हैं, लदानी भाग जाते हैं फिर लोगों की पेमेंट नहीं मिलती है। तो यह किसने ठीक करना है? क्या हमने यहां पर चर्चा करनी है या यह दायित्व सरकार का है कि इसे ठीक करें। अमेरिका को अगर हम आज बड़ा देश मानते हैं तो अमेरिका केवल अपने आप में बड़ा नहीं है। अमेरिका इसलिए बड़ा है क्योंकि वहां की नीतियां भाई-भतीजावाद से प्रभावित नहीं होती और वहां काबिल व्यक्तियों को काबिल काम करने दिया जाता है। इतने वर्षों के लोकतंत्र के बाद भी हमारे यहां पर व्यवस्था वैसी नहीं बन पाई है। मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा कि पिछले वर्ष हिमाचल प्रदेश में 98,423 मिट्रिक टन सेब की खरीद हुई जिसमें लगभग 60 प्रतिशत से अधिक लोगों की एच0पी0एम0सी0 द्वारा आज दिन तक पेमेंट नहीं हुई है और उसमें से अधिकतर किसान और बागबान रोहड़ू के हैं जो आज भी पर्ची लेकर घूम रहे हैं और आदरणीय ब्राक्टा जी को ढूंढ रहे हैं।

सभापति महोदय, अमेरिका के और हमारे सेब के सीजन में सीजनल अंतर है। उनके सेब की प्रोडक्शन का समय अलग है और हमारे सेब की प्रोडक्शन का समय अलग है और दूसरा, यहां बार-बार एक चीज कही जा रही है कि हमारे किसानों पर मौसम की मार पड़ रही है तो मैं पूछना चाहता हूं कि मौसम की मार सिर्फ हमारे किसानों पर ही है ? क्यों नहीं हम आज दिन तक ऐसी नीति और ऐसे नियम बना पाए कि किसानों को मौसम की मार से बचाया जा सके। बात केवल प्रोत्साहन और मुआवजा राशि देने की नहीं है। अभी हम देखें तो हर समस्या के लिए एफ0टी0ए0 को जिम्मेदार ठहराना अपनी जिम्मेदारी से भागना है।

मैं कुछ समस्याएं बताना चाहूंगा जो खासकर तब आती हैं जब हमारा सेब निकलता है। उस वक्त दिक्कत आती है। खराब सड़कें, पिछले वर्ष का मुझे अच्छी तरह से याद है, मानसून के समय हमारी सारी सड़कें खराब हो गई थीं। हमने बागवानी मंत्री से आग्रह किया तब जाकर उन्होंने वहां पर लोकल मण्डी बनाकर किसानों को वहीं से बेचने का प्रावधान किया। इसके लिए मैं आभार भी व्यक्त करता हूं। परंतु हालत यह थी कि वह सेब वहीं सड़ गया। सड़कें बंद होने की वजह से यह स्थिति बनती है। फिर कहते हैं कि हम विरोध करते हैं। दूसरा, जंगली जानवरों से

31.03.2025/1535/बी.एस./वाई.के.-3

हमारी फसलों को नुकसान होता है और उस पर आज दिन तक कोई ठोस नीति नहीं बन पाई है। तीसरा, हमारे पास स्टोरेज की कमी है। बिचौलियों का दबदबा है। मार्केट को वही कंट्रोल करते हैं। किसानों को नुकसान होता है और मौसमी बदलाव से बचाव के लिए, चाहे एंटी-हेल गन हो या एंटी-हेल नेट इन्हें हम समय पर उपलब्ध नहीं करा पाते हैं।

श्री डी.टी. द्वारा जारी.....

31.03.2026/1540/DT/YK-1

डॉ० जनक राज जारी..

चाहे एंटी हेलगन है, चाहे एंटी हेलनेट, उनको हम समय पर उपलब्ध नहीं करवा पाते और न ही उनको दवाईयां उपलब्ध करवा पाते। मुझ से पूर्व माननीय सदस्य श्री अनिल शर्मा जी

कह रहे थे कि बागवानी के लिए 1000 करोड़ रुपये के पौधे खरीदे गये हैं, वे पौधे कहां हैं? उस दिशा में सरकार ने कभी काम नहीं किया और अगर कभी हम किसी सुधार की बात करें और यह बात कहें कि हम इसपर नीति बनाकर इसे संवेदनशील उत्पाद घोषित करें, ऐसा भी नहीं करते।

सभापति महोदय, हम एक संघीय ढांचे के भीतर रहते हैं और संघीय ढांचे में अगर प्रत्येक राज्य अपने उत्पादों को संवेदनशील बताकर एगजिट करने लगेगा तो संघीय ढांचे का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा। आज जो जरूरत है उसके अनुसार हम अपने किसानों-बागवानों को आधुनिक तकनीक मुहैया करवाएं उसमें चाहे ड्रिप इरिगेशन या अन्य चीजें हैं, उनको प्रोत्साहन दें। उनपर उनको सब्सिडी दें। किसानों को बेहतर प्रशिक्षण दें। यह जो विदेशों के टूर लग रहे हैं यह अधिकारियों के न लगाकर किसानों के लगवाये जाए क्योंकि कोई अधिकारी विदेशी टूर में जायेगा और जब वहां से आयेगा तो उसका विभाग बदल दिया जाता है। यह तो हमारे काम करने के तरीके हैं। इसके अतिरिक्त बेहतर पैकेजिंग की सुविधा हम लोगों को दें। सप्लाई चेन में हम सुधार करें। मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा मुझे बस इतना कहना है कि हमें किसानों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए नहीं बल्कि अपने किसानों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने की जरूरत है। किसानों के नाम पर भावात्मक माहौल बनाने की जगह हमें सुधार, निवेश और नवाचार पर ध्यान देना होगा। राजनीति में अगर प्रत्येक विषय और प्रत्येक नीति का विरोध करना ही धर्म रह गया है तो मुझे लगता है कि हमें नीति निर्माता नहीं (***) का नाम दे देना चाहिए।

सभापति महोदय, इस प्रस्ताव में मुझे जो बातें हिमाचल के किसानों और हिमाचल के युवाओं की ओर से कहनी थी वे मैंने कहीं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति : (***) शब्द को कार्यवाही से निकाल दिया जाए। अब इस चर्चा में भाग लेंगे माननीय सदस्य श्री हरीष जनारथा जी।

(***)अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

31.03.2026/1540/DT/YK-1

श्री हरीश जनारथा : सभापति महोदय, आपने मुझे इस संकल्प में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, वैसे तो मैं बहुत कम इस सदन में बोलता हूँ लेकिन आज का संकल्प जो इस सदन में प्रस्तुत हुआ है उसमें कुछ ऐसी बात जरूर है जिसमें बोलना चाहिए, इसीलिए मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैंने सभी माननीय सदस्यों जिन्होंने इस संकल्प में अपने विचार रखे उन्हें सुना। सभी माननीय सदस्यों के द्वारा अपनी राय दी गई। सभी ने ठीक बातें कहीं। मैं इस विषय में सबसे पहले यही कहूँगा कि हमें राजनीति से बाहर निकल कर वास्तविकता पर आना बहुत जरूरी है।

श्री कुलदीप सिंह राठौर जी ने जो संकल्प के माध्यम से विषय उठाया है वह बहुत महत्वपूर्ण है। हम मानते हैं कि फ्री-ट्रेड, फ्री इकोनॉमी या मुफ्त में बांटना या कुछ इसी प्रकार की अन्य चीज करना हमारे लिये फायदेमंद नहीं है। जब अभी बात यू0एस0ए0 या यूरोपियन यूनियन के देशों के साथ या अन्य देशों से फ्री ट्रेड के बारे में हो रही है और विशेषकर सेब के निर्यात के संबंध में हो रही हैं। विपक्षी दल के हमारे साथी ने कहा कि FTA से न केवल सेब अपितु टेक्सटाइल, जूट इंडस्ट्री भी इससे प्रभावित हैं। दालें व मसाले जिसमें हम सरप्लस हैं, यह खाद्य उत्पाद भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। जो चीज पहले ही आपके पास सरप्लस है वहीं चीज जब विदेश से आयेगी तो क्या होगा? इसमें डिफ्रेंस क्या है? इसमें डिफ्रेंस यह है कि हम सिर्फ सेब के लिए बोल रहे हैं। एक सदस्य ने इन संकल्प पर बोला मैं उनसे यह कहना चाहूँगा कि जितने हमारा एक ग्रोवर पैदा करता है उनके इलाके में इतना सेब नहीं होता। असलियत में आओं और इसके बारे में ध्यान से सोचो It's a very deep conspiracy. हमारे पास दवाई आती है, जो पहले भी आती थी, ये दवाईयां कैंसर ऑरिएन्टिड दवाईयां हैं। हमने नेगी जी से भी इस बारे में बात की हम जो सेब के ऊपर सप्रे करते थे which have been banned in America and European Countries. एक सप्रे का नाम डाइफ्लटोन होता था, डायथीन होती थी, बेरिस्टीन का उपयोग अभी भी किया जा रहा है फंगीसाइट्स और इनसेक्टिसाइड्स आते थे। यानी कई चीजें ऐसी आती हैं जो यूरोप में बेन हैं लेकिन वह इंडिया की मार्किट में आ गई है। इन चीजों से हमें बचना

होगा। जब हम कल्टिवेशन करते हैं खासकर हार्टिकल्चर की, उनका इतना सरप्लस सेब निकलता है वहां श्री एन0जी0 द्वारा जारी..

31.03.2026/1545/ए.जी.-एन.जी./1

श्री हरीश जनारथा..... जारी

कि they can afford to destroy it also. वे उन्हें व अनाज को समुद्रों में फेंकते हैं to maintain the balance and economy in the consumption market. इन चीजों पर आप बात ही नहीं कर रहे हैं। आप कुछ और ही बात पर चले गए कि फलानी गवर्नमेंट ने यह किया, इस गवर्नमेंट ने वह किया, इसने ये किया, उसने वो किया। इसका इफेक्ट क्या है, इस पर बात होनी चाहिए। हम कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सेब की लगभग 5000 करोड़ रुपये की इकॉनोमी है। It may go up and down to some per cent. लेकिन उस चीज़ को भी छोड़ दो। लेबर के लगभग 2 लाख लोग सीधे तौर पर और 1 लाख लोग इनडायरेक्टली इसमें जुड़े हुए हैं। करीब ढ़ाई से तीन लाख लोगों का रोजगार इससे चलता है, चाहे वह ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, लेबर कम्युनिटी हो, पैकिंग और ग्रेडिंग करने वाले लोग हों, ढुलान करने वाले लोगों हों या अन्य कामगार हों। हर चीज़ इसमें जुड़ी हुई है। आढ़ती से लेकर till the last pruner इसमें जुड़े हुए हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे बगीचे से आपके (विपक्ष के किसी माननीय सदस्य को कहा) बगीचे में कलमें गई हैं। यह बात मैं यहां इस हाउस में कह रहा हूं और केवल मेरे बगीचे से ही नहीं बल्कि आपके बगीचे से भी हमारे ऐरिया में कलमें आई हैं। We are sharing it with each other. हम सभी शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष के माननीय सदस्यों के ऐरिया से हमारे ऐरिया में प्रूनर आते हैं। हमारे यहां से लाखों की संख्या में कलमें (grafting sticks) दी जाती हैं और हम कभी भी किसी से एक पैसा भी चार्ज नहीं करते, नहीं तो 10-15-20 रुपये में एक आंख (कलम) मिलती है। We are trying to cooperate. हम गवर्नमेंट से तुलना करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा तो सिर्फ इतना प्रतिशत सेब आता है और बाकी बाहर से आना चाहिए। लेकिन

प्रॉब्लम यह नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि जब हमारा सेब आता है और हम उसकी मार्केटिंग करते हैं, तब हमारे वहां बीच में अडानी आ जाता है। जिस दिन अडानी अपना स्पोर्ट प्राइस डिक्लेयर करता है। I am not talking on political lines, but on practical lines.

31.03.2026/1545/ए.जी.-एन.जी./2

अगर आज 30 मार्च को मेरा सेब 2000/- रुपये से 2500/- रुपये प्रति बॉक्स बिक रहा है और रात को अडानी रेट खोल देता है, तो अगले दिन उसी सेब का रेट 1100/- रुपये या 1000/- रुपये पर आ जाता है। इस प्रकार से 1000-1500 रुपये प्रति बॉक्स का नुकसान एक उत्पादक को होता है। यह एक फैक्ट है और यह विपक्ष में बैठे लोग व सत्ता पक्ष में बैठे लोग भी जानते हैं। हमारी तीसरी पीढ़ी इस लाइन में काम कर रही है और यहां पर वे लोग बात कर रहे हैं जिनके पास अभी सेब के पौधे भी नहीं हैं। यह सच्ची बात है और it is a fact. मैं सेब के बारे में हर कोने से जानता हूँ। I know. We have read this subject very properly. और हम इसे इम्प्रूव करने की कोशिश भी कर रहे हैं। हमें सबसे ज्यादा जरूरत फर्टिलाइजर और मैन्योर (खाद) की पड़ती है। आज मैं इस हाउस में कहना चाहता हूँ कि हम खुद गोबर खरीदने के लिए जगह-जगह जाते हैं, लेकिन फिर भी गोबर नहीं मिल रहा है। यह फैक्ट है। माननीय सदस्य, श्री दीप राज जी, हमने आपको 100 बार कहा है कि हमें गोबर दे दीजिए। आप लोग कहते हैं कि कल देंगे, परसों देंगे, लेकिन नहीं दे पाए। इस प्रकार की प्रैक्टिकली चीजें हैं जिनकी हमें समस्या रहती है। दूसरी बड़ी समस्या यह है कि हमारा यूथ जोकि अच्छे संस्थानों से पढ़ा-लिखा है और हर तीसरे घर का बच्चा अच्छी शिक्षा अफॉर्ड कर सकता है। वे यूवा बाहर जाकर पढ़-लिखकर वापिस आए और उन्होंने यह सोचा कि किसी और के लिए काम करने के बजाय they will work in their orchards and farms और हम रोजगार भी देंगे। उन बच्चों का क्या होगा? इस हालत में जितने भी खाली दिमाग (Idle minds) हो जाएंगे, वे कहीं-न-कहीं नेगेटिव एनर्जी की तरफ जाएंगे। आप कहते हैं कि वे नशे की ओर जाएंगे, लेकिन वे उससे भी आगे की चीजें करने लगेंगे,

जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। There are many things to control the balance. जो उनका डंप है, जो कबाड़ यूरोपियन देशों या अमेरिका का है, उसकी क्वालिटी और शेल्फ लाइफ is not better than our shelf life of fruits. दवाइयां वहां से इम्पोर्ट कर रहे हैं - not this Government or any other Government - बल्कि देखना पड़ेगा कि वहां से क्या दवाइयां आ रही हैं।

31.03.2026/1545/ए.जी.-एन.जी./3

उनको इस प्रकार से पास नहीं करना पड़ेगा। सभी को यह देखना पड़ेगा कि बाहर से जो दवाइयां, इनसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, विटामिन और मिनरल्स या स्प्रेज़ आ रहे हैं, हम 20 प्रकार के तो स्प्रे करते हैं, उनको कट डाउन करना पड़ेगा। देखा-देखी को कट डाउन करना पड़ेगा। हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी कट डाउन करना पड़ेगा और उसके बारे में एजुकेट करने के लिए सरकारें बैठी हुई हैं। उत्पादकों को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। प्रतिस्पर्धा में आने की जरूरत है या नहीं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरत बिचौलियों की हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है। हम स्वयं अपना सेब नहीं बेच सकते क्योंकि वहां पर मिडलमैन होता है और यह एक सिस्टम बन चुका है। चाहे आप सोना बेचें या चांदी बेचें या कोई और महंगी चीज़ बेचो, there is always a middleman. पर उस मिडलमैन

श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

31.03.2026/1550/ए0जी0/ए0पी0-01

श्री हरीश जनारथा जारी

को सिलेक्ट करने के लिए भी एक प्रोसेस होना चाहिए। उसकी गारंटी होनी चाहिए कि वो कितना अफोर्ड कर सकता है, उसकी holding capacity कितनी है? अगर वो कहीं गलत भी होता है, तो उसके पास back fall में क्या है कि वो लोगों के पैसे दे सके? पैंट की जेब में

हाथ डालकर आड़ती बनने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। तीन दिन तक सेब बेचते हैं और तीन करोड़ रुपये का काम कर देते हैं और फिर ढूंढे नहीं मिलते। This has to be checked by the Government how you can issue a license to these particular people. दूसरा चाहे आप स्टोर बनाओ, आप चाहे जो मर्जी करो, आपकी गलतफहमी है कि सेब अलग सीजन में उगता है। दूसरे देशों में भी अगस्त से दिसंबर तक सेब तैयार होता है। हमारा जुलाई-से-दिसंबर तक उगता है। Every country is same seasonal apple. हम अपने सेब को मार्केट में बेचते हैं, पीछे से आपका रश होकर बाहर का सेब आ जाता है। सोचिए अगर हमारा सेब हमने हजार रुपए का बेचना है, लेकिन जब बाहर वाला सेब आ जाता है। उसको पता है कि उसका मार्जिन क्या है तो वह सस्ते मार्जिन में उसे 800 रुपये में बेच लेगा। शिमला में बैठकर अब हमें क्या पता कि हम कौन-सा आम खा रहे हैं, कौन-सा अंगूर खा रहे हैं, या कौन-सा संतरा खा रहे हैं। सेब का हमें मालूम है कि हम इसमें रॉयल खा रहे हैं, गोल्डन खा रहे हैं, रीच रेड खा रहे हैं। जैसा माननीय श्री माहेन लाल ब्राक्टा जी बोल रहे थे, हमें मालूम है कि हम क्या खा रहे हैं। वही हालत वहां हो जाती है कि जब सेब आता है तो उनको सिर्फ सेब से मतलब होता है, उनको क्या पता कि वो क्या खा रहे हैं। एक जगह वही सेब आपका 200 रुपए बिक रहा है और एक जगह वही सेब 400 रुपए का बिक रहा है। आपको देखने में अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा कि है तो सेब ही। अगर हमें उस चीज का नॉलेज नहीं है तो ऑटोमेटिकली लोग 200 रुपये वाले सेब को ही लेंगे। हमारे सेब को कौन पूछेगा? This is not that कि हम किसी को blame कर रहे हैं, हम किसी को कुछ बोल रहे हैं। रियलिटी तो रियलिटी है। यहां पर जो भी बैठा है, जिनकी भी सेब की लोकेशन की जमीनें हैं। हमारे पूर्व मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर साहब के भी बगीचे हैं, वह हमने देखे हैं। अच्छी तरह से उग रहे हैं, बड़ियां बन रहे हैं।

31.03.2026/1550/ए0जी0/ए0पी0-02

हमें भी कुछ fallback चाहिए। पालिटिक्स में तो हमेशा हमने रहना नहीं है। हमें अपने बच्चों के लिए भी कुछ करना है। वे तो इन लाइनों में नहीं आएंगे। हमें देखकर वे बोलते हैं कि हमने देख लिया है कि घर के क्या हाल हो गए, तो वो भी नहीं करेंगे। हम अपनी-अपनी लाइन में ठीक हैं। जो लाइन उन्होंने पकड़ी है, उनकी उस लाइन को भी हम खराब कर रहे

हैं। These are something without politics. हमें इन चीजों को देखना चाहिए। हमारी रिक्वेस्ट यही है कि I think the House should appreciate this and adopt this Resolution कि कुछ तो हमारे बारे में भी सोचो। हम हिमाचल से इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे पास सेब है और हिमाचल में सेब ज्यादा प्रभावित है। महाराष्ट्र में कॉटन की बात करें, मध्य प्रदेश में शुगरकेन की बात करें, उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में जूट की बात करें। हमारे पास तो सेब है। अगर हम सेब के बारे में नहीं बोलेंगे, तो अंगूर के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है। आखिरी में सर, मेरी humble request है कि beyond politics हम सब इसे अडॉप्ट करें और एक particular resolution यहां से भेजें कि सेब के ऊपर थोड़ा ध्यान दें। माननीय श्री बलबीर सिंह वर्मा जी खुद grower हैं। इन्होंने जिस जगह से बगीचे खरीदे हैं, हमने इनकी मदद की है। एक बात मैं स्पष्ट बोलता हूं, सदन में बोल रहा हूं, your thinking is wrong, Mr. Verma, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब यहां बैठे हैं, वरिष्ठ नेता भी बैठे हैं, हर आदमी को महसूस हो रहा है कि ये गलत हो रहा है। हम अपने सेब को बचाने के लिए थोड़ा सा तो प्रयास कर सकते हैं। So I adopt the resolution and I request the whole House also please adopt this resolution. इसको भेजने से अगर हमारा सेब बच सकता है, तो यह हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत फायदेमंद होगा, Thank you.

31.03.2026/1550/ए0जी0/ए0पी0-03

सभापति : अब इस चर्चा का माननीय राजस्व एवं बागवानी मंत्री उत्तर देंगे।

राजस्व एवं बागवानी मंत्री : सभापति महोदय, प्राइवेट मेंबर-डे पर माननीय सदस्य श्री कुलदीप सिंह राठौर द्वारा संकल्प में केंद्र सरकार द्वारा यूरोपियन संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड और अन्य देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (ए0टी0ए0) से प्रदेश के सेब फल उत्पादकों की अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने हेतु नीति बनाने पर विचार करने का विषय प्रस्तुत किया गया है। इसमें माननीय कुलदीप सिंह राठौर जी सहित कुल छः सदस्यों ने भाग लिया है और पक्ष के साथियों ने भी एफ0टी0ए0 के विरोध में बात कही है।

श्रमती के0एस0 जारी

31.03.2026/1555/केएस/एस/1

राजस्व मंत्री जारी ---

और इसमें पक्ष के सभी साथियों ने FTA के विरोध में बात की है और विपक्ष के हमारे माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह वर्मा जी ने FTA को सपोर्ट किया है। FTA हमारे ऊपर थोपा गया है। अब आज प्रश्न यह है कि हम इसके फेवर में हैं या नहीं हैं? उससे जो नुकसान होना है, उसके बारे में यहां पर विस्तृत चर्चा भी हुई है। उसके सपोर्ट में भी बहुत बातें की गई हैं। उसका मैं संक्षिप्त में जवाब दूंगा। विभाग की तरफ से इस संकल्प को लेकर हमारा वक्तव्य इस प्रकार है :-

सभापति महोदय, सेब के आयात व मुक्त व्यापार से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं को प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर केंद्र सरकार के साथ उठाया जाता है। इस संदर्भ में डी0ओ0 नं0, दिनांक 07.02.2024 के माध्यम से माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री अजुन मुंडा, भारत सरकार से आयात शुल्क 50 से 100 प्रतिशत करने, प्रदेश में सेब उत्पादन अवधि के दौरान आयात बंद करने, मात्रात्मक प्रतिबंध लगाने तथा आयात के दौरान कीटनाशक अवशेषकों की जांच इत्यादि पर उचित कार्रवाई करने हेतु प्रेषित किया गया। निदेशक, उद्यान विभाग, हिमाचल प्रदेश के पत्र दिनांक 15.03.2024 के माध्यम से सचिव, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के समक्ष भी सेब आयात से सम्बन्धित उपरोक्त पहलुओं के बारे में अवगत करवाया गया है। इसके अतिरिक्त यूनियन बजट 2024-25, 2025-26 और 2026-27 में उपरोक्त पहलुओं पर चर्चा हेतु विस्तृत प्रस्ताव भारत सरकार के वित्त मंत्रालय और राजस्व विभाग को वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से क्रमशः माह जुलाई, 2024, नवम्बर, 2024 व नवम्बर, 2025 में भेज दिया गया है। हाल ही में वर्ष 2025 में न्यूजीलैंड व यूरोपियन संघ के साथ हुए समझौते में सेब को छूट दिए जाने के प्रभावों के विश्लेषण उपरांत माननीय मुख्य मंत्री के डी0ओ0, दिनांक 10.01.2026 के माध्यम से पुनः सेब आयात सम्बन्धी सिफारिशें माननीय प्रधान मंत्री व माननीय वाणिज्य मंत्री एवं उद्योग मंत्री तथा दिनांक 15.01-2026 को माननीय वित्त मंत्री

को प्रस्तुत की गई है। हमने समय-समय पर सेब के बारे में, FTA के बारे में सभी समस्याओं को केंद्र सरकार के साथ उठाया है।

31.03.2026/1555/केएस/एस/2

सभापति महोदय, प्रदेश सरकार द्वारा सरकार को सेबों के आयात से सम्बन्धित सिफारिशों का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है:-

सेब के आयात को डिस्क्रेज करने तथा देश एवं प्रदेश के सेब उद्योग को संरक्षित करने के लिए सेब के आयात शुल्क को वर्तमान में 50 से बढ़ाकर 100 प्रतिशत किया जाए, हमने यह सुझाव भी भेजा है। फिर दूसरे नम्बर पर हमने यह कहा है कि प्रदेश में सेब उत्पादन अवधि यानी जुलाई से नवम्बर माह के दौरान विश्व व्यापार संगठन व मुक्त व्यापार समझौते के तहत सेब के आयात को प्रतिबन्धित किया जाए ताकि प्रदेश के बागवानों को उनकी उपज का बेहतरीन मूल्य मिल सके।

यह इसलिए किया क्योंकि जैसे अभी माननीय सदस्य फरमा रहे थे कि वहां के सेब को यहां पर 80 रुपये से ज्यादा बेचने के लिए अनुमति ली है। पहली बात तो मैं इसको मानता ही नहीं। इस किस्म के कार्यान्वयन का यहां कोई सिस्टम ही नहीं है। दूसरे, अगर इनकी बात को मान भी लिया जाए, अगर 80 रुपये का सेब वहां से यहां आ रहा है तो हमारे सेब को कौन खरीदेगा? हमारे सेब की प्रति किलो लागत आज के समय में 80 रुपये से कहीं ज्यादा है। ये मान रहे हैं कि वहां से थोक में सेब आए, 80 रुपये में बिके और यहां के सेब बागवानों का हर तरह से मालिया-मेट हो जाए। ये इस बात को खुद ही मान रहे हैं।

हमने केंद्र सरकार को तीसरा सुझाव यह दिया है कि विश्व व्यापार संगठन व मुक्त व्यापार समझौते के तहत सेब के आयात पर मात्रात्मक प्रतिबन्ध सीमा लगाई जाए

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी ---

31.03.2026/1600/av/एस/1

राजस्व मंत्री----- जारी

तथा अधिकाधिक नियंत्रण किया जाए ताकि बाजार में सेब की घरेलू बहुतायत से बचा जा सके और सेब उत्पादकों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य प्राप्त करने का पर्याप्त अवसर मिले। इसमें हमने तो लिखा है और ये भी कह रहे हैं कि वहां पर एक किस्म से नियंत्रण होता है परंतु बाहर से जब सेब आता है तो उसके लिए यहां पर किसी भी प्रकार के पैरामीटर नहीं हैं कि उसे कैसे मापा जाए। अब सेब एक देश से तो आ नहीं रहा है, यहां पर 24 से ज्यादा देशों से सेब आ रहा है। यहां पर समुद्र के रास्ते से भी आ रहा है और अफगानिस्तान व पाकिस्तान से हमारे बाघा बोर्डर के माध्यम से भी आ रहा है। अगर बाहर के देशों में देखें तो ट्रम्प ने हमारे ऊपर इतने सारे प्रतिबंध क्यों लगाए? ट्रम्प खुद भी एक व्यापारी है और अरबों-खरबों का मालिक है। अमेरिका में बड़े-बड़े खरबपतियों की लॉबिंग है और ये हमेशा अपने इंटरस्ट को प्रोटैक्ट करते हैं। अपने इंटरस्ट के चक्कर में इन्होंने हमें हर तरह से सेकिण्ड क्लास सिटीजन की तरह हमारी सोवरनिटी को खत्म कर दिया। अब आप भी ट्रम्प की बात कर रहे हैं और उनकी ही तारीफ कर रहे हैं। ट्रम्प वह व्यक्ति है जो यह कहता है कि वह हमारा पाकिस्तान के साथ जब मर्जी सीज फायर करवा दे या वॉर बंद करवा दे। ट्रम्प वह शख्स है जो हमें यह बताता है कि हमने तेल कहां से खरीदना है। यह शख्स कहता है कि तुम सेब भी हमारा ही खरीदो और वह भी बिना कोई टैक्स दिए खरीदो। अगर आप इसके एफ0टी0ए0 को बढ़िया कह रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि यह विश्व स्तर पर हो रहा है तो विश्व के दूसरे देश अपने इंटरस्ट को प्रोटैक्ट करते हैं। लेकिन हम उनके इंटरस्ट को प्रोटैक्ट कर रहे हैं। यहां पर सबसे बड़ी दुविधा यही तो है कि आज हम सोवरियन देश नहीं है। हम ट्रम्प के कहने पर चलेंगे जैसे वह बोलेगा। अगर मैं बात करूं तो यहां पर पिछली बार न्यूजीलैंड के इंवैस्टर्ज आए थे और उनके साथ उनकी पूरी टीम भी आई थी जोकि माननीय मुख्य मंत्री से भी मिले थे। उन्होंने हमें बड़े-बड़े लोक-लुभावने सपने दिखाए कि आप न्यूजीलैंड आइए हम फार्मर्ज एक्सचेंज करेंगे और आपको टेक्नोलॉजी देंगे। हम बहुत खुश हुए और मैंने सोचा कि ये हम पर मुफ्त में इतना मेहरबान क्यों हो रहे हैं। उसके बाद उनकी मेरे साथ भी एक छोटी-सी बैठक हुई। मैंने उनके एम्बेसेडर साहब से पूछा कि ये इतना सब तो कर रहे हैं परंतु इन्हें बदले में क्या चाहिए? उन्होंने

31.03.2026/1600/av/एस/2

स्कारस्टिक स्माइल दी, फिर मैंने पूछा कि क्या एफ0टी0ए0, तो उन्होंने हंसकर बात को टाल दिया। उसके कुछ दिनों बाद प्रधानमंत्री जी ने एफ0टी0ए0 के तहत समझौता कर लिया। अब एफ0टी0ए0 को 50 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत पर ला दिया। हमारा रोना तो यही है कि न्यूजीलैंड जैसे देश में लगभग 296 फार्मर्ज हैं और वे हमारे से कई सौ गुणा ज्यादा सेब तैयार करते हैं। हम एक हेक्टेयर में 6-7 टन सेब तैयार करते हैं और वे एक हेक्टेयर में सौ टन से ज्यादा तैयार कर रहे हैं। इस प्रकार से हमारा उनके साथ कम्पेरेजन कैसे हो सकता है? वे अपना सेब हमारे यहां पर डम्प कर रहे हैं इसलिए हमें एफ0टी0ए0 से बचना है। अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखण्ड के साथ-साथ आज नॉर्थ-ईस्ट में भी सेब की खेती की जा रही है। अगर सेब नहीं होता तो आज जिस मुकाम पर हिमाचल प्रदेश है, यह शायद नहीं होता। मेरे सामने बैठे साथियों की विचारधारा क्या थी? ये सेब और निम्बू की लड़ाई करवाते थे। निचले हिमाचल के एरिया में भाषण ही इसी प्रकार के होते थे कि ये सेब वाले, ये फलां टोपी वाले और उन दिनों हमारे चादर की छत्त होती थी तो ये कहते थे ये चांदी की छत्त वाले। मुझे याद है जब इनके बड़े-बड़े नेतागण आते थे तो इस किस्म की बातें करते थे कि तुम्हारे यहां तो कुछ भी नहीं हुआ, सारे काम तो निचले इलाके में हुए। इस खाई को भरने की कोशिश शायद यशवन्त सिंह परमार जी, राजा वीरभद्र सिंह जी से हुई और अभी भी हो रही है।

हमने हिमाचल के निचले सात जिलों में शिवा प्रोजैक्ट लाया। उसमें मण्डी, सोलन और सिरमौर भी है हालांकि उधर तो सेब भी होता है। परंतु नीचे के इलाकों के लिए हम शिवा में लगभग 1200 करोड़ रुपये की स्कीम्ज लेकर आए हैं। जिसमें हम कम-से-कम 6 हजार हेक्टेयर भूमि पर

टी सी द्वारा जारी

31.03.2026/1605/टी0सी0वी0/वाई0के0-1

राजस्व मंत्री जारी

बागवानी विकसित करने का लक्ष्य रखा गया।

इसमें खेत तैयार करके दिए जा रहे हैं, पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं और पौधे लगाकर भी दिए जा रहे हैं। चारों तरफ सोलर फेंसिंग और जाली की व्यवस्था की जा रही है। इरिगेशन के लिए पानी जल शक्ति विभाग के माध्यम से खेतों तक पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही ड्रिप इरिगेशन की सुविधा भी दी जा रही है और फसल तैयार होने के बाद उसके प्रबंधन के लिए छोटे-छोटे प्रोसेसिंग प्लांट्स स्थापित किए जा रहे हैं। मार्केटिंग की व्यवस्था पर भी काम किया जा रहा है ताकि पूरा हिमाचल प्रदेश एक फल राज्य के रूप में विकसित हो सके।

अब जहां तक एप्पल का प्रश्न है, हमने केंद्र सरकार को सुझाव दिया कि फलों में कीटनाशकों के कुछ अविशिष्ट प्रभाव की संभावना बनी रहती है इसलिए भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा आयातित फलों के अवशेषों की जांच होनी चाहिए। वर्तमान में 24 देशों से सेब आ रहा है, चाहे हवाई जहाज से आए या समुद्री रास्ते से आ रहा है लेकिन उसकी कोई चेकिंग नहीं होती।

दूसरी तरफ हमारे यहां क्वारंटाइन एक्ट लागू है लेकिन उसका पालन सही तरीके से नहीं हो रहा। अभी यहां पर माननीय सदस्य श्री अनिल शर्मा जी मौजूद नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जब इनकी सरकार थी तो उस समय के बागवानी मंत्री ने इनको 800 पौधे हाई डेंसिटी के दिए थे। अगर उन्होंने उन पौधों के लिए भुगतान किया होगा और पौधों की गुणवत्ता में अंतर पाया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, बशर्ते ये यह लिखित रूप में दें। पिछली सरकार के समय में लगभग 130 करोड़ रुपये का प्लांट मटीरियल आयात किया गया लेकिन उसका सही उपयोग नहीं हुआ। हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट, जो वर्ल्ड बैंक के सहयोग से लगभग 1200 करोड़ रुपये का था, उसमें सबसे बड़ी कमी प्लांट मटीरियल की गुणवत्ता और उसके वितरण में रही। उनके क्वारंटाइन के लिए 90 स्थानों पर केंद्र बनाए गए लेकिन जब पौधे किसानों तक पहुंचे तो किसी को 20 पौधे और किसी को 30 पौधे मिले। इस तरह हाई डेंसिटी प्लांटेशन

31.03.2026/1605/टी0सी0वी0/वाई0के0-2

का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया। इस प्रोजेक्ट में पानी के लिए जो स्कीम थी वह क्लस्टर के किसानों को ही दी गई। एक-एक क्लस्टर में एक से दो करोड़ रुपये के टैंक्स का निर्माण किया गया लेकिन उस टैंक तक पानी पहुंचाना, टैंक से एक-एक पौधे तक पानी कैसे पहुंचे उसके बारे में कोई सोच नहीं रखी गई। उस कारण से हमारा जो 1200 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट था उसकी लगभग 40 प्रतिशत धनराशि व्यर्थ चली गई क्योंकि योजना का सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ।

हालांकि कुछ सकारात्मक कार्य भी हुए, जैसे पराला, परवाणू और सोलन में बड़ी मण्डियां बनाई गईं। चच्योट, पराला और रोहड़ू में कोल्ड स्टोरेज भी बनाए गए। कुल मिलाकर 8 से 9 स्थानों पर कोल्ड स्टोर्स स्थापित किए गए। इन्फ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर भी कुछ अच्छा कार्य हुआ लेकिन हाई डेंसिटी प्लांटेशन के क्षेत्र में यह योजना असफल रही। वर्ष 2023 में जब हमारी सरकार आई तब इस योजना का कार्यकाल समाप्त हो चुका था। हमने 6 महीने का अतिरिक्त समय मांगा लेकिन उस अवधि में कोई बड़ा सुधार संभव नहीं हो पाया।

आज मैं माननीय सदन में बताना चाहता हूं कि हमने उस अनुभव से सीख लेकर शिवा प्रोजेक्ट को बेहतर बनाया है। जो प्लांट मटीरियल उपलब्ध था उसके लिए नर्सरी मैनेजमेंट के तहत एक सोसायटी बनाई गई और 6 से 7 स्थानों पर नर्सरीज स्थापित की गईं। इनके माध्यम से स्टोन फ्रूट और एप्पल रूट स्टॉक जिसमें 24 किस्म के रूट स्टॉक की वैरायटीज शामिल हैं और हर वर्ष लगभग 3 से 4 लाख प्लांट मटीरियल किसानों को दिया जा रहा है। इस वर्ष भी 4 लाख प्लांट मटीरियल देने का लक्ष्य रखा गया है।

इसके साथ ही हमने बाहरी बड़ी कंपनियों के साथ भी समझौते किए हैं। ग्रिबा कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन किया गया जिसके तहत बजौरा क्षेत्र में 50000 हाई डेंसिटी सेब के पौधे, एम9 रूट स्टॉक पर गाला किस्म के लगाए गए और उनके अच्छे रिजल्ट आए हैं। क्वारंटाइन की प्रक्रिया को फील्ड स्तर पर लाया गया और एक वर्ष के भीतर उच्च गुणवत्ता वाले 50000 प्लांट मटीरियल तैयार करके किसानों को दिए गए।

अब एक और समझौते के तहत पांगना में हॉर्टिकल्चर विभाग की जमीन पर लगभग 100000 पौधे तैयार किए जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य यह है कि

एन0एस0 द्वारा ... जारी

31-3-2026/1610/NS-HK/1

राजस्व मंत्री -----जारी

बल्क में, लाखों में हाई डेंसिटी के रूट स्टॉक और लेटेस्ट कल्टीवेयर्ज फॉर्मर्ज तक पहुंचे, उसके लिए कोशिश की जा रही है। हमने केंद्र सरकार से यह भी निवेदन किया है कि बाहर से जो भी प्लांट मटीरियल लाए जा रहे हैं उनको क्वारंटीन कर रहे हैं तथा एक वर्ष यहां पर रखना पड़ेगा फिर उसके बाद उसको आगे बेच सकते हैं। सभापति महोदय, बाहर के देशों में सर्टिफिकेशन का काम बहुत बढ़िया होता है। हम कह रहे हैं कि जब उन प्लांट्स की सर्टिफिकेशन हाई इंस्टीच्यूट से मिल रही है तो उसको मानकर ही डायरेक्ट लगाएं। बाहर से दो नम्बर का प्लांट मटीरियल आ रहा है। अब हमने इसको रोकने की कोशिश की तो 1000 रुपये का एक प्लांट है। लोगों ने इसके लिए एडवांस में पैसे दिए हुए हैं। हमने यहां से कंटेनर जब्त किए और वापिस भेजे। लोगों ने इसका क्या तरीका निकाल दिया कि क्वारंटीन की जगह उत्तराखंड, हरियाणा या पंजाब लिखवा दी है और फर्जी इनवॉयस बना करा ला रहे हैं तो उसका भी समाधान नहीं है। समाधान तो यह है कि प्लांट मटीरियल जो बाहर के अच्छे इंस्टीच्यूट से सर्टिफाई होता है उसको डायरेक्ट किसानों को दिया जाए तब जाकर हम हाई डेंसिटी सेब की सोच के साथ आगे बढ़ सकते हैं।

सभापति महोदय, हमने केंद्र सरकार को 5वां सुझाव प्रेषित किया कि देश में ईरान व अफगानिस्तान के मार्ग से मुक्त व्यापार समझौता के तहत प्रवेश करने वाले सेब के फलों के अनाधिकृत व्यापार से बचने के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए। यह भी बहुत बड़ा रैकेट चला हुआ है। उनका सेब भी बिल्कुल फ्रेश है और पेट्री भी और किस्म की है। उससे भी हमें बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। रिप्लार्ड में काफी कुछ है और मैं

इसको इस माननीय सदन के सभा पटल पर रख दूंगा। कुछ माननीय सदस्यों ने चिंताएं जाहिर की हैं अगर मैं उनको थोड़ा जवाब दे लूं तो ठीक रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि सेब पर आयात शुल्क पहले शत प्रतिशत था। यह हमने नहीं कहा, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी जब हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में आए उससे पहले 75 प्रतिशत था और उन्होंने हमीरपुर में कहा कि इसको 75 प्रतिशत नहीं बल्कि शत प्रतिशत करूंगा। यह उनका चुनावी वायदा था या फिर जुमला था। वे आज 25 प्रतिशत आयात शुल्क पर आ गए। वे यह वायदा कई बार कर चुके हैं। मेरा विपक्ष के साथियों से सवाल है कि आप जिस तरह से आर0डी0जी0 के खिलाफ हैं क्या

31-3-2026/1610/NS-HK/2

उसी तरह से एफ0टी0ए0 के पक्ष में हैं? अगर आप एफ0टी0ए0 के विरोध में हैं तो आज मिलकर हमें इस प्रस्ताव को अडॉप्ट करके केंद्र सरकार को भेजना चाहिए। कम-से-कम हमारी आर्थिकी को बचाओ। डॉ0 जनक राज जी ने यहां पर संघीय ढांचे के बारे में भाषण दिया। अब आपको याद तो आ गया कि यह संघीय ढांचे में है। हम भी आर0डी0जी0 के लिए यही कहते थे। एफ0टी0ए0 में ये संघीय ढांचे को ही खराब करने जा रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार ट्रंप को खुश करने के लिए एफ0टी0ए0 में सेब, दूसरे फलों के ऊपर या हमारे कृषि के ऊपर अगर इसको लगा देंगे तो आने वाले समय में देश के अंदर बहुत बड़ा नुकसान होगा। देश के 750 किसान काले कानूनों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए हैं और हिमाचल प्रदेश में एम0आई0एस0 को लेकर वर्ष 1990 में दो किसानों की जान चली गई थी और उस समय भाजपा की सरकार थी तथा उस समय गोली चलाई गई। यहां पर श्री बलबीर सिंह वर्मा जी एम0आई0एस0 की बात कर रहे थे तो मैं बताना चाहूंगा कि एम0आई0एस0 स्कीम केंद्र सरकार की है। आपके समय में जब डबल इंजन की सरकार थी तो 60 करोड़ रुपये आप छोड़ कर गए थे। वर्ष 2023 में हमने उन पर्चियों का पूरा किया है जिन पर्चियों का आप जिक्र कर रहे थे। यह अलग बात है कि एम0आई0एस0 स्कीम में बहुत सारी कमियां हैं। इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। इसका जो भी सिस्टम है उसको चरणबद्ध तरीके से हम इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने यह भी फैसला किया है कि पहले हम पर्चियों के बदले में कुछ दवाइयां देते थे, कुछ टूलज देते थे उसको

बंद करके आने वाले समय में जिसका एम0आई0एस0 में सी ग्रेड का सेब लेते हैं उनको डी0बी0टी0 करेंगे जैसे-जैसे हमारे पास धन होगा। मैं आपको इसके लिए एश्योर करना चाहता हूँ।

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

31.03.2026/1615/RKS/hk-1

माननीय राजस्व मंत्री जारी.....

माननीय सदस्यों ने कहा कि एफ0टी0ए0 का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे यह बड़ा अच्छा लगा कि ये भी इसे महत्वपूर्ण मान रहे हैं। परंतु मुझे यह पता नहीं था कि ये एफ0टी0ए0 के पक्ष में बोलने वाले हैं। अगर ऐसा है तो फिर यह महत्वपूर्ण कैसे रह गया? मुझे लगता है आप डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए इसे महत्वपूर्ण बना रहे हो। अगर हम बागबानों के पक्ष में हैं तो यह जरूर महत्वपूर्ण है। फिर इसमें आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। आपको एफ0टी0ए0 का साथ नहीं देना पड़ेगा। हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री अनिल शर्मा जी ने सेब के बारे में बहुत सारी बातें कही हैं। यह ठीक है कि विभाग द्वारा सेब की खेती और दूसरे फलों को बढ़ावा देने के लिए नई तकनीक लाने की कोशिश की जा रही है। मैं यूनिवर्सल कार्टन के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। फलों को बाईं वेट बेचने के बारे में भी मैं बता चुका हूँ। हमारा प्लांट मटीरियल बेहतर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने लगाया तो आम पर निकले संतरा, यह नहीं होना चाहिए। हम इन सब बातों को ध्यान में रख रहे हैं और उसके लिए नॉलेज शेयरिंग कर रहे हैं। हम जगह-जगह पर कैम्पस आयोजित करवा रहे हैं। हमने यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों को इसके लिए फील्ड में उतारा है। जो अल्टरनेरिया इत्यादि की बीमारियां थीं उनके संबंध में हमने यूनिवर्सिटी में बैठक की थी। हमारे यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों और विभाग के अधिकारियों ने गांव-गांव जाकर लोगों को इस बीमारी के बारे में बताया है। हम अल्टरनेरिया या चेरी की बीमारी को ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं। हमने होर्टिकल्चर पोलिसी भी बना दी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बिना धन के पोलिस का कोई मायने नहीं है। जब इस पोलिसी के साथ धन बल साथ होगा तभी इस पोलिसी का फायदा होगा। जैसे हम शिवा प्रोजैक्ट चला रहे हैं उसी किस्म का high density apple के लिए project हो। इसके लिए वर्ल्ड बैंक वाले तो तैयार हैं लेकिन

इसके लिए हमें केंद्र सरकार के सहयोग की आवश्यकता है। मैं माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि हमें यह नया प्राजैक्ट मिले ताकि हम बागवानों की समस्याओं को दूर कर सकें। हमें बागवानों की समस्या का समाधान करने के लिए हाई डेंसिटी पर जाना पड़ेगा। आज हमारे पड़ोसी राज्य जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड बागवानी के क्षेत्र में बहुत आगे पहुंच गए हैं। हम लोग वाकई बागवानी में पिछड़ते जा रहे हैं जिसके कई कारण हो सकते हैं। इसमें एक ही कारण नहीं है, इसमें सौ कारण हो सकते हैं और इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। हमारा जो प्लांट

31.03.2026/1615/RKS/hk-2

मटीरियल वर्ष 2022 से पहले आया है हम उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते। हमारे टाइम में अगर कोई भी प्लांट मटीरियल गलत आया हो तो हम उसकी जिम्मेवारी लेते हैं। चाहे वह स्टोन फ्रूट्स का हो या सेब का अगर किसी भी प्लांट मटीरियल में कमी पाई जाती है तो आप सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर प्लांट मटीरियल गलत पाया गया तो हम Plant material supply करने वाले और उसको प्रमाणित करने वालों के विरुद्ध एक्शन लेंगे। अगर एक वर्ष के बाद भी कोई गलती पाई जाती है तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम उन कंपनियों के साथ सख्ती से पेश आएंगे जिन्होंने इस मटीरियल को सप्लाई किया है। मैंने फसल बीमा योजना का भी जिक्र किया है। फसल बीमा योजना बहुत बढ़िया योजना है। यह योजना Weather based है और मौसम की जानकारी लेने के लिए जगह-जगह पर रडार स्थापित किए गए हैं। जब किसान फसल बीमा करते हैं तो उन्हें कुछ-न-कुछ जरूर फायदा होता है। मैं जब लिस्ट देख रहा था तो मैं परेशान हो रहा था कि मेरे जिला में एक बागवान को इस योजना के तहत 15 लाख रुपये के करीब मिल गये। उसके चार-पांच खेत थे लेकिन उसकी फसल भी बीकी और बीमा के तहत भी कुछ राशि मिली। फसल बीमा योजना में सरकार की तरफ से भी अंशदान दिया जाता है। जो बाहर के सेब की क्वालिटी है वह बहुत बढ़िया है। वह सेब देखने में, वजन में और आकार में हमारे सेब से बढ़िया है। ये अलग बात है कि उसकी गुणवत्ता इतनी अच्छी नहीं है। हमारा सेब टेस्ट में बहुत अच्छा है परंतु लोग तो बाहर की शकल देखते हैं। इसलिए हमें क्वालिटी की तरफ जाने की भी जरूरत है और इसके लिए हम काम कर रहे हैं। यहां पर CA स्टोर स्थापित करने की बात हुई है। हमने बहुत जगह CA स्टोर बनाए लेकिन वहां लोग आ नहीं रहे हैं।

हमन एच0पी0एम0सी के CA स्टोरों को ऑक्शन कर चुके हैं लेकिन अब भी हमारे दो-तीन CA स्टोर बचे हुए हैं। हमारे किसानों के लिए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की एक योजना है। आप जो 10 टन, 20 टन या 30 टन क्षमता के सी0ए0 स्टोर बनाएंगे उसमें 50 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान है। पांच टन की क्षमता वाले 20 लाख रुपये के सोलर कोल्ड स्टोर में 10 लाख रुपए की सब्सिडी का प्रावधान है। सरकार जरूरत के हिसाब से सी0एस0 स्टोर बनाएगी। यहां पर कहा गया कि जमीन की एलिवेशन का पता नहीं लग रहा है।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

31.03.2025/1620/बी.एस./वाई.के.-1

राजस्व मंत्री जारी...

साथ में यहां पर कहा गया कि एलिवेशन का पता नहीं लग रहा है। आज तो शाहपुर जैसे क्षेत्र में सेब तैयार हो गया है। जब मैं दो साल पहले गया था तो 15 लाख रुपये का सेब वहां का एक बागवान बेच चुका था और उसने मई के महीने में ही सारा सेब खत्म कर दिया था। मैंने पूछा बेचते कहां हैं? वह कहता है, मेरे पास तो धर्मशाला के जितने होटल वाले हैं वे एडवांस में ले जाते हैं। आज शाहपुर में सेब तैयार हो रहा है, आज बिलासपुर में सेब तैयार हो रहा है और ऊना में सेब तैयार हो रहा है तो यह सेब अब यूनिवर्सल हो गया है। आपके तो जल्दी तैयार हो जाएगा। मई माह में आप बेच करके खत्म भी कर देंगे। हम तो अक्टूबर-नवंबर तक इंतजार करते हैं। उस समय बर्फ का भी डर रहता है। यह जो सेब है आज किसी भी एल्टीट्यूड पर हो सकता है। इसके लिए बागवानी विभाग ने कैलेंडर जारी कर रखा है कि किस एलिवेशन में कौन सा रूट स्टॉक लगेगा। एम-9 लगेगा या एम-111 या कोई जिनेवा सिटी का लगेगा। हमने यह सब जानकारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध करवा दी है।

यहां पर प्रतिस्पर्धा की बात हुई है। अब आप किस प्रतिस्पर्धा की बात कर रहे हैं? अगर आप हमारी प्रतिस्पर्धा अमेरिका से कराओगे या न्यूज़ीलैंड से कराओगे तो वह ऐसा होगा कि

एक तरफ एक टांग वाला दौड़ रहा है और दूसरी तरफ चार टांग वाला दौड़ रहा है। यह प्रतिस्पर्धा कहने के लिए अच्छी लगती है पर हम जो फील्ड में खुद सेब या फलों की खेती करते हैं वे इस बारे में ज्यादा सही जानकारी रखते हैं। यहां पर आदरणीय हरीश जनारथा जी ने भी बहुत अच्छे विचार रखे हैं। उनकी बातों को प्रैक्टिकल रूप में लागू करने की आवश्यकता है और आदरणीय बलबीर वर्मा जी से कोई ज्यादा शिकायत नहीं है। आप बाहर कुछ और बोलते हैं, अंदर कुछ और बोलते हैं, यह बात ठीक नहीं लग रही है। बाकी आप सभी अपने-अपने क्षेत्रों के बागवानी से जुड़े हैं। आपने कहा कि गरीबों को दवाई नहीं मिलती है। अब दवाई पर सब्सिडी हमारी मिनिमम जो है वह वर्ष 1998 की फ्रीज है, उसका कोई खास महत्व नहीं रह गया क्योंकि सब्सिडी का पैसा ही नहीं है। लेकिन हमने यह फैसला किया है कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट मैनुफैक्चरर्स से दवाइयां लेकर हम अपने सेल्स सेंटरों में उपलब्ध कराएंगे। जो मार्केट से कुछ प्रतिशत सस्ती होंगी और उनकी

31.03.2025/1620/बी.एस./वाई.के.-2

गुणवत्ता में कोई कमी नहीं होगी। यह हमने इस बार से लागू कर दिया है। आपको इसमें किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम केंद्र सरकार को यह प्रस्ताव भेज दें और निवेदन करेंगे कि एफ0टी0ए0 में विशेष ध्यान देकर हिमाचल ही नहीं, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट के सभी बागवानों के हितों को ध्यान में रखा जाए। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात यहां पर हमारे सीनियर चौधरी साहब बता रहे हैं तो डब्ल्यू0टी0ओ0 लाने वाले भी यही लोग हैं। मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। अभी बहुत अच्छा माहौल है, किसी और समय इस पर चर्चा कर लेंगे, धन्यवाद।

सभापति : तो क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प अडॉप्ट करना चाहते हैं?

श्री कुलदीप सिंह राठौर : सभापति महोदय, यह सबकी सर्वसहति है, मुझे लगता है कि इसे अडॉप्ट किया जाना चाहिए।

सभापति : तो प्रश्न यह कि यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि "केन्द्र सरकार द्वारा यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूज़ीलैंड और अन्य देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) से प्रदेश के सेब/फल उत्पादकों की अर्थव्यवस्था को संरक्षित रखने हेतु नीति बनाने पर विचार करें"।

संकल्प स्वीकार

31.03.2025/1620/बी.एस./वाई.के.-3

अब माननीय सदस्य डॉ० जनक राज जी अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

डॉ० जनक राज : सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ कि यह सदन राज्य सरकार से सिफारिश करता है कि "प्रदेश में निर्माणाधीन तथा संचालित जल विद्युत परियोजनाओं के सामाजिक एवं पर्यावरणीय प्रभावों के आधार पर रोजगार सुनिश्चित करने हेतु नीति बनाने पर विचार करें"।

सभापति : तो संकल्प प्रस्तुत हुआ कि यह सदन राज्य सरकार से सिफारिश करता है कि "प्रदेश में निर्माणाधीन तथा संचालित जल विद्युत परियोजनाओं के सामाजिक एवं पर्यावरणीय प्रभावों के आधार पर रोजगार सुनिश्चित करने हेतु नीति बनाने पर विचार करें"।

माननीय सदस्य अब संकल्प की चर्चा में भाग ले सकते हैं और अपना वक्तव्य दे सकते हैं।

डॉ० जनक राज श्री डी.टी. द्वारा जारी.....

31.03.2026/1625/DT/YK-1

डॉ० जनक राज : सभापति महोदय, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर इस सदन का ध्यान आकृषित करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा चुनाव क्षेत्र जल विद्युत परियोजनाओं से भरा पड़ा है। इसमें बड़ी-बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं जैसे एन०एच०पी०सी०, चमेरा-2 व चमेरा-3, जी०एम०आर०, जे०एस०डब्ल्यू० हैं। इन बड़ी-बड़ी परियोजनाओं के साथ-साथ

मिनी, अनेकों माइक्रो हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट्स वहां पर बने हैं और अभी भी कुछ नये प्रोजेक्ट्स वहां बन रहे हैं और आने वाले समय में कई प्रोजेक्ट्स वहां बनने प्रस्ताति हैं।

सभापति महोदय, हिमाचल को ऊर्जा राज्य कहा जाता है और हिमाचल की तीन प्रमुख नदियां जिन पर अभी ऊर्जा संवर्धन जल विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से किया जा रहा है वे हैं सतलुज, ब्यास व रावी। ये नदियां प्रदेश की जीवन रेखाएं हैं। इन पर आधारित जल विद्युत परियोजनाएं राज्य की अर्थ व्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हुए देश और प्रदेश की ऊर्जा की जरूरतों को भी पूरा कर रही है। इसका एक पहलू यह भी है कि इन परियोजनाओं का सर्वाधिक प्रभाव उन स्थानीय लोगों पर पड़ता है जिनके रिहायसी क्षेत्रों में या कृषि की भूमि के इर्द-गिर्द इन परियोजनाओं का निर्माण होता है। चाहे भूमि अधिग्रहण हो, चाहे विस्थापन हो, चाहे पर्यावरण की क्षति हो, चाहे सामाजिक ढांचे में बदलाव हो- इसका सबसे ज्यादा प्रभाव उन्ही क्षेत्रों में पड़ता है जहां पर ये परियोजनाएं स्थापित की जाती हैं।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में परिस्थितियां इस प्रकार से हैं कि मुझे आज इस संकल्प को लाने की जरूरत पड़ गई। हालांकि प्रदेश सरकार की ओर से इस पर नीति बनाई गई है उसके बावजूद भी क्या कारण है कि आज भी मेरे चुनाव क्षेत्र में लोगों के अंदर गुस्सा है, असंतोष है और उनकी उम्मीदें सरकार और प्रशासन के प्रति नकारात्मक हैं।

जल विद्युत परियोजनाएं विकास का प्रतीक मानी जाती हैं। परंतु ये विकास लोगों के वर्तमान और उनके भविष्य को समाप्त करके नहीं होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। जिन लोगों की जमीनें व संसाधन इन परियोजनाओं के निर्माण से उजड़ते हैं, जिनके जीवन का संतुलन इन परियोजनाओं के निर्माण से बिगड़ता है, उन प्रभावितों को पर्याप्त रोजगार नहीं मिल पाता। ठेकेदारी प्रथा और बाहरी श्रमिकों की अधिकता के कारण स्थानीय लोगों को अपेक्षित अवसर नहीं मिलते। मैं इसी संकल्प

31.03.2026/1625/DT/YK-2

के माध्यम से एक बात विशेष तौर पर बताना चाहूंगा कि मेरे चुनाव क्षेत्र में एक निर्माणाधीन परियोजना शिवालिक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है इस पर निर्माण के लिए एक कंपनी को कान्ट्रैक्ट दिया गया है। कुछ समय काम करने के बाद वह कंपनी भाग गई और आज भी लोगों की देनदारियां लंबित हैं। अभी कुछ समय पहले जब बरसात हुई तो कंपनी द्वारा बनाए गए स्ट्रक्चर्ज और मक डिस्पोजल से लोगों की जमीनें व खेती खराब हुई। वहां पर स्थानीय लोगों को कोई रोजगार उपलब्ध नहीं करवाया गया है। लोगों को पेमेंट और ई0पी0एफ0 की समस्या आ रही है। वहां लोगों को डराया-धमकाया जा रहा है। अभी परसों मुझे रोहित नामक लड़के का फोन आया कि मुझे कंपनी के लोगों ने धमकाने और मारने की कोशिश की। जब मैंने इस संबंध में एस0एच0ओ0 को कार्रवाई करने के आदेश दिए तो मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तीसरी दिन हो गया है लेकिन इस संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उस प्रोजेक्ट का काम रूकवाने के लिए लोग वहां धरना-प्रदर्शन और हंगामा कर रहे हैं। इन वजहों से सरकार, प्रशासन और

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

31.03.2026/1630/ए.जी.-एन.जी./1

डॉ0 जनक राज..... जारी

हमारे स्थानीय चुनाव क्षेत्र की वैश्विक स्तर पर छवि खराब होती है क्योंकि यह हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में बड़े-बड़े इन्वेस्टर आते हैं, वे विदेशों से भी आते हैं और देश के अन्य हिस्सों से भी आते हैं। जिस वजह से हमारे क्षेत्र, हमारी सरकार और हमारे लोगों का इम्प्रेशन खराब पड़ता है।

सभापति महोदय, मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। हालांकि हिमाचल सरकार ने पावर प्रोजेक्ट्स के लिए 70 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार देने की नीति बनाई हुई है, लेकिन इसमें पावर प्रोजेक्ट्स व अन्य बड़े प्रोजेक्ट्स वाले एक तरह की चालाकी करते हैं।

जो कर्मचारियों की कुल संख्या होती है, उसका 70 प्रतिशत ये लोग मजदूरों के रूप में स्थानीय लोगों से भर लेते हैं, लेकिन जो बड़े डिस्सीज़िव पोस्टें हैं, जैसे जी०एम०, प्रोजेक्ट मैनेजर या इंजीनियर आदि, उन पदों पर बाहर से लाकर अपने लोगों को रख लेते हैं। इस तरह से स्थानीय लोगों को दरकिनार कर दिया जाता है। इसलिए मैं इस संकल्प के माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूँ कि सरकार नीति में सुधार करे और इसकी अनुपालना सुनिश्चित करे। मेरा आग्रह है कि इस सदन के माध्यम से सरकार को ऐसे दिशा-निर्देश दिए जाएं।

सभापति महोदय, साथ ही साथ, परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में जहां पर लोगों की जमीनें चली जाती हैं, खेती की जमीन खत्म हो जाती है, कई बार लोगों के घर-गांव भी विस्थापित हो जाते हैं और रोजगार के सीमित साधन व हालातों को देखते हुए, जैसे हमारा पिछड़ा व आकांक्षी जिला है, तो मेरी सरकार से यह विशेष मांग रहेगी कि मेरे दो बड़े परियोजना प्रभावित क्षेत्र होली और धरवाला में कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र, जैसे आई०टी०आई०, खोले जाएं ताकि स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण के लिए बाहर न जाना पड़े।

31.03.2026/1630/ए.जी.-एन.जी./2

सभापति महोदय, इन्हीं परियोजनाओं की वजह से मेरे होली क्षेत्र में दो गांवों का अस्तित्व समाप्त हो गया। उनमें एक सलून गांव और दूसरा झड़ौता गांव शामिल है। आज भी अनेक लोग मुआवज़े और अपने हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रशासन व हमारे चक्कर काटते रहते हैं। यह कहीं-न-कहीं हमें नीतियों में सुधार की आवश्यकता की ओर निर्देशित करता है।

(श्री आशीष बुटेल, सभापति पदासीन हुए।)

सभापति महोदय, पर्यावरण और सामाजिक प्रभावों के अनुपात में लोगों को मुआवज़ा मिलना चाहिए। जब मैं स्कूल-कॉलेज में पढ़ता था, तब चमेरा-2 और चमेरा-3

प्रोजेक्ट का काम चल रहा था। उस समय रावि नदी के किनारे सारे मक को दबा दिया गया था। रावि नदी के किनारे क्रेट लगाकर और दीवारें बनाकर उस सारे मक को दबा दिया गया। लेकिन आज अगर हम देखें तो वह सारा मक वर्षों की बारिश और बाढ़ के कारण बहकर साफ हो चुका है। फिजिक्स का एक नियम भी है— Bernoulli's Theorem. जिसमें pressure is inversely in relation to the area. जब भी किसी नदी या जल प्रवाह का क्षेत्रफल कम होता है तो दबाव बढ़ जाता है। शायद यही कारण है कि आज हिमाचल में नदियां इस तरह की तबाही मचा रही हैं। क्योंकि मक डिस्पोज़ल नदियों के किनारे किया जा रहा है और मेरा आग्रह है कि नदियों के किनारे इसे डंप नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी निर्माण कर रही कंपनी को ऐसी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए कि नदी के किनारे इस वेयरलैंड में मक डिस्पोज़ कर दो। वह कहीं-न-कहीं नदी के रास्ते को संकरा करता है और उससे दबाव बढ़ता है। जब भी बारिश का समय आता है तो तबाही ज्यादा होती है। इन पहाड़ों में नदियां सदियों से बह रही हैं और लोग बताते हैं कि पहले इससे भी ज्यादा बारिश होती थी।

31.03.2026/1630/ए.जी.-एन.जी./3

सभापति महोदय, जो जे0एस0डब्ल्यू का प्रोजेक्ट है, उसका पावर हाउस और अन्य वियर साइट, ग्राम पंचायत उलांसा के पास हैं। ग्राम पंचायत उलांसा के लोगों का एक दर्द और भी है क्योंकि मेरा चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जनजाति में आता है लेकिन उलांसा व हड़सर के गांव न जाने किसी डोक्यूमेंटरी कमी के कारण जनजातीय दर्जे से छूट गए हैं। उन लोगों को उस स्थान पर कम्पनी के द्वारा रोजगार भी उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। पिछले साल गांव सुहागा के पास एक लैंडस्लाइड हुआ और लगभग तीन महीने तक होली क्षेत्र का संपर्क पूरे प्रदेश से कटा रहा। आज भी सुहागा गांव के लोगों के घरों में दरारे हैं और वे डर के साए में जी रहे हैं। इसके लिए भी मैं आगे कुछ सुझाव देना चाहूंगा।

सभापति महोदय, स्थायी व अस्थायी रोजगार केवल निर्माण अवधि के दौरान ही नहीं होना चाहिए। निर्माण अवधि के दौरान तो कंपनियां हजारों या सैकड़ों लोगों को रख लेती हैं, लेकिन निर्माण कार्य पूरा होने के बाद वे अपने लोगों को बाहर से लाकर रख लेते हैं और स्थानीय लोगों को बाहर कर देते हैं। इसलिए जो नॉन-प्रोफेशनल या नॉन-टेक्निकल काम हैं, जैसे चाय बनाना, ड्राइविंग करना, दफ्तर में चपरासी का काम करना,

श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

31.03.2026/1635/ए0एस0/ए0पी0-01

डॉ0 जनक राज जारी

उस तरह के पदों पर भी अगर आप बाहरी लोगों को लाएंगे तो जिन लोगों की ज़मीनें जाती हैं, जिनके घर टूटते हैं, उनको हम कहां अकॉमोडेट करेंगे। सभापति महोदय, मुझे लगता है कि हमें नीति में सख्ती से सुधार करने और उसकी अनुपालना सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। यह जो 70 प्रतिशत रोज़गार की बात नीति में कही गई है, इसका वर्टिकल बाइफरकेशन होना चाहिए। बड़े पदों से लेकर छोटे पदों तक 70 प्रतिशत आरक्षण स्थानीय लोगों को मिले। अगर वहां स्थानीय लोग नहीं मिलते हैं तो फिर आसपास के क्षेत्र से लिया जाए। फिर भी नहीं मिलता है तो ज़िले से और अगर ज़िले से भी नहीं मिलता तो प्रदेश से, अगर प्रदेश में भी नहीं मिलता है तब जाकर प्रदेश से बाहर की बात हो न कि बाहरी प्रदेशों से आकर लोग हमारे संसाधनों पर कमाई करें और हमारे लोग अपनी ज़मीनों और घरों के नुकसान को झेलें। सभापति महोदय, इसी के साथ मेरा यह भी सुझाव है कि सरकार को इन परियोजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन के दौरान, एक प्रभावशाली और जवाबदेही निगरानी तंत्र को बनाने की आवश्यकता है। सबको रोज़गार कोई सरकार, कोई कंपनी नहीं दे सकती तो क्यों न हम इन परियोजनाओं में जो बड़े-बड़े प्लेयर हैं, उन्हें सी0एस0आर0 के माध्यम से ऐसे मोटिवेशनल और उपयोगी कार्यों के लिए स्थानीय लोगों को प्रेरित करें। जिससे स्थानीय लोग अपनी आजीविका चला सकें। चाहे वह हथकरघा की ट्रेनिंग हो, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को अचार बनाने की ट्रेनिंग हो, सिलाई-कढ़ाई की ट्रेनिंग

हो। ट्रेनिंग के साथ-साथ समुदाय को जरूरी उपकरण भी उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही, उनके लिए स्थानीय बाज़ार उपलब्ध कराया जाए, जिसमें जिला प्रशासन और सरकार सहयोग करें। जिससे की उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को पहचान दिलाई जाए। सारस आदि मेलों और कार्यक्रमों में भी इन उत्पादों को प्रदर्शित किया जाए। सभापति महोदय, साथ ही एक बहुत जरूरी बात मैं सुझाव के तौर पर कहना चाहूंगा कि परियोजना को शुरू करने से पहले प्री-स्टार्ट वीडियोग्राफिक सर्वे होना चाहिए। जिसमें एक टीम बने। जिसमें प्रशासन की टीम, स्थानीय लोगों की टीम, जनप्रतिनिधियों की टीम और रेवेन्यू विभाग के लोग शामिल हों जोकि प्रत्येक एसेट चाहे वह पीने के पानी के स्रोत हों, लोगों के घर हों या

31.03.2026/1635/ए0एस0/ए0पी0-02

उनकी ज़मीनें हैं, जो प्रभावित क्षेत्र में आती हैं। उनका पूरा वीडियोग्राफिक रिकॉर्ड तैयार करे ताकि निर्माण के दौरान ब्लास्टिंग से किसको कितना नुकसान हुआ। उसके आधार पर सही मुआवज़ा दिया जा सके। सभापति महोदय, वर्ष 2006 में मेरे चुनाव क्षेत्र में एक परियोजना बनी थी। उस समय कंपनी का नाम लैंको था, जो अब बदलकर ग्रीनको हो गया है। यह परियोजना भरमौर से होकर खडामुख की तरफ जाती है। जहां इसका पावर हाउस है। जब यह परियोजना बनी तो इसकी टनल लाहल और खणी क्षेत्र के नीचे से गई। जिसके कारण वहां के प्राकृतिक जल स्रोत पूरी तरह से सूख गए। आज 20 साल हो चुके हैं। मैं इसके लिए किसी व्यक्ति विशेष को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूं। लेकिन यह हमारी नीतिगत विफलता है कि 20 वर्षों से लाहल गांव के लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं और उन्हें टैंकर से पानी दिया जा रहा है। सड़क के किनारे रहने वाले लोग तो टैंकर से पानी ले लेते हैं। परन्तु मेरे ग्रामीण क्षेत्र में हर घर सड़क से नहीं जुड़ा है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब जनजातीय विकास मंत्री जी हमारे साथ भरमौर के दौरे पर थे। उस समय हमने कंपनी से विशेष रूप से आग्रह किया था कि आपकी परियोजना के कारण इन लोगों के पेयजल स्रोत प्रभावित हुए हैं। इसलिए आप ही इन्हें पुनः बनाकर दें और संचालित करें क्योंकि आप यहां 40 वर्षों तक रहने वाले हैं। इसलिए मैं सदन से विशेष रूप से मांग करता हूं कि परियोजना को सख्त-से-सख्त निर्देश दिए जाएं। चाहे उनका काम पूरा हो चुका है।

उन पर सरकार का सीधा नियंत्रण अब कम है। फिर भी सरकार कुछ भी कर सकती है। इसलिए सरकार उन्हें सख्त निर्देश दें ताकि 20 वर्षों में नहीं तो 21वें वर्ष में लाहल और खणी के लोग जो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, उन लोगों को पानी से राहत मिल सके। सभापति महोदय, एनवायरनमेंट क्लीयरेंस जब किसी भी परियोजना को हम देते हैं। सरकार ने तो इस परियोजना के लिए एनवायरनमेंट क्लीयरेंस दे दी है। लेकिन मुझे मालूम ही नहीं है कि यह किन शर्तों पर दी गई है। मेरा प्रदेश सरकार को यह सुझाव है कि किन शर्तों के मुताबिक एनवायरनमेंट क्लीयरेंस दी गई है। उसके बोर्ड उस परियोजना के कार्यक्षेत्र में लगाए जाए। जिससे की वहां के लोग देख पाए कि किन शर्तों में इस परियोजना को निर्माण की अनुमति दी गई थी। क्या कंपनी द्वारा उन

31.03.2026/1635/ए0एस0/ए0पी0-03

सभी शर्तों को पूरा किया गया था या नहीं? सभापति महोदय, विकास केवल आंकड़ों में ही नहीं मापा जाना चाहिए बल्कि हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वहां पर स्थानीय लोगों को क्या लाभ मिला। अगर जलविद्युत परियोजनाएं विकास और समृद्धि का माध्यम हैं तो

श्रीमती के0एस0 जारी

31.03.2026/1640/केएस/एस/1

डॉ0 जनक राज जारी ---

यह सुनिश्चित करना हम सभी चुने हुए प्रतिनिधियों की नैतिक जिम्मेवारी है कि हम उनका प्रत्यक्ष लाभ उन प्रभावितों को सबसे पहले दिलवाएं जिनकी खेती की जमीन गई है, घर गए हैं और जो धूल-मिट्टी की वजह से सांस की बीमारियों से जूझ रहे हैं और जो इस परियोजना की वजह से आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक तौर पर नुकसान उठाते हैं। सभापति महोदय, इस विषय पर हमें समग्र, पारदर्शी, प्रभावी, जिम्मेवार और नीतिगत

सुधार करने की आवश्यकता है। आपने मुझे मेरा विषय रखने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

31.03.2026/1640/केएस/एस/2

सभापति : अब इस चर्चा में नगर एवं ग्राम योजना मंत्री श्री राजेश धर्माणी जी भाग लेंगे।

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री : सभापति महोदय, जो संकल्प नियम-101 के तहत माननीय सदस्य डॉ० जनक राज जी यहां पर लाए हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है और मैं समझता हूं कि रोजगार सुनिश्चित करने के साथ-साथ सामाजिक दायित्व निभाने का भी इसमें प्रावधान होना चाहिए। इसको थोड़ा अमेंडिड फॉर्म में किया जाए तो इसका दायरा थोड़ा ज्यादा बढ़ा हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में जैसा कि प्रस्ताव में है कि कुछ परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, कुछ निर्मित हो चुकी हैं जो ऑपेशनल हैं। उसी तरीके से कुछ परियोजनाएं निजी क्षेत्र की हैं, कुछ सेंटर पी०एस०यू० की हैं कुछ स्टेट पी०एस०यू० की हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो खासकर जो बड़ी परियोजनाएं हैं, जिनकी वजह से सामाजिक और पर्यावरण बदलाव ज्यादा प्रभावित होते हैं इसमें जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे बी०बी०एम०बी०, एन०टी०पी०सी०, एन०एच०पी०सी० या एस०जे०वी०एन०एल० के प्रोजेक्ट्स हैं या कुछ निजी क्षेत्र में बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, ना वे लाडा का पैसा देते हैं, ना सी०एस०आर० का पैसा देते हैं। खासकर बी०बी०एम०बी० के प्रोजेक्ट ऐसे हैं। हालांकि ये परियोजनाएं जितना इनके ऊपर पैसा खर्च हुआ था, ये पूरी तरह से वह पैसा रिकवर कर चुकी हैं। इनके ऊपर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई लायबिलिटी अभी बाकी नहीं है। सिर्फ एक ऑपेशनल कॉस्ट जो इनकी जनरेशन कॉस्ट आती है, वही खर्चा है लेकिन जहां सामाजिक दायित्व निभानेकी बात है ये सबसे पीछे नज़र आते हैं। हम देखते हैं कि जैसे बी०बी०एम०बी० का प्रोजेक्ट है। इसकी शुरुआत भाखड़ा बांध से हुई उसके बाद डैहर का और पोंग डैम भी बना, नंगल का भी बना लेकिन इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित बिलासपुर जिला हुआ तथा उसके बाद ऊना जिला हुआ। बी०बी०एम०बी० सुन्दरनगर में परियोजना बनाते समय काफी लेबर भी होगी, अधिकारी व कर्मचारी भी रहे होंगे क्योंकि उसमें जो क्वार्टर बने हैं, उनमें से अभी बहुत सारे खाली पड़े हैं। वहां पर बी०बी०एम०बी० अस्पताल भी और स्कूल भी चलाता है। बिलासपुर व ऊना जिला में इनकी कहीं कोई डिस्पेंसरी भी

नहीं चलती। यह इतना बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है, बोर्ड है लेकिन सामाजिक दायित्वों को निभाने में ये कहीं पर नज़र नहीं आते हैं। इसके अलावा बी०बी०एम०बी० की जो परियोजनाएं बनीं इनसे सिर्फ हिमाचल को ही लाभ

31.03.2026/1640/केएस/एस/3

नहीं हुआ, पूरे उत्तर भारत, पूरे भारतवर्ष बल्कि हमारे पड़ोसी देशों को भी इसका फायदा मिला क्योंकि फ्लडिंग की वजह से प्लेन इलाके में भारी नुकसान होता था, वह होने से बचा। हरित क्रांति की नींव इसकी वजह से रखी गई। औद्योगिक क्रांति की नींव इसकी वजह से रखी गई। गांव-गांव के अंदर उस समय इलेक्ट्रिकेशन की शुरुआत हुई लेकिन आज भी अगर हम देखते हैं तो बी०बी०एम०बी० की हजारों बीघा जमीन ऐसी है जो अनयूटिलाइज्ड है। वह सबमर्ज भी नहीं होती। वह ना ही उनके प्रयोग की है। सलापड़ और पंडोह में उनके ऐसे सेंकड़ों सैट बने हैं जो कि खाली पड़े हैं। उनको प्रदेश सरकार को वापिस करना चाहिए और हमारा कानून भी है कि जिस उद्देश्य के लिए जमीन दी जाती है, अगर उस उद्देश्य के लिए यूज़ नहीं होती है या यूज़ होने के बाद भी अनयूज्ड पड़ी है तो उसको वापिस स्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके लिए हम सभी मिलकर भारत सरकार से भी आग्रह करें क्योंकि उनकी इंटरवेंशन इसमें रिक्वायर्ड है।

श्री टी०सी०वी० द्वारा जारी--

31.03.2026/1645/टी०सी०वी०/वाई०के०-1

नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री ... जारी

ताकि हमारे जो अधिकार हैं वह हमें मिल सकें। आज बहुत बड़ी मात्रा में इनके पास जमीन अनयूज्ड पड़ी है। उदाहरण के तौर पर चंडीगढ़ मनाली फोरलेन के आसपास भी बी०बी०एम०बी० की काफी जमीन खाली पड़ी है। अगर वे इसे वापिस करते हैं तो स्थानीय लोगों को इसके माध्यम से रोजगार मिल सकता है। इस विषय को भी उठाने की जरूरत है।

दूसरा विषय हमारे विस्थापितों का है, विशेषकर भाखड़ा बांध और पौंग डैम से जो विस्थापित जुड़े हैं। आज भी हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिनका पूरा पुनर्वास नहीं हो

पाया है। कई लोग हरियाणा और राजस्थान में बसाए गए लेकिन उस समय वहां न तो यातायात के साधन थे और न ही सड़कें थीं। उनको इस तरीके से बसाया गया कि जैसे हरियाणा में हजारों लोग 28 अलग-अलग लोकेशन में बसाये गए अगर उनको आसपास बसाते तो वे एक-दूसरे का सहारा बन सकते थे। राजस्थान में भी स्थिति इसी प्रकार की है। मैं पिछले दिनों गंगानगर (राजस्थान) गया था। वहां बता रहे थे कि जब एक व्यक्ति अपना कब्जा लेने के लिए गया जिसकी लिटिगेशन लंबे समय से चल रही थी तो रास्ते में ही उसकी हत्या हो गई। वहां का माहौल उनके प्रति बहुत ही हॉस्टाइल था। हालांकि कुछ लोग वहां पूरी तरह से बस गए हैं लेकिन कई ऐसे भी हैं जिनका पुनर्वास अभी तक नहीं हुआ है।

इसी प्रकार बिलासपुर और भाखड़ा क्षेत्र में जिन विस्थापितों को प्लॉट मिलने थे उनको भी पूरी तरह प्लॉट नहीं मिल पाए हैं। आज भी बहुत-सारे विस्थापित ऐसे हैं जिनकी पुनर्वास प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। इस विषय पर गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। साथ ही जो पड़ोसी राज्य इसमें सम्मिलित हैं चाहे राजस्थान या हरियाणा है उनको भी ऑन बोर्ड लेने की आवश्यकता है। भारत सरकार के स्तर पर भी इस विषय को टेक अप करने की जरूरत है। हमें हैरानी होती है कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की तरफ से हमें जो कम्पनसेशन अवार्ड मिला, उस संबंध में वर्ष 2011 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश के पक्ष में स्पष्ट निर्णय दिया कि हमें लगभग 4300 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाए। अब अगर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सरकारें सर्वोच्च

31.03.2026/1645/टी0सी0वी0/वाई0के0-2

न्यायालय का भी निर्णय न मानें तो मैं समझता हूं कि यह अनकॉन्स्टीट्यूशनल है और इसमें भारत सरकार की इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है। आज हिमाचल प्रदेश को हमारा लीगलाइज्ड हक भी नहीं मिल रहा है। हमारे प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो चुके हैं और ये पूरी तरह से ऑपरेशनल हैं। इनके ऊपर कोई लोन लायबिलिटीज नहीं है और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर से कई गुना ज्यादा रिकवर कर चुके हैं। इनको हिमाचल प्रदेश को कम-से-कम अपने प्रॉफिट का 50 प्रतिशत देना चाहिए। मुख्य मंत्री जी भी इस बात को बार-बार रखते हैं क्योंकि जब तक प्रोजेक्ट की कॉस्ट रिकवर नहीं हुई होती तब तक तो माना जा

सकता है लेकिन जब प्रोजेक्ट की कॉस्ट रिकवर हो चुकी है तो उनको हिमाचल प्रदेश का हक देना चाहिए।

आज जेनरेशन कॉस्ट 1 रुपये से भी कम रह गई है। बी०बी०एम०बी० या एन०एच०पी०सी० के प्रोजेक्ट अब पूरी तरह फ्री हो चुके हैं। समय के साथ-साथ प्रति यूनिट जेनरेशन कॉस्ट लगातार कम होती जाती है इसलिए इस विषय पर इनके ऊपर दबाव बनाने की आवश्यकता है और इसमें भारत सरकार की मदद लेना भी जरूरी है। हम सब मिलकर जब इस इश्यू को उठाएंगे तो इसमें निश्चित तौर हमें सफल मिलेगी।

इसी प्रकार हमारा सानन पावर प्रोजेक्ट है जिसका समझौता वायसराय ऑफ इंडिया और मण्डी के राजा के बीच हुआ था। उस समय पंजाब सरकार इसमें कहीं भी शामिल नहीं थी। यह समझ से परे है कि पंजाब सरकार इसमें कैसे शामिल हो गई क्योंकि उस समझौते में केवल दो ही पार्टियाँ थीं, कोई तीसरी पार्टी नहीं थी। यदि इसे मान भी लिया जाए तो अब उसकी लीज अवधि 99 वर्ष की पूरी हो चुकी है। जब इस विषय को पंजाब सरकार के साथ टेकअप किया जाता है तो वह सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में इसके लिए ठोस और बड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

हम केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्री से अनुरोध करते हैं कि

एन०एस० द्वारा ... जारी

31-3-2026/1650/NS-HK/1

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री -----जारी

वे इसमें हस्तक्षेप करें और इसके लिए मीटिंग बुलाएं क्योंकि इसमें पूरी तरह से राइट हमारा है, जमीन हमारी है क्योंकि 99 वर्षों के बाद उनका जमीन पर कोई हक नहीं है और जो एग्रीमेंट हुआ था उसकी अवधि भी लैप्स हो चुकी है। ऐसे में उनका इस पर कोई लीगल राइट नहीं है। इसे पंजाब सरकार से शीघ्रातिशीघ्र वापस लेना चाहिए। इस प्रोजेक्ट की 100 मेगावाट की उत्पादन क्षमता है या इससे भी ज्यादा होगी तथा इससे भी प्रदेश को इनकम होगी। अगर ये नहीं देते हैं तो हमें लीगल कोर्स के अलावा भी इसके ऊपर सोच-विचार

करना चाहिए। हालांकि, हम पीस लविंग स्टेट हैं और हिमाचल प्रदेश को पीस लविंग होने की वजह से रिवाँर्ड मिलने की बजाय कई बार इस तरह के नुकसान झेलने पड़ते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पड़ोसी राज्य जम्मू-कश्मीर और पंजाब में कई दशकों तक काफी टर्बूलेंस रही है। उनकी तरफ जितना ध्यान दिया जाता है उतना ध्यान हिमाचल प्रदेश की तरफ नहीं दिया जाता है और उसकी वजह से हमारे जहां राइट्स बनते हैं हम उनसे महरूम रह जाते हैं। इस संकल्प के माध्यम से मैं चाहूंगा कि इसे सर्वसम्मति से पारित करें और अमेंडिड फॉर्म में करें क्योंकि रोजगार सुनिश्चित करने के साथ-साथ जो बाकी सामाजिक दायित्व हैं वे भी ये कंपनियां निभाएं। हम उनसे यह जरूर आग्रह करें चाहे लाडा के माध्यम से दें, चाहे हमारे एनवायरनमेंट प्रोटक्शन के लिए दें, चाहे हमारे जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं उनको रिहैबिलिटेड करने में उनकी मदद हो, चाहे हमारी जो लैंड अनक्लेमड है या उनकी जो बिल्डिंग बनाई हुई हैं और अनयूटिलाइज्ड पड़ी हुई हैं उनको वापिस स्टेट को वैस्ट करने की जरूरत है। ये कुछ इश्यूज हैं। दूसरे प्रोजेक्ट्स जैसे एस0जे0वी0एन0एल0 या एन0एच0पी0सी0 की भी हालत ऐसी ही है। हालांकि, जो प्रोजेक्ट्स नए बने हैं उनमें लाडा और सी0एस0आर0 का प्रावधान है। जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनमें भी रोजगार का प्रावधान होना चाहिए। डॉ0 जनक राज ने ठीक कहा कि प्राइवेट कंपनियों में जो इम्प्लॉयमेंट मिलती है उस इम्प्लॉयमेंट को सिर्फ निचले लैवल पर ना रखा जाए। हालांकि, निचले लैवल पर भी ट्रेड मैन पाँवर चाहिए। मैं इस संकल्प के माध्यम से यह भी आग्रह करना चाहूंगा कि इसमें यह प्रावधान किया जाए कि from part of their income some corpus fund should be created. और उसके माध्यम से हमें स्किल ट्रेनिंग देनी चाहिए। इसके लिए हमारे पास इंस्टीच्यूशनज हैं। हमारे पास इंजीनियरिंग 31-3-2026/1650/NS-HK/2

कॉलेजिज, आई0टी0आई0, पॉलिटैक्निक इंस्टीच्यूशनज हैं। पीछे हमने हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज को टेक अप किया जो नंगल में हाइड्रो इंजीनियरिंग से रिलेटिड एक डिप्लोमा करवाते थे। वे 2 लाख रुपये फीस चार्ज करते थे। ये कोर्सिज हमारे विस्थापितों के लिए कम-से-कम फ्री होना चाहिए। लेकिन वे अगर इस तरह से उस मॉडल पर नहीं जाना चाहते तो कम-से-कम एक कॉरपस फंड क्रिएट करें जो केवल स्किल और टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए इन विस्थापितों के बच्चों के लिए यूज हो। उसका भी प्रावधान करने की

जरूरत है। अगर यह लाडा और सी0एस0आर0 के अलावा कुछ अलग से प्रावधान हो सके तो मुझे लगता है कि हमें उसमें भी काफी सफलता मिलेगी। पिछले दिनों भारत सरकार ने कुछ परसेंटेज तय की थी कि विस्थापितों को सब्सिडाइज्ड रेट पर या फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना कंपलसरी है। यह शर्त पुराने प्रोजेक्टों पर लागू नहीं हो रही है। हमने जो नीतियां आज के नए प्रोजेक्टों के लिए बनाई हैं वही शर्तें इन पुराने प्रोजेक्टों पर भी लागू होनी चाहिए बल्कि इनके लिए तो हमें एक्स्ट्रा करना चाहिए क्योंकि उनकी अब कोई लायबिलिटी नहीं है। नए प्रोजेक्टों के ऊपर तो लायबिलिटी है क्योंकि उन्होंने लोन लिया होगा और उनको प्रॉफिट में भी लाना है। पुराने प्रोजेक्ट्स पहले से ही प्रॉफिट में रन कर रहे हैं। पुराने प्रोजेक्टों के ऊपर भी इस तरह के प्रोविजन्ज किए जाएं तभी हिमाचल प्रदेश के हक मिल पाएंगे और हम भविष्य की पीढ़ियों के हकों को महफूज कर पाएंगे। अंत में, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो हमारे पुराने पॉवर प्रोजेक्ट्स हैं और इनके अलावा आने वाले समय में जो नए प्रोजेक्ट्स लगेंगे या पंप स्टोरेज लगेंगे तो उनमें भी ये प्रावधान किए जाने चाहिए। पुराने प्रोजेक्टों में पंप स्टोरेज की संभावना ज्यादा है। अब पंप स्टोरेज के ऑफर प्रदेश सरकार के पास आएंगे। उस समय ये सारे प्रोविजन्ज हमारे एग्रीमेंट्स में शामिल होने चाहिए क्योंकि पंप स्टोरेज बेनिफिशियल प्रोजेक्ट है और गुण-दोष के आधार पर ही उनको ये प्रोजेक्ट दिए जाएं। पिछले दिनों माननीय मुख्य मंत्री जी ने नई पॉलिसी के तहत फैसला लिया था जिसमें हमें बड़ी सफलता मिली और हमने जे0एस0डब्ल्यू0 से केस जीता। हमने जब रॉयल्टी 12 प्रतिशत से 18 प्रतिशत की तो वे 18 प्रतिशत रॉयल्टी देने का विरोध कर रहे थे

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

31.03.2026/1655/RKS/hk-1

नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री जारी....

लेकिन हम माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने बड़ा दम रखकर यह लीगल लड़ाई लड़ी है। माननीय उच्चतम न्यायालय से हमारे हक में यह फैसला आया और अब हमें उसी एक प्रोजेक्ट से 150 करोड़ रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। हमें बाकी

प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी यही प्रावधान करने पड़ेंगे। पिछली सरकार ने सेंट्रल PSUs को किस वजह से यह दिया होगा लेकिन आज उस एग्रीमेंट को रिवाइज करके हमारे अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। उसमें जो 12 प्रतिशत से 18 प्रतिशत मुफ्त बिजली या रॉयल्टी देने की बात है, उस प्रोविजन को उसमें नहीं रखा गया था। इस प्रोविजन को दोबारा से सेंट्रल PSUs मानें या फिर हम दोबारा अमेंडिड फॉर्म में आगे बढ़ें। माननीय मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि हम इसको टेक-ओवर करने के लिए तैयार हैं। हम उसके बारे में भी सोचें और अगर टेक-ओवर नहीं करते हैं तो जो एग्रीमेंट सेंट्रल PSUs के साथ हुआ है, चाहे वह धौलासिद्ध, चाहे लूहरी या सुन्नी प्रोजेक्ट का हो, इनमें जो एग्रीमेंट सेंट्रल PSUs के साथ हुए हैं, उसको रिवाइज्ड फॉर्म में हिमाचल के हकों को एनश्योर करना चाहिए। आखिर में मैं यह कहना चाहूंगा कि बिलासपुर में भी इसी तरह की सुविधा BBMB क्रिएट करें। ऊना में जो हमारा बंगाणा का प्रभावित क्षेत्र है वहां भी यह सुविधा होनी चाहिए। इस तरह की सुविधाएं सुंदरनगर होस्पिटल और स्कूल में भी हों। हमारे जो एग्जिस्टिंग स्कूल हैं उनको भी टेक-ओवर किया जाए। पिछले BBMB के चेयरमैन बिलासपुर से थे। उन्होंने वहां होस्पिटल में थोड़ा काम किया और कुछ काम बिलासपुर में भी किए लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे काम चार-पांच करोड़ रुपये से ज्यादा के होंगे। उन कामों का इतना विरोध किया गया कि एक मैम्बर ने तो उनके खिलाफ एट्रोसिटी का केस कर दिया। जब उन्होंने वहां पर हिमाचल के हकों की बात की तो उनके विरुद्ध केस कर दिया गया। इस तरह की hostile environment हमारे पड़ोसी राज्य क्रिएट करते हैं। इस प्रस्ताव के माध्यम से हमारा उनसे भी विनम्र आग्रह होना चाहिए कि हमने तो इसके लिए कंट्रीब्यूट किया है, हमने नेशनल इंटरस्ट देखा है और आपको इसका सीधा लाभ मिला है। हिमाचल को जितना बेनिफिट नहीं मिला है जितना इन्हें मिला है। आज भाखड़ा बांध की डिसिल्टिंग की बात आई। हम उस सिल्ट को कहां डालेंगे? यह सिल्ट हमारे आसपास के इलाकों में डाली जाएगी जिसका नुकसान हमारे लोगों को ही झेलना पड़ेगा। इसका सबसे ज्यादा फायदा

31.03.2026/1655/RKS/hk-2

पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को हुआ है। लेकिन हमें इसका फायदा नहीं मिला है जबकि हम सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मैं इन राज्यों और केंद्र सरकार से आग्रह करूंगा कि भाखड़ा विस्थापितों की तरफ भी ध्यान दिया जाए। जो नई कंपनियां सामाजिक दायित्व निभा रही हैं उसी तरीके से पुराने प्राजैक्ट वाले भी निभाएं। चाहे वे सेंट्रल PSUs हैं, चाहे प्राइवेट कंपनीज हैं। यह जो संकल्प लाया गया है मैं इसका समर्थन करता हूं। मुझे जो अनऑफिशियली टारगेट दिया गया था मैंने उसे पूरा कर दिया है। धन्यवाद।

सभापति : क्योंकि अब इस माननीय सदन की कार्यवाही को एक्सटेंड करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए यह जो रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया गया है इसे अगले गैर-सरकारी कार्य दिवस के लिए carry forward किया जाता है।

अब इस माननीय सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 01 अप्रैल, 2026 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

दिनांक: 31 मार्च, 2026
शिमला-171004.

यशपाल शर्मा
सचिव।